खण्ड-255, अंक-6
सोमवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1887
(22 मार्च, 1965 ई0)

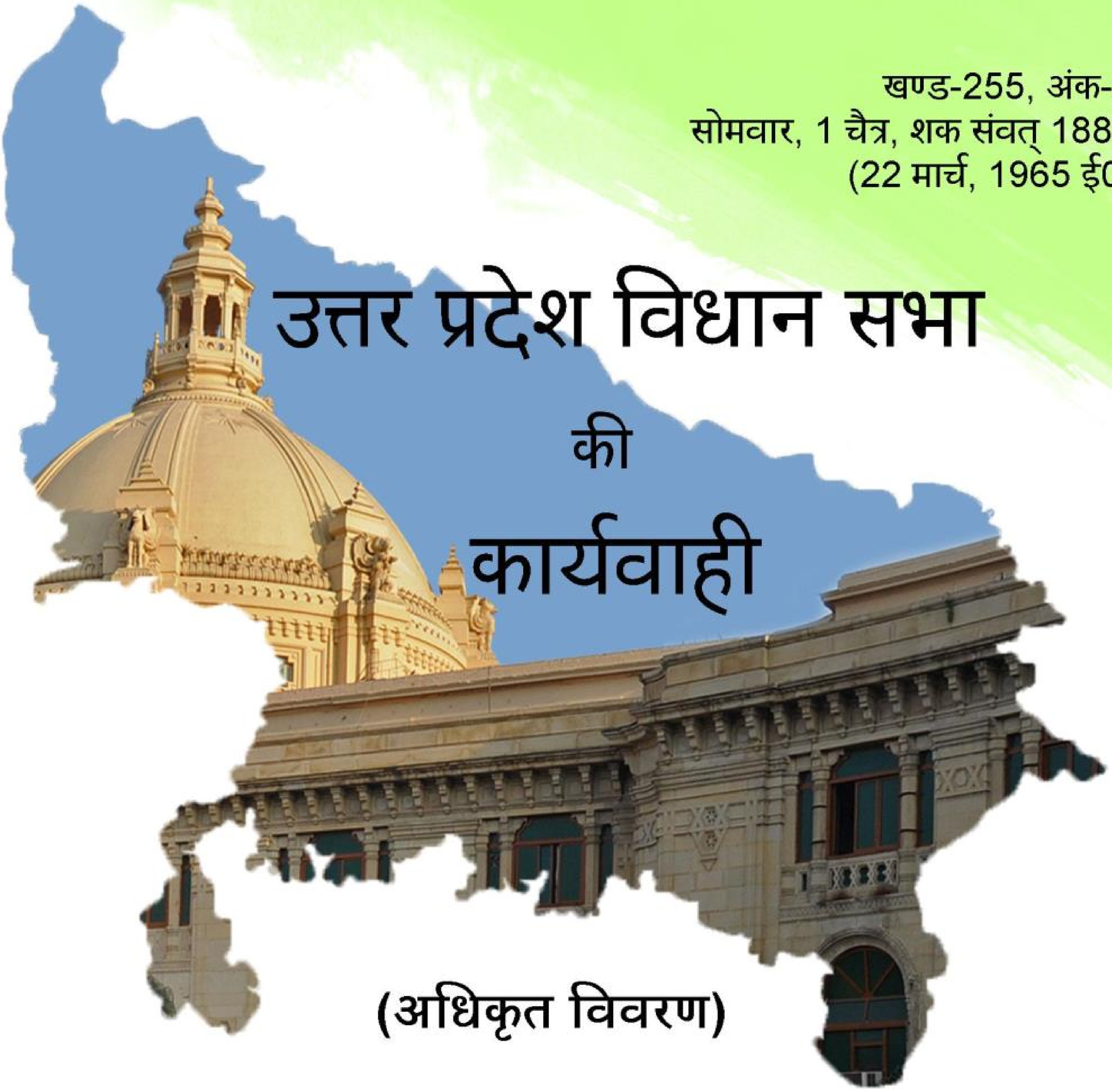

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५६७–५७१
प्रश्नोत्तर	५७१–६०३
याचिका समिति (१९६४–६५) का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	६०३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	६०३–६०४
अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	६०४–६०८
प्रदेश के कुछ जिलों में गेहूं का गलत बीज बांटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६०८
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	६०८–६०९
अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	६०९–६१०
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	६१०
अनुदानों पर विवाद के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	६१०–६११
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	६११
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार—अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	६११–६६९
नत्थियां	६७०–६९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया,
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफ़ी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल श्री, (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामोद्योग मण्डल, पुखरायां को अनुदान

**१—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, श्री रामस्वरूप गुप्त, ग्राम उद्योग मण्डल, पुखरायां के आजीवन अध्यक्ष भी हैं तथा इनके मरने के बाद भी इनके खानदान का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष हो सकेगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी हां । जहां तक विदित हुआ है संस्था के विधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है तथा कार्यकारिणी ने भी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि श्री गुप्त के निधन के पश्चात् उन्हीं के खानदान का कोई व्यक्ति ही इस संस्था का अध्यक्ष हो सकेगा ।

**२—श्री शिवसम्पति शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब से श्री रामस्वरूप गुप्त, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बनाये गये आज की तारीख तक ग्राम उद्योग मंडल, पुखरायां, जिसके कि वह अध्यक्ष हैं, को कितना-कितना धन किन-किन मदों में दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री रामस्वरूप जब से बोर्ड के अध्यक्ष बनाये गये हैं, तब से आज तक ग्रामोद्योग मंडल, पुखरायां को निम्नलिखित धनराशियां दी गई हैं :

	ऋण	अनुदान
१९६३–६४ ..		रु०
१—हाथ की आटा चक्कियों के लिये	०	५७१२.९४
२—ब्लाक लेविल सेमिनार	०	५००.००
१९६४–६५		
संस्थाओं के सम्मेलन के लिये		२,०००.००
		८,२१२.९४

**३—श्री शिवसम्पति शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धन ग्राम उद्योग मंडल तथा उसकी शाखाओं को दिया गया है, उसमें कितने धन का यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एकाउन्टेन्ट जनरल से प्राप्त नहीं हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त कथित धन में से केवल २,५०० रु० के अनुदान का यूटीलाइजेशन नहीं हो पाया है क्योंकि ब्लाक लेविल सेमिनार तथा संस्थाओं का सम्मेलन अभी तक आयोजित नहीं किया जा सका है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर महापालिका कार्यालय के द्वार पर श्री शेरसिंह नेगी की भूख हड़ताल

*१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि कानपुर नगरपालिका कर्मचारी संघ के मंत्री जी, श्री शेर सिंह नेगी गत २१ दिनों से कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिये नगरपालिका के कार्यालय के समक्ष भूख-हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य क्या मांगे हैं और सरकार उन मांगों को पूरा करने के लिये क्या करने जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां। श्री शेरसिंह नेगी ने ३०–१–६५ से २२–२–६५ तक कानपुर महापालिका कार्यालय के कम्पाउन्ड के मुख्य द्वार के समीप भूख हड़ताल की। उनकी मुख्य-मुख्य मांगों का तथा उनके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण †संलग्न है।

*२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस भूख हड़ताल के बाद या पहले क्या उन्हें कर्मचारियों का मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या किया गया ?

†छापी नहीं गई।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। इस संबंध में शासन तथा महापालिका द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसकी वर्तमान स्थिति † संलग्न विवरण पत्रों में दी है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

आजकल की महंगाई को देखते हुये इनकी जो मांगे हैं, जो बहुत दिनों से चली आ रहीं हैं, और जवाब में ऐसा है कि मुख्य नगर अधिकारी इसको कर रहे हैं, उससे कुछ होने का नहीं है अतः मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री देखें और इसमें हस्तक्षेप करके इनकी मांगों को क्या वे ठीक करने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

ये कर्मचारी तो वैसे महापालिका के हैं लेकिन जो डायरेक्शन वगैरह की बात होती है, उसके लिये कर्मचारियों का जैसा कहा गया है, उनके वेतन वगैरह के बारे में विचार करने के लिये हम सोच रहे हैं एक वेतन आयोग बनाने का। अब महंगाई तो कुछ कम हो गई।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अन्तरिम महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और जो वेतन आयोग बनाने का विचार है, उसकी भी जब सिफारिश आयेगी तभी आप कुछ कार्यवाही कर सकेंगे। तो इस वेतन आयोग की स्थापना कब तक हो जावेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी तिथि तो नहीं बताई जा सकती लेकिन कोशिश हो रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ये जो कर्मचारियों की मांगें हैं, जिनके संबंध में जवाब में कहा गया है कि सरकार के पास मामला है और वेतन आयोग को भेजा जावेगा और उसके बाद उसकी सिफारिश पर सरकार विचार करेगी। चूंकि ये मांगें आवश्यक हैं इसलिये क्या सरकार इन सब मामलों पर जल्दी विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य ने शायद पूरा पढ़ा नहीं है। कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पर नगरपालिका विचार करेगी, कुछ स्वीकृति के लायक नहीं हैं और कुछ ऐसी हैं जिनमें कार्यवाही हो गई है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन सी मांगें ऐसी हैं जो स्वीकार होने योग्य हैं और क्या ऐसी मांगों को, जो स्वीकार होने योग्य हैं, सरकार स्वीकार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा मैंने अभी अर्ज किया था कि यह महानगरपालिका वही तनख्वाह देती हैं। प्रथम काम तो उन्हीं का है। लेकिन इसी तरह से, जैसा कि कानपुर में यह पास किया गया था कि सफाई कर्मचारियों को, स्पेशल अलाउन्स (कानपुर अलाउन्स) करके दिया जाय, उसकी स्वीकृति यहां से आवेगी, उनको दे दिया है। जो जिस लायक है, उसका उसी तरह का निर्णय होता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी अपने आश्वासन को ध्यान में रखते हुये यह बतायेंगे कि जो नगरपालिकायें या महानगरपालिकायें ऐसी हालत में हैं जिनके पास धन उपलब्ध है और

---

†छापी नहीं गई।

वे अपने तौर पर डियरनेस अलाउन्स वगैरा की सुविधा दे सकते हैं, केवल सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है, तो क्या सरकार उनको तुरन्त आदेश देगी कि वे अपने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जो नगरपालिकायें देने की सामर्थ्य रखती हैं जब उनकी मांग आती है तो उस पर विचार किया जाता है । इस प्रकार का आदेश भी निकाल दिया गया है कि जो नगरपालिकायें या महानगर पालिकायें अपने मुलाजिमों को महंगाई भत्ता दे सकती हैं, वे देना चाहें तो दे दें ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

कर्मचारियों की महंगाई का भत्ता, क्वार्टर और उनकी परमानेन्सी का सवाल, ये सवालात ऐसे हैं जो सरकार के बिना आदेश के हल नहीं हो सकते हैं। शहरों में कर्मचारियों के क्वार्टरों का इन्तजाम होना बहुत जरूरी है । तो क्या सरकार उनको ये सुविधायें पैदा करने की कोशिश करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

कर्मचारियों के आवास के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं । महापालिका के ९ हजार कर्मचारी हैं उन सब को आवास गृह देना एक बड़ी समस्या है जितनी उनमें शक्ति होती है, उतनी वे कोशिश करते हैं । कुछ प्रोवाइड भी किये हैं । अगर इस बारे में वे सरकार को कर्ज के लिये भी लिखेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

[सातवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोशालाओं को राजकीय सहायता

*२--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त गोशालाओं को कितनी-कितनी सहायता कब-कब दी गई है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

सहायता प्राप्त गोशालाओं को १९५६-५७ से १९६३-६४ तक निम्नलिखित धनराशि राजकीय सहायता के रूप में दी गई है :

वित्तीय वर्ष	धनराशि
	रु०
१९५६-५७	८७,४१८
१९५७-५८	२,११,०९०
१९५८-५९	१,३१,४३०.४५
१९५९-६०	८८,२८७.१५
१९६०-६१	८१,४३१.१५
१९६१-६२	९०,४३८.८२
१९६२-६३	७८,७४२.६६
१९६३-६४	३६,७३५.८५
योग ..	८,०५,५७४.०८

श्री रक्षपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन गोशालाओं को सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

५६–५७ में इन गोशालाओं के दुग्ध उत्पादन और पशु प्रजनन केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिये योजना बनायी गयी थी। उस योजना के अन्तर्गत इन गोशालाओं को आर्थिक राजकीय सहायता दी जाती है।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, जो आंकड़े दिये गये हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि १९५८ में जहां गोशालाओं को २ लाख ११ हजार की सहायता दी गयी थी वह घटते-घटते सन् १९६३–६४ में केवल ३६ हजार की रह गयी, तो क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है कि आगे से गोशालाओं को निरुत्साहित किया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

योजना के मुताबिक जिन गोशालाओं ने सरकार की जो शर्तें थीं उन शर्तों को पूरा नहीं किया होगा, इसीलिये यह धनराशि धीरे-धीरे घटती गयी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गोशालायें सरकार द्वारा धन ले रही हैं उनका इन्तजाम सरकारी कर्मचारी करते हैं या वहां का इन्तजाम प्राइवेट लोगों के ही हाथों में है ? अगर प्राइवेट लोगों के ही हाथों में है तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वहां कितनी गायें ऐसी हैं जिनसे नस्लों का सुधार किया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ये गोशालायें स्थानीय प्रबन्ध समितियों के द्वारा संचालित होती हैं। समय-समय पर पशुपालन विभाग के अधिकारी इन गोशालाओं का निरीक्षण करते हैं। कितनी वहां पर उन्नति हुई है, इसके लिये अगर आप नोटिस देंगे तो उसके आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन-जिन गोशालाओं को अनुदान दिया जाता है, वहां इस बात की भी जांच करायी जाती है कि उन अनुदानों का सही इस्तेमाल हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, वह तो बराबर उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है और समय-समय पर हमारे अधिकारी जाकर देखते हैं कि जो धन सहायता के रूप में इन गोशालाओं को दी गयी है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धन आपने सन् १९५६–५७ से लेकर १९६३–६४ तक दिया है, इनमें प्रत्येक वर्ष कितनी गोशालाओं के प्रबन्धकों ने आपको आवेदन-पत्र दिया है और कितने आवेदन-पत्र पर आपने धन दिया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सन् १९५६–५७ में ८ गोशालाओं को, सन् १९५७–५८ में २७ गोशालाओं को, सन् १९५८–५९ में ३२ गोशालाओं को, सन् १९५९–६० में ३४ गोशालाओं को, सन् १९६०–६१ में ३५ गोशालाओं को, सन् १९६१–६२ में ३३ गोशालाओं को, सन् १९६२–६३ में २९ गोशालाओं को और सन् १९६३–६४ में २९ गोशालाओं को।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या यह सही है कि जिन संस्थाओं को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है वहां पर केवल वृद्ध गाय और बैल ही रहते हैं जो लोगों के लिये उपयुक्त नहीं होते और जिन्हें लोग वहां छोड़ आते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह बात आप ठीक कहते हैं कि आमतौर से अनुपयुक्त गायें जो होती हैं उन्हीं को लोग गोशालाओं में भेजते हैं लेकिन सन् १९५६-५७ में जो योजना बनायी गयी उसकी तहत में यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक गोशाला को १० उन्नतिशील गायें और एक सांड़ खरीदना पड़ेगा। इसी तरह के और भी कितने प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और जिन्होंने इन शर्तों को पूरा किया। उन्हीं को यह अनुदान आगे भी दिया गया।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जिन गोशालाओं की ओर से प्रार्थनापत्र आते हैं उन्हीं को कुछ सहायता मिलती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सी ऐसी बातें हैं जिनको पूरा करने पर आप उनको सरकारी सहायता देते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

मैं उदाहरण के लिये २ गोशालाओं की बात आपके सामने रखता हूं। एक है श्री गोपाल गोशाला, बाराबंकी और दूसरी है सेवा निधि गोशाला, फतेहपुर, सहारनपुर। इन दोनों ने जब शर्तों को पूरा नहीं किया तब उन से वह धनराशि वापस लेने की कार्यवाही चल रही है। जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उन पर विचार किया जाता है और देखा जाता है कि निर्धारित शर्तों को वह मानते हैं या नहीं, इसलिये सब को बराबर से नहीं मिलता।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

आप ने सन् १९५७-५८ में २७ गोशालाओं को २ लाख ११ हजार कुछ रुपया दिया और १९६३-६४ में २९ को ३६ हजार रुपया ही दिया, इस का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

मैं तो कारण बता चुका हूं कि जो शर्तें सरकार की ओर से इस अनुदान के लिये रखी गई हैं उन का जो गोशालायें पालन नहीं करतीं उनको सहायता नहीं दी जाती, हो सकता है कि सन् १९६३-६४ में उन्होंने वह शर्तें पूरी न की हों, इसलिये उन्हीं को दिया गया जिन्होंने शर्तें पूरी कीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मैंने यह बात नहीं कही, मेरा कहना यह है कि सन् १९५७-५८ में २७ गोशालाओं को २ लाख ११ हजार कुछ रुपया दिया गया और १९६३-६४ में २९ गोशालाओं को केवल ३६ हजार ही दिया गया, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जिन गोशालाओं को दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक धनराशि स्वीकृत की गई और दी गई, यह जरूरी नहीं था कि आगे भी उन को वही धनराशि स्वीकृत की जाती।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बहुत-सी गोशालायें ऐसी हैं जिन में से सहारनपुर जिले में फतेहपुर की गोशाला भी है, जहां कि कीमती सांड़ और गायें लोगों को बेचे गये और गोशाला बन्द कर दी गई, तो वहां पर कितना रुपया सरकार का लगा और कितना नुकसान

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार को नुकसान होने का कोई सवाल नहीं है ।

सेवानिधि गोशाला, फतेहपुर, जिला सहारनपुर को २०,६०० रुपया दिया गया था और इसकी वापसी के संबंध में सरकार कार्यवाही कर रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस का संचालन कौन करता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

स्थानीय समिति करती है ।

नगरपालिका, सहारनपुर के सफाई कर्मचारियों की वर्दी

*३ —श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एम० ओ० एच०, नगरपालिका, सहारनपुर के सफाई कर्मचारियों की वर्दियों के बारे में जो नगरपालिका सहारनपुर ने ई० ओ० द्वारा स्वयं बनवाई, कोई पत्र दिनांक २१ अक्तूबर, १९६४ तथा रिमाइन्डर (रजिस्टर्ड) १६ नवम्बर, १९६४ को श्री एस० एन० भट्टाचार्य, असिस्टेंट इक्जामिनर, लोकल फन्ड्स एकाउन्ट्स, मेरठ को लिखा ? यदि हां, तो वह क्या शिकायत है और सरकार उस मामले में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां । नगरपालिका, सहानरपुर के स्वास्थ्य अधिकारी (M. O. H.) ने इस विषय पर एक शिकायती पत्र दिनांक २१ अक्तूबर, १९६४ तथा एक रजिस्टर्ड स्मृति-पत्र दिनांक १६ नवम्बर, १९६४, असिस्टेन्ट इक्जामिनर, लोकल फन्ड एकाउन्ट्स, मेरठ को भेजा था । यह पत्र मेहतरों की वर्दियों के संबंध में था । इसमें स्वास्थ्य अधिकारी (M. O. H.) ने असिस्टेन्ट एक्जामिनर से पूछा था कि वर्दियों के खरीदने में जो सौदा किया गया, यह नियमित था अथवा नहीं और यह भी पूछा था कि खरीदी हुई वर्दियों की supply किस तरह से वे प्राप्त करें । अतः सरकार द्वारा इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठा क्यों कि मामला स्वास्थ्य अधिकारी (M. O. H.) और असिस्टेन्ट एक्जामिनर के बीच में रहा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि स्वास्थ्य अधिकारी और असिस्टैन्ट इक्जामिनर के बीच में जो मामला रहा, वह कब से वहां पर है और उस पर आज तक क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ? दूसरे जो वर्दियां खरीदी गयीं, उन पर कितना धन व्यय हुआ और वह किसके अधिकार से हुआ ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरपालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया । उस पर वहां के एक्जीक्यूटिव आफिसर ने गांधी आश्रम, मेरठ को वर्दियां बनाने का आदेश दिया । जब वर्दियां बन गयीं तो ई० ओ० के द्वारा एम० ओ० एच० को कहा गया कि वह वर्दियां ले ले । उसके बीच में और वहां के ई० ओ० के बीच में कुछ मतभेद रहा । मतभेद इसलिये नहीं रहा कि किसी नियम का उल्लंघन हुआ । जो मतभेद था वह इसमें रहा कि किस किस्म की वर्दी है और उनका साइज क्या है । जो आदेश हुए, उनमें कुछ त्रुटि नहीं हुयी । वर्दियां १,४०० खरीदी गयीं । १०,१५० रुपये में वे खरीदी गयीं । वे मेहतर भाइयों को दे दी गयी हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि क्या वे वर्दियां जो हैं, वे पड़ी हुयी हैं और उनका अभी तक वितरण नहीं हुआ है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह गलत है । वे वितरित कर दी गयी हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि चूंकि वे वर्दियां इतनी छोटी हैं किसी कर्मचारी के काम में नहीं आ सकती हैं ? क्या सरकार इसकी सूचना सदन में रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

सरकार के पास जो तार द्वारा सूचना आयी है उससे प्रकट है कि वर्दियां वितरित कर दी गयी हैं ।

मथुरा जिले में स्थानीय निकाय मतदान सूची

*४---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

(अ) क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की अरबन एरियाओं की वोटर लिस्टें १९६३ व ६४ में कितने बार प्रकाशित की गई हैं, किन अधिकारियों ने उनको दोहराया और उनके अलग-अलग नाम, टाउन एरिया, नगरपालिका क्या हैं ?

(ब) क्या प्रकाशन के बाद किसी अधिकारी द्वारा वोटर लिस्टों की जांच की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

(अ) स्थानीय निकाय मतदाता सूची १९६३ व १९६४ में दो बार प्रकाशित की गईं । सामान्य निर्वाचन के संबंध में मतदाता सूचियों की जांच १९६३ में स्थानीय निकाय के अध्यापकों द्वारा की गई जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं ।

(ब) प्रकाशन के बाद किसी अधिकारी द्वारा जांच का कोई प्राविधान नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७०-६७२ पर)

श्री लखीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह सूची सन् १९६४ में किस महीने में प्रकाशित की गयी थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

१९६४ में ७ दिसम्बर को ।

श्री लखीसिंह---

क्या माननीया मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या दो सूचियां थीं ? एक सूची जांच के वक्त पर ऐसी थी जिसमें पूरे नाम थे और एक ऐसी सूची थी जिसमें अधूरे नाम थे ? नामांकन पत्र भरवा लिये और ९ आदमी ऐसे थे जो चेयरमैन के चुनाव के लिये और सदस्यों के लिये खड़े हुये । टाउन एरिया छाता की जांच के वक्त उनके नाम उड़ा दिये जिनमें श्री शमशुद्दीन और शंकर लाल आदि के नाम हैं, जिनकी शिकायत आपके पास आयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

दो सूची टांगी गयी हैं इसकी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। जहां तक नामों के काटने का प्रश्न है सन् ६३ में वे काटे गये। जिस समय अध्यापक गण जांच करने गये तो वे वहां आबाद नहीं थे अथवा मकान में नहीं पाये गये। लिहाजा उनका नाम हटा दिया गया। लेकिन १५ दिन की आपत्ति का जब समय दिया गया यदि किसी सदस्य का नाम काटा गया था तो उनको सचेत रहना चाहिये था अपना नाम बढ़वाने के लिये।

श्री जगन्नाथ राव--

मथुरा जिले में टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया की मतदाता सूची तैयार की जाती है तो क्या सरकार इस सूची को उसी आधार पर बनवाने की व्यवस्था करेगी जिस आधार पर कुटुम्ब रजिस्टर तैयार किया जाता है ताकि सही सूची तैयार की जा सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अभी तक जो पद्धति है उसी के मुताबिक कार्यवाही होती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जब नगरपालिकाओं के इलेक्शंस मई में रखे गये थे तो एक सूची तैयार हुई थी। उसके बाद इलेक्शंस पोस्टपोन हो गये और जुलाई के पहले हफ्ते में आदेश गये कि उन सूचियों को दुबारा तैयार किया जाय। उसके बाद टीचर्स ने उन सूचियों के अन्दर काटछांट की। तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि बहुत से ऐसे लोगों के नाम काट दिये गये जो अगले इलेक्शंस में खड़ा होने चाहते थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय सदस्य ने यह आम सवाल पूछा है। मथुरा जिले के संबंध में सवाल किया गया था और उसके संबंध में सूचना दे दी गयी है। बाकी और कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री लखीसिंह--

लोगों के नाम नामांकन पत्र भरने के बाद, जमानत भरने के बाद काटे गये इस सूचना को सही मान कर क्या सरकार जांच करायेगी कि छाता टाउन एरिया में ऐसे ९ आदमियों के नाम काट दिये गये ? यदि यह सही है तो फिर क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो नागरिक उम्मीदावार थे उन्होंने समय के अन्दर अगर आब्जेक्शंस किये हैं और माननीय सदस्य इसकी सूचना सरकार को देंगे तो अवश्य इस पर कार्यवाही की जायगी।

[२२ मार्च, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[दसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हैदरगढ़ तहसील में वृक्षारोपण

*३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में वन विभाग की ओर से क्या-क्या कार्य-क्रम बनाया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जिला बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील में वन विभाग की ओर से ग्राम समाज की बंजर भूमि में वनीकरण का कार्य-क्रम चल रहा है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कितने ग्राम समाज ऐसे हैं जिनकी जमीन पर वनीकरण का कार्य हो रहा है और अब तक वहां पर क्या प्रगति हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

श्रीमन्, मुस्तफाबाद, रेहुरा, मुहद्दीसराय में २०० एकड़ और मुबारकपुर, तेजवापुर में ११६ एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी के पास ऐसे सुझाव आये हैं कि जिन गांवों में यह कार्य हो रहा है वह काफी इंटीरियर में हैं और वहां आने जाने के लिये साधन नहीं हैं, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग को चौथी योजना में शामिल करने का सुझाव आया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जिन ग्रामों का नाम मैंने अभी लिया है उनमें ३१६ एकड़ भूमि पर वनीकरण कर दिया गया है और शेष जमीन पर ६५-६६ में करने का कार्यक्रम है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या विभाग की ओर से इस प्रकार का सुझाव आया है कि ये गांव इंटीरियर में पड़ते हैं जहां विकास कार्य करने में कठिनाई पड़ती है, इनको मिलाने के लिये हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग को इस योजना में शामिल किया जायगा ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हैदरगढ़ तहसील में कितनी जमीन वन विभाग ने ली और उसमें से कितनी जमीन में वन लग चुका है और कितनी ऐसी है जो वन लगाने योग्य नहीं है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि ३१६ एकड़ भूमि पर तो प्लान्टेशन हो चुका है और १,१०० एकड़ भूमि ग्राम समाज से ली गई । ४०० एकड़ जमीन में ६५-६६ में प्लान्टेशन करने की योजना है और यदि रूरल मैन पावर स्कीम में और धन मिल गया तो ५०० एकड़ भूमि पर और वनीकरण हो जायगा ।

*४-६-श्री रक्षपालसिंह---

[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४९-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सीतापुर जेल के लिये समाचार-पत्र

*७---श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जेल में इस समय कौन-कौन समाचार-पत्र आते हैं और वे प्रिजनर्स को पढ़ने के लिये कब दिये जाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

दैनिक समाचार-पत्र नवजीवन, स्वतंत्र भारत, कौमी आवाज, भारत, तथा साप्ताहिक इलस्टेट्रेड वीकली जिला कारागार, सीतापुर में आते हैं और आने के थोड़ी ही देर बाद बन्दियों के पास भेज दिये जाते हैं।

*८—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि वहां जितने भी समाचार पत्र आते हैं वे सब के सब जेलर साहब और अन्य कर्मचारियों के घर पर पड़े रहते हैं, जेल तक पहुंचते ही नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सही नहीं है।

*९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

जेल में क्या कोई ऐसी शिकायती बक्स है, जिसमें यदि प्रिजनर्स चाहें तो अपनी शिकायत लिख कर डाल दें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जेल के अन्दर सर्किल में एक शिकायती बक्स लगा है जिसमें जो बन्दी चाहे, अपनी शिकायत लिख कर डाल सकता है।

गल्ले की सरकारी खरीद तथा केन्द्र से प्राप्त गल्ला

*१०—श्री कल्याणचन्द [मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गल्ला वसूली योजना में कितना गल्ला वसूल किया गया तथा इसकी वसूली की क्या योजना सरकार ने बनाई थी ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

१९६४–६५ खरीफ की फसल से २१ मार्च, १९६५ तक निम्नलिखित मात्रा में गल्ले की खरीदारी की गई :

				मैट्रिक टन
चावल	..	..	..	१,००,३९७
ज्वार	..	..	..	२७,८९५
बाजरा	..	..	..	८,४६७
मक्का	..	..	..	१९,४९८
		योग	..	१,५६,२५७

चावल की खरीदारी आरम्भ से लेवी प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है। मोटे अनाजों की खरीदारी पहले एकाधिकार प्रणाली द्वारा हो रही थी परन्तु १९ दिसम्बर, १९६४ से लेवी प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है। मक्के की खरीदारी ८ जनवरी, सन् १९६५, से बन्द कर दी गई।

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६३–६४ में प्रदेश में गल्ले का उत्पादन क्या हुआ तथा इसके पहिले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

१९६३-६४ में सब खाद्यान्नों का उत्पादन जिसमें दालें भी सम्मिलित हैं, ११६.१८ लाख टन था। इसके पहले वर्ष १९६२-६३ में १३२.७९ लाख टन था।

*१२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार से १९६३ दिसम्बर से १९६४ नवम्बर तक सरकार ने कितने गल्ले की मांग की थी तथा सरकार ने कितना गल्ला दिया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसको वसूल करने के लिये सरकार ने कोई टार्गेट बनाया था और वह पूरा हुआ या नहीं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

श्रीमन्, यह था कि कम से कम ४ लाख टन वसूल किया जाय। २ लाख टन चावल की वसूली होना है और अगले अक्तूबर तक यह वसूली चलेगी। आशा है कि वह उपलब्ध हो जायगा। जहां तक मोटे गल्ले का सवाल है, वह तो जितना बाजार में आता है उतना ही उसे लिया जा सकता है। लेवी का प्रतिशत ५० है ताकि फ्री मार्केट में लोगों को गल्ला उपलब्ध होता रहे और किसी को कठिनाई न हो।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ७ लाख ५९ हजार ४३० मैट्रिक टन गेहूं की मांग थी किन्तु राज्य सरकार को केन्द्र से केवल ३ लाख २३ मैट्रिक टन गेहूं ही प्राप्त हुआ है। तो जब ७ लाख से भी ऊपर की आपकी मांग थी और आपको केवल ३ लाख मैट्रिक टन ही मिला यानी इस प्रकार से आपको ४ लाख मैट्रिक टन गेहूं कम मिला, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर भी आपका काम कैसे चला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसका काम ऐसे चला कि जो चावल हमारे पास था उससे काम चला है और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि दूकानें कुछ दिनों तक बन्द भी रहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो गल्ला वसूली की योजना बनाई थी, उसमें चावल और मोटे अनाज का अलग-अलग लक्ष्य कितना था और लक्ष्य की कितने फीसदी वसूली हुई ? और यह देखते हुये की लक्ष्य के अनुसार वसूली सफल नहीं हो पायी है, इस अनुभव से लाभ उठा कर सरकार अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

चावल का २ लाख टन का टारगेट था, उसमें ५० परसेन्ट के ऊपर हमारा हो गया है और जो शेष है वह भी हो जायगा क्योंकि यह अभी अक्तूबर तक होना है और हमें आशा है कि चावल में हम टारगेट तक पहुंच जायेंगे। जहां तक मोटे अनाज का प्रश्न है उस पर से हमने लेवी खत्म कर दी है और जिस एकाधिकार सिस्टम से हम उसकी वसूली कर रहे थे वह भी बन्द कर

दिया है और बाजार से खरीदने लगे हैं ताकि गल्ले की कमी वाले स्थानों में गल्ला बाजार में भी मिलता रहे और उसकी महंगायी भी बहुत न बढ़े। तो वसूली के लिये जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उपलब्धता भी बढ़ जाये और उसके दाम भी अधिक न बढ़ने पायें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गल्ले की खरीदारी के जो टारगेट थे वह पूरे न होने के बाद आगे आने वाले दिनों में जितना गल्ला सरकार को चाहिये उसकी पूर्ति का अन्दाजा सरकार किस प्रकार लगा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक चावल का प्रश्न है वह पूरा होने जा रहा है और जहां तक मोटे अनाज का प्रश्न है अब गर्मी आ गयी है और गर्मियों में लोग मोटा अनाज खाना पसन्द नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और अब चूंकि डाक वर्कर की अमेरिका में हड़ताल खत्म हो गयी है वहां से काफी मात्रा में आयेगा और यहां भी हमारी यह रबी की फसल काफी अच्छी हुयी है, इसलिये आशा है कि अब कमी नहीं पड़ेगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो मोटे अनाज का लेवी सिस्टम था वह फेल हो गया है और इसीलिये सरकार ने उसे खत्म कर दिया है, लेवी सिस्टम से ६० फीसदी तक सरकार वैसे माकट में ले रही थी और केवल ४० परसेन्ट बाजार के लिये छोड़ दिया जाता है, जिस पर व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर दामों पर बेचते हैं। इस वर्ष रबी की फसल भी काफी अच्छी हुयी है। सरकार लेवी सिस्टम बिलकुल समाप्त करके बाहर से मंगाये हुये अनाज से स्टाक करेगी यह पूरे का परा अनाज यहां का यहां के बाजारों में बिकने के लिये छोड़ देगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ये बहुत सी चीजें विचाराधीन होती हैं। अभी एक प्रश्न हुआ था जिसको आपने इन्कार कर दिया कि गवर्नमेन्ट इसकी गम्भीरता को सोच कर खरीदती नहीं है। इसके उत्तर में मेरा यह कहना है कि इसमें कुछ विचारधारा है कि हमको खरीद करना है तो बाजार में आयें या न आयें और लोगों की परेशानी देखें या न देखें। दूसरी बात यह है कि हम इसको छोड़ दें और बाहर क माल पर हम निर्भर करें। तो हम तो बीच की नीति पर चल रहे हैं जिससे बाजार भी चलता रहे और हम भी अपना काम करें। मैं समझता हूं इसमें हमारी जिम्मेदारी है और हम गम्भीरता से काम कर रहे हैं। जो बड़े-बड़े काश्तकार रोके बैठे हैं इसकी वजह से यह खराबी आ रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस गल्ले की खरीदारी के लिये कोई भाव फिक्स किये गये हैं या अलग-अलग जिलों में अलग-अलग भाव से खरीदा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसकी खरीदारी के भाव मुकर्रर थे।

राइस हलर्स तथा राइस शेलर्स के लाइसेन्स

*१३--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में इस वर्ष धान की फसल कितने एकड़ भूमि में जिलावार बोई गई तथा कुल कितनी उपज धान की हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

वांछित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

१४—श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि धान कूटने के लिये सरकार ने प्रान्त में Rice hullers तथा Shellars चलाने के जिलावार कितने-कितने लाइसेंस दे रखे हैं तथा प्रति Shellars तथा प्रति Rice hullers प्रति घंटा कितना धान कूटा जा सकता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

प्रान्त में धान कूटने के लिये राइस हलर्स तथा राइस शेलर्स के जिलेवार जो लाइसेंस सरकार द्वारा दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

एक हलर एक घंटे में लगभग ४ क्वीन्टल धान कूट सकता है ।

एक टन का शेलर एक घंटे में लगभग १६ क्वीन्टल धान तथा आधा टन का शेलर एक घंटे में ८ क्वीन्टल धान कूट सकता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७४ पर)

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब सरकार की नीति विकेन्द्रीकरण की है और इन हलर्स और शेलर्स से ४-४ क्विन्टल ही कूट सकते हैं जबकि इनमें धान बहुत लगता है तो लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये काटेज इंडस्ट्री की रक्षा हेतु अपनी नीति में परिवर्तन करने की कृपा करेगी कि जिससे गांव में ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इन हलर्स से जो धान कूटा जाता है इससे टूट-फूट बहुत होती है जिससे राष्ट्रीय हानि होती है । दूसरी बात यह है कि जो आपने ग्राम उद्योग की बात कही उससे भी धान कूटा जाता है । हलर्स उसमें नहीं आते हैं । हलर्स न ग्राम उद्योग में और न मशीनरी में आते हैं इसलिये इनको हम उड़ाना ही चाहते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं यह जानना चाहता हूं कि सहारनपुर में १९२, कानपुर में १०६, नैनीताल में १२५ और मुजफ्फरनगर में १०१ नम्बर के हलर्स और शेलर्स के लिये सूची में दिया है और पूरी सूची देखने पर पता चलता है कि सहारनपुर में अकेले ९५ हजार क्विन्टल चावल मिला और बाकी जगहों से कम मात्रा में मिला, उसके नम्बर के अनुसार नहीं मिला तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

ये हलर्स और शेलर्स लाइसेंसिंग आर्डर गवर्नमेंट आफ इंडिया के मुताबिक होते हैं । इनमें वह तीन तरह के मानते हैं जो कि बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं । उनको इन्हें मानना पड़ा । तो ये हलर्स बहुत पुराने हैं और एग्जिस्टिंग होने की वजह से चल रहे हैं । अब उनकी नीति यह है कि न हलर्स और न शेलर्स प्राइवेट को देंगे बल्कि कोआपरेटिव को देंगे ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार ने मौजूदा महंगाई के जमाने में यह नीति निर्धारित की थी कि महंगाई के कंट्रोल के लिये जो उपाय किये जायं उनमें पब्लिक सेक्टर में कुछ राइस मिलें चलाई जायं और वही उसकी सफाई और कुटाई करें ? तो इस दिशा में सरकार ने भारत सरकार की सहायता से या स्वयं कोई कदम उठाये हैं जिससे यह काम पूरा हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

विदेश से भारत सरकार ने मंगाई है और उससे कुटाई होती है, ज्यादा नुकसान नहीं होता। मद्रास वगैरह में लग रही है। इस प्रदेश के लिये नहीं दी गयी है क्योंकि उसके लिये फारेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठायेगी तो कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे—वह भी एक तरह की सरकार ही होती हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बरेली धान की बहुत बड़ी मंडी है और वहां हलर्स वगैरह के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र भी दिये, उन्हें आप नामंजूर कर रहे है, तो क्या वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर अगर लोग हलर्स के लिये अप्लाई करें तो उन्हें क्या आप लाइसेंस और रिआयत देने को तैयार हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही दिया जायगा और किसी को नहीं।

लेवी द्वारा चावल का क्रय

*१५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि सरकार ने लेवी द्वारा जिलावार कितना-कितना चावल इस वर्ष दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ तक वसूल किया तथा किस-किस भाव पर और उसमें से दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ को सरकारी भंडार में प्रान्त के अन्दर कितना चावल स्टाक में था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७५–६७६ पर)

मुरादाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच

*१६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में दिनांक १ अप्रैल, १९६४ के बाद कितनी सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच अधिकारियों ने की और किस-किस की दूकान कैंसिल की गई और किन-किन के खिलाफ मुकदमें कायम किये गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१५३ दूकानों की जांच की गई। जिन-जिन की दूकानें कैंसिल की गईं और जिनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये, उसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६७७ पर)

*१७—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९६४ के बाद आज तक कुल कितना गल्ला और चीनी शहरी हल्कों की दूकानें को दिया गया और कितना देहाती हल्कों में दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

१-४-६४ से ३१-१-६५ तक गल्ला और चीनी निम्नलिखित प्रकार से दिया गया :

		गल्ला (क्विन्टल में)	चीनी (क्विन्टल में)
१--शहरी दूकानों को	..	१,४४,७९४	५१,७००
२--देहाती दूकानों को	..	८,४२०	१४,३००

*१८--श्री रियासत हुसैन--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में इस वक्त किस-किस सस्ते गल्ले और चीनी की दूकानें सस्पेंड हैं और कितनी मुद्दत से सस्पेंड हैं और उसका फैसला होने में देरी का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मुरादाबाद जिले में इस समय निम्नलिखित दूकानें निलम्बित हैं:

दूकानदार का नाम		निलम्बन की अवधि
१--श्री हाफिज हिकमत उल्ला, मुरादाबाद	..	६ महीने से
२--श्री ओम प्रकाश चन्दौसी	..	,,
३--सर्वश्री शराफत हुसैन अश्फाक हुसैन, बछराऊं		,,
४--कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी वार्ड नं० ३, मुरादाबाद	.. .. ..	२ महीने से

उपर्युक्त दूकानों के विरुद्ध पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन---

यह देखते हुये कि मुरादाबाद जिले में २३ दूकानें या तो कैंसिल हो गयी हैं या सस्पेंड हैं और उनमें बहुत सी दूकानें ६-६ महीने से ज्यादा सस्पेंड और कैंसिल हो चुकी हैं तो क्या उन दूकानों की जगह दूसरे दूकानदारों को लाइसेंस दे दिये गये हैं या नहीं दिये गये ? अगर नहीं दिये गये, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, क्योंकि उनको आदेश थे कि तुरन्त दूसरे को लाइसेंस दे दें। मैं उसकी जानकारी करा रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन---

मंत्री जी ने जो फीगर्स शहर और देहात के बताये उससे मालूम होता है कि देहात की दूकानों को, बावजूद इसके कि मुरादाबाद जिले की १६ लाख आबादी देहाती और ४ लाख शहरी है, कम दिये गये, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बटवारा हुआ है यह किस नीति के मातहत हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

देहाती क्षेत्र तो अन्नदाता होता है, वहां जो भूमिहीन हैं, जिनके कोई साधन नहीं हैं उन्हीं को दिया जाता है, यही आधार था।

श्री रियासत हुसैन--

जो भूमिहीनों के २० प्रतिशत राशन कार्ड बने हैं उन्होंने २० प्रतिशत को राशन दिया है या नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि भूमिहीनों को मिलेगा, तो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने तो बताया कि ७ लाख की मांग हमारी थी मगर मिला ३ लाख ही, इसलिये कुछ असुविधा हुई ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

जो दूकानें कैन्सिल हुईं उनसे जिनको राशन मिलता था उनको फिर राशन कहां से दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नगी--

मैं अनुमान से कह सकता हूं कि जब एक दूकान कैन्सिल होती है तो उसके पास वाली दुकान से उन लोगों को राशन मिलता है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि देहात अन्नदाता है । जब ऐसी बात है तो देहात वालों को चीनी क्यों कम दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वे तो गुड़ और शकर के भी दाता है ।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन दुकानों को सस्पेंड किया गया उनसे जिन लोगों को राशन मिलता था उनको बराबर वाली किसी दुकान से राशन मिला या नहीं और अगर नहीं मिला तो इसके लिये जो अधिकारी जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं इसको देख रहा हूं, यह बात मेरे दिमाग में है ।

भूमि-क्षरण

*१९--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेती योग्य एकड़ों में कितनी भूमि का पानी के बहाव, कटाव एवं ऊसर से क्षरण हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

लगभग १,४४,३३,००० एकड़ । परन्तु यह एक केवल कच्चा अनुमान है ।

*२०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या कृषि मंत्री उक्त सूचना जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सूचना सूची? में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६७८ पर)

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि योग्य भूमि का क्षरण रोकने के लिये सरकार की ओर से कौन-कौन उपाय किये जा रहे हैं ? और उन पर कितना-कितना व्यय हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये भूमि एवं जल संरक्षण योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत लिये गये जलोत्सारण क्षेत्रों (वाटर शेड्स) का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करने के पश्चात उस भू क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विभिन्न भू-संरक्षण विधियां, जैसे कन्टूर बांध, परिधीय बांध, अवरोधक बांध, ऊंची नीची भूमि का समतलन, पानी के पक्के व कच्चे निकास, वन रोपण इत्यादि की जाती है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस समय तक इस योजना पर १,५४,१८,८४२ रु० व्यय हो चुका है ।

भूमि-संरक्षण की योजना सूची २ में उल्लिखित २७ जिलों में इस समय चल रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६७९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अपने प्रदेश में जो इतनी बड़ी तादाद में भूमि का क्षरण हुआ है उसको रोकने के लिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी क्या योजना है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार के आय के साधन जितने अधिक होते जायेंगे उसी अनुपात में और जिलों में भी यह कार्य किया जायेगा ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

इस बात को देखते हुये कि आजमगढ़ जिले में करीब २३ नदियां बहती हैं, क्या सरकार इस योजना को वहां पर भी लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जायेंगे, अन्य क्षेत्रों को भी लेने की कोशिश की जायेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना में कुल कितना खर्च करने का प्राविधान है और २७ जिलों के अलावा और भी जिले शामिल किये जावेंगे या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नोटिस चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन पर संरक्षण की जरूरत है, तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कब तक कृषि योग्य बना ली जायगी और कितनी अगर तमाम नहीं तो ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कार्य तेजी से चल रहा है। आंकड़ों के लिये सूचना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इन २७ जिलों का चुनाव किस आधार पर हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिन जिलों में जमीन का क्षरण अधिक हुआ उन्हें पहले लिया गया है।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

वे २७ जिले कौन से हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

आगरा, मथुरा, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, टेहरीगढ़वाल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बांदा, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, उत्तरकाशी, बुलन्दशहर, इटावा, सहारनपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, देहरादून, रायबरेली, गाजीपुर और जौनपुर।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

इटावे में बीहड़ जमीन बहुत है और बहुत सी कट गई है, इसलिये मंत्री जी वहां योजना को तेजी से चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो साधन उपलब्ध हैं उनको लेकर तेजी से काम हो रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या इस वित्तीय वर्ष में बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों में भी जहां भूमि संरक्षण का कार्य आवश्यक है, इस योजना को चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, साधन उपलब्ध होने पर इन जिलों को लेने पर भी विचार किया जायगा।

श्री लखीसिंह—

क्या मथुरा जिले की छाता तहसील में जमुना के सहारे भी इसे चलाने के लिये मंत्री जी के पास साधन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जहां-जहां आवश्यकता होगी, कार्य किया जायगा।

*२२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[आठवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२३—२४—श्री चन्द्रजीत यादव—

[छठे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५२–५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

न्याय पंचायत, बसनी को गल्ला न मिलना

*२५—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के अदालत पंचायत, बसनी में दो सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही थीं जिसमें एक दूकान दिनांक २९ नवम्बर,

---

नोटः—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

१९६४ को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी गयी और दूसरी दूकान श्रीमती बदामा देवी, को आदेश दिया गया कि गांव बसनी की जनता को भी गल्ला दें ? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि दिनांक २५ दिसम्बर, १९६४ तक भी गांव सभा, बसनी को गल्ला नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां ।

*२६--श्री ऊदल--

क्या इस सम्बन्ध में सभापति गांव सभा, बसनी ने कई दरख्वास्तें परगनाधीश तथा सप्लाई आफिसर को दिनांक २९ नवम्बर, १९६४ से अब तक दे चुके हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

ग्राम सभा, बसनी को गल्ला न मिलने के विषय में दिनांक २९-११-६४ से अब तक केवल दो आवेदन-पत्र सम्बन्धित परगनाधीश के यहां दिये गये हैं और उन पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

(१) प्रार्थना-पत्र दिनांक १६-१२-६४--

मामले की जांच की गई और अन्त में यह निर्णय किया गया कि न्याय पंचायत, बसनी की समस्त ग्राम सभाओं को निम्नलिखित प्रकार से खाद्यान्न का वितरण किया जाय :

दिन	ग्राम सभा
सोमवार	सिसवा
मंगलवार	सगुनहा
बुधवार	रघुनाथपुरा
वृहस्पतिवार	कथौली
शुक्रवार	रामपुर-भगवानपुर
शनिवार	बसनी

(२) प्रार्थना-पत्र दिनांक २-२-६५---

इस पर यह निर्णय किया गया कि चूंकि ग्राम सभा, बसनी की जनसंख्या अधिक है अतएव गल्ला उपलब्ध होने की दशा में शनिवार के अतिरक्त मंगलवार को भी ग्राम सभा, सगुनहा के साथ बसनी को भी गल्ला दिया जाय ।

कुक्कुट पालन अनुदान

*२७--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में १९६४-६५ में कुक्कुट पालन के लिये कितना अनुदान और कर्जा अलग-अलग देना निश्चित किया है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

१९६४-६५ में निम्नलिखित धनराशि ऋण तथा अनुदान के रूप में कुक्कुट पालन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत की गई :

(१) ५,७०,००० रु० मुर्गी फ़ार्म खोलने के हेतु ऋण प्रदान करने के लिये ।

(२) २१,१०० रु० बच्चे निकालने व बच्चा सेने की मशीनों के क्रय करने के वास्ते अनुदान प्रदान करने के लिये।

(३) १४,००० रु०, ५०० रु० से १,००० रु० तक ऋण पर ५ प्रतिशत की दर से ब्याज में छूट के रूप में अनुदान।

*२८—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश में १९६४ की १ जनवरी से १ जनवरी, १९६५ तक कितने लोगों को कुक्कुट पालन के लिये कर्जा दिया गया है और कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

२१ व्यक्तियों को उक्त अवधि में कुक्कुट पालने के लिये १०,३५५ रु० का ऋण दिया गया जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६८० पर)

*२९—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि १८,००० रु० कर्जा कितने लोगों को दिया गया और इस कर्जे के द्वारा कितने पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं ? क्या उनकी नामवार सूची दिये जाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

१८,००० रु० एकमुश्त कर्जा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। अतः इस कर्जे से पोल्ट्री फार्मों के चलने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कारागार में ननकू बन्दी की बीमारी

*३०—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)—

क्या सरकार को सूचना है कि कैदी नं० २०९१७ सेंट्रल जेल, बरेली पिछले तीन साल से बीमार है और अब उसके बचने की कोई आशा भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको छोड़ने पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

केन्द्रीय कारागार, बरेली के बन्दी ननकू (सं० २०९१७) इस समय बीमार है, लेकिन उनकी हालत चिन्ताजनक नहीं बताई गई है। उनकी रिहाई का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री क्रान्तीकुमार को ट्रैक्टर के लिये तकावी

*३१—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सत्य है कि श्री क्रान्ती कुमार ने ७,०४१ रुपया ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी ली और सरकार के और उनके दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा हुआ कि बजाय ७,०४१ रुपया के केवल ५,००० रुपया किस्तों में वसूल किया जायगा परन्तु श्री क्रान्ती कुमार जी ने इस मुआहिदा पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये ? ऐसी सूरत में क्या सरकार ने मुतालिबे की रकम वसूल करने की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*३२—श्री सत्यदेव—

[हटा दिया गया]

सकीट ब्लाक में सीमेंट वितरण की जांच

*३३—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिलाधीश को दिनांक १८ जनवरी, १९६५ को लिखित शिकायतें मिलीं कि सकीट ब्लाक में सीमेंट के परमिट ऐसे लोगों को दिये गये हैं जिनको सीमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने सीमेंट चोरबाजारी में बेच दिया, उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी तथा जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

बदायूं में लोटनपुरा से बूचड़ खाना हटाने की प्रार्थना

*३४—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या सरकार को पता है कि बदायूं चुंगी के मुहल्ला लोटनपुरा के बीच स्थित पशु वधशाला को जिससे उस मुहल्ले तथा अड़ोस-पड़ोस के मुहल्लों पर गिद्ध बैठ-बैठ कर छतों को खराब करते हैं और नालियों में उस पशु वधशाला के काटे हुये पशुओं का खून भी बहता है, बन्द कराने के आदेश जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*३५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[छठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

चित्रकूट नगरपालिका कर्मचारियों की बर्खास्तगी

*३६—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या चित्रकूट धाम नगरपालिका, जिला बांदा के १९ सफाई कर्मचारी बिना नोटिस दिये २२ दिसम्बर, सन् १९६४ ई० को बरख्वास्त कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। उनकी नियुक्तियां नगरपालिका आदेश के विरुद्ध अवैधानिक तौर से की गई थीं।

झांसी नगरपालिका में भ्रष्टाचार

*३७—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी से प्रकाशित साप्ताहिक "पवन प्रभात" तारीख २६ जनवरी, १९६५ के अंक में पृष्ठ तीन पर नगरपालिका के चुंगी विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार कमिश्नर एवं जिलाधीश से जांच की मांग शीर्षक द्वारा नगरपालिका के कुछ सदस्य एवं कर्मचारियों द्वारा षडयंत्र बनाकर सैकड़ों रुपया प्रति दिन बाहर के ठेले वालों से रिश्वत स्वरूप लिये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ है ? यदि हां, तो उक्त समाचार के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये सरकार जनहित में सी० आई० डी० से जांच करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। सरकार को इस समाचार के प्रकाशित होने की कोई सूचना इसके पूर्व प्राप्त न होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सरकार अब इस विषय पर विचार करेगी कि इस मामले में सी० आई० डी० से जांच कराई जाय अथवा नहीं।

*३८—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासनमंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह भी सत्य है कि भूतपूर्व अध्यक्ष और चुंगी सुपरिन्टेन्डेन्ट, नगरपालिका, झांसी के विरुद्ध भी लाखों रुपया ठेले वालों से रिश्वत स्वरूप लिये जाने की जांच प्रान्तीय सी० आई० डी० द्वारा की गयी थी? फिर भी बाहर के ठेले वालों से रुपया लिया जाना अब तक चालू रहने के क्या कारण हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। इस सम्बन्ध में पुनः जांच करवाने के पश्चात् ही निश्चित रूप से यह बताना सम्भव होगा कि अब भी नगरपालिका, झांसी में बाहर से ठेले वालों से लोच स्वरूप रुपया लिया जाना चालू है या नहीं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

फर्रुखाबाद जिले में नगरपालिका सदस्यों के विरुद्ध चुनाव पिटीशन्स

*३९—डाक्टर सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत सिविक एलेक्शन के सदस्यों एवं अध्यक्षों के चुनाव के विरुद्ध कितनी चुनाव पिटीशंस दायर हुई ह, उनकी नामावली क्या-क्या हैं? उनमें से अब तक कितनी निर्णीत हुई हैं और कितनी अवशेष हैं? उनके अन्तिम निर्णय के लिये देरी का क्या कारण है और अग्रिम शीघ्रता का क्या प्रबंध अपनाया जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

केवल ४ चुनाव पिटीशंस नगरपालिका के सदस्यों के चुनाव के विरुद्ध दायर हुए हैं। अध्यक्षों के चुनाव के विरुद्ध कोई पिटीशंस दायर नहीं हुये हैं। पिटीशंस की नामावली इस प्रकार है:—

१—कायमगंज न० प०	श्री परमानन्द बनाम श्री छंगे लाल।
२—कायमगंज न० प०	श्री त्रिजुगी नरायन बनाम श्री लालमन।
३—कायमगंज न० प०	श्री गनपत लाल बनाम श्री बनवारी लाल।
४—फर्रुखाबाद कम फतेहगढ़ न०प०	श्री जगदीश प्रसाद बनाम श्री अग्रवाल प्रभाचन्द।

इनमें से अभी तक कोई भी निर्णीत नहीं हुई है। उनके निर्णय के लिये ट्रिब्युनल की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की सहमति मांगी गई है। अग्रिम शीघ्रता के लिये उच्च न्यायालय को उचित समय पर स्मरण-पत्र भेजा जायगा।

खतौली बीज गोदाम में स्टाक की जांच

*४०—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खतौली बीज गोदाम, जिला मुजफ्फरनगर पर लगभग दो लाख रुपये का गबन है और क्या यह सच है कि वहां से श्री ब्रह्म सिंह, उप-निदेशक, कृषि तथा श्री नवाब सिंह, जिला कृषि अधिकारी के फार्मों पर मुफ्त सरकारी खाद जाता रहा है?

श्री चरणसिंह--

खतौली बीज गोदाम पर १,०६,८७५ रु० के सामान की कमी पाई गई है। वहां से श्री ब्रह्म सिंह, उप निदेशक, कृषि तथा श्री नवाब सिंह, जिला कृषि अधिकारी के फार्मों पर मुक्त सरकारी खाद जाने का आरोप बिलकुल निराधार है।

*४१--श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--

स्टाक में जो कमी पाई गई है उसकी जांच पुलिस द्वारा हो रही है।

करनैलगंज नगरपालिका कर्मचारियों में छटनी

*४२--श्री सूरज लाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा स्थित नगर-पालिका, करनैलगंज के जिन ११ कर्मचारियों को दिसम्बर, १९६३ को अध्यक्ष द्वारा नौकरी से निकाल दिया था उसका कारण क्या था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अध्यक्ष, नगरपालिका, करनैलगंज ने ११ अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर दी थीं। कारण यह था कि बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खर्च के मद को कम करना अत्यावश्यक था।

*४३--श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या यह सत्य है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद उक्त कर्मचारियों ने कोई अपील की है ? यदि हां, तो अपील पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

केवल सात व्यक्तियों के प्रतिवेदन पत्र जो नियत प्राधिकारी को संबोधित तथा सरकार को पृष्ठांकित थे, सरकार को प्राप्त हुये। इन प्रतिवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होनी है।

नगरपालिका, सिकन्दराबाद के विरुद्ध शिकायतें

*४४--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर की गम्भीर अनियमितताओं का कुछ सदस्यों द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधीश महोदय को कब दिया गया ? वे क्या शिकायतें हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

नगरपालिका, सिकन्दराबाद के चार सदस्यों का ऐसा शिकायती पत्र जिलाधीश बुलन्दशहर को १९ दिसम्बर, १९६४ को दिया गया। उसमें यह शिकायतें थीं कि नगरपालिका, सिकन्दरा-बाद में उस समय खाद के गड्ढों की जो संख्या थी वह नगरपालिका द्वारा रखे गये हिसाब के अनुसार बहुत कम थी तथा नगरपालिका के खजाने में एडवांस तथा इम्प्रेस्ट का धन एकाउन्ट बुक में दिखाये गये धन से कम है।

*४५--श्री जसरामसिंह--

क्या इस प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई उसमें क्या सत्यता थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां । इस में कोई सत्यता नहीं पाई गयी ।

*४६--श्री जसरामसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३-६४ में सिकन्दराबाद नगरपालिका में खाद की कम्पोस्ट स्कीम से कितना आय-व्यय हुआ ? इस वर्ष में खाद के गड्ढे स्कीम के अनुसार समय पर खोले गये या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४७-४९--श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)--

[छठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गाजियाबाद मास्टर प्लान में अधिगृहीत भूमि

*५०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि ली जा चुकी है और कितनी भूमि अभी और लेने का इरादा है और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत न तो कोई भूमि ली गयी है और न ली जा सकती है । हां, इस मास्टर प्लान में दिये हुए सुझाव के अनुसार गाजियाबाद क्षेत्र के विकास के लिये २८ फरवरी, १९६५ तक २,८७२ एकड़ भूमि ली जा चुकी है ।

इस समय यह बताना कि कितनी भूमि और ली जायेगी सम्भव नहीं है ।

भूमि गाजियाबाद के विकास के लिये ली जा रही है ।

चमोली जिले में नालीदार टिन चद्दरों का अभाव

*५१--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी (जिला चमोली)--

चमोली जिले में टिन चादरों के न मिलने से जनता को जो कष्ट है क्या सरकार को उसका पता है तथा क्या सरकार अब शीघ्र टिन चादरों का कोटा वहां के लिये स्वीकृत करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां । सरकार लगातार भारत सरकार को लिखती जा रही है कि सम्पूर्ण राज्य में तथा विशेषकर पर्वतीय जिलों में नालीदार टिन चद्दरों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब कभी भारत सरकार से कोटा प्राप्त होगा तो चमोली जिले को भी अवश्य दिया जायगा ।

*५२--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले में टिन चादरों का कोटा कब से नहीं दिया गया है और क्यों व किन कारणों से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक नियोजन तथा विकास कार्यों का संबंध है चमोली जिले को नालीदार टिन चद्दरों का कोटा बराबर मिलता रहा है । अंतिम बार ११ फरवरी, १९६५ को प्रदेशीय लोहा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

तथा इस्पात नियंत्रक, कानपुर ने चमोली जिले के नियोजन अधिकारी के नाम ५ टन का परमिट भेजा है। आम जनता में वितरण के लिये स्थिति वही है जो पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताई गयी है।

आजमगढ़ जिला पूर्ति अधिकारी, श्री एस० एन० श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायत

*५३—श्री उग्रसेन तथा श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी वहां पर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आजमगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी, श्री एस० एन० श्रीवास्तव वहां पर १२ सितम्बर, १९६४ से काम कर रहे हैं।

*५४—श्री उग्रसेन तथा श्री कृष्णा—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आजमगढ़ के जिला पर्ति अधिकारी पिछले १० वर्षों से किन-किन जिलों में कब से कब तक कार्यरत रहे तथा प्रत्येक जनपद से दूसरी जगह स्थानान्तरण का कारण क्या रहा ? क्या किसी जनपद ने उनके विरुद्ध कोई शिकायत की या भ्रष्टाचार की जांच किसी विधायक द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच का प्रतिफल क्या रहा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आजमगढ़ के वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी श्री एस० एन० श्रीवास्तव पिछले १० वर्षों में निम्नलिखित जिलों में तैनात रहे। प्रत्येक जिले में रहने की अवधि जिलों के समक्ष अंकित है—

बलिया	..	९-७-५२ से २-१०-१९५५
शाहजहांपुर	..	८-१०-५५ से ८-९-१९५६
अलीगढ़	..	१४-९-५६ से १९-९-१९५८
देवरिया	..	२७-९-५८ से ४-१०-१९५९
फर्रुखाबाद	..	१२-१०-५९ से १८-६-१९६३
गोंडा	..	२२-६-६३ से ६-९-१९६४
आजमगढ़	..	१२-९-६४ से आज तक

फर्रुखाबाद सी० श्रेणी का जिला है जहां जिला पूर्ति अधिकारी को २००-५०० के वेतन क्रम में वेतन मिलता है। जब श्री श्रीवास्तव २००-६५० रु० के वेतन क्रम में वेतन पाने के अधिकारी हो गये तो इनका स्थानान्तरण फर्रुखाबाद से बी श्रेणी के जिले में करना पड़ा। शेष जिलों से इनका स्थानान्तरण प्रशासकीय हित में किये गये। उनके विरुद्ध शिकायत या भ्रष्टाचार की जांच किसी विधायक द्वारा नहीं कराई गई थी।

*५५—श्री उग्रसेन तथा श्री कृष्णा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आजमगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी जिस जनपद में भी रहे हैं वहां का अराज पत्रित स्टाफ उनके अशिष्ट व्यवहार से हमेशा छुट्टी लेकर भागता रहा जिससे सरकार के काम में बाधा पड़ती रही ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक सरकार की जानकारी है यह कथन सही नहीं है कि जिला आजमगढ़ के वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी, श्री एस० एन० श्रीवास्तव जिस जिले में भी रहे हैं वहां के अराजपत्रित स्टाफ उनके अशिष्ट व्यवहार से छुट्टी लेकर भागता रहा, जिसके कारण सरकार के काम में बाधा पड़ती रही ।

*५६–५७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[प्रश्नकर्त्ता के सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*५८–५९—श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

[छठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

खाद्यान्न उपज

*६०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय (सालों) चरणों में गेहूं तथा चावल, दाल, अरहर तथा चना की क्या पैदावार हुई ?

श्री चरणसिंह—

बांछित सूचना संलग्न तालिका "क" में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६८१ पर)

*६१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त पैदावार अलग-अलग कितने-कितने क्षेत्रों में हुई ?

श्री चरणसिंह—

बांछित सूचना संलग्न तालिका "ख" में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६८२ पर)

*६२—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिया गया ।]

पूर्ति विभाग, फर्रुखाबाद में कर्मचारियों के सेवा नियम

*६३—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्ति एवं रसद विभाग फर्रुखाबाद जिले के विभिन्न कर्मचारियों की सीनियारटी, पदोन्नति तथा नौकरी के संबंध में कोई नियम अभी तक बने अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो वह कब तक उनके बन जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं।

नियम शीघ्र बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

लेवी स्कीम

*६४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने जिलों में लेवी स्कीम चालू है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

प्रदेश के २९ जिलों में तथा ४ जिलों के निर्दिष्ट भागों में लेवी स्कीम चालू है। इनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६८३ पर)

*६५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या खाद्य मंत्री इस पर विचार करेंगे कि मुरादाबाद जिले को भी लेवी स्कीम के अन्तर्गत ले लिया जाये ? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुरादाबाद जिला लेवी स्कीम के अन्तर्गत पहले से ही है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

बीज के लिये गेहूं का वितरण

*६६—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलेवार कितना गेहूं बीज के लिये प्रत्येक जिले में इस वर्ष भेजा गया और कितना बच गया ?

श्री चरणसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। इसमें से अधिकांश गेहूं खाद्य तथा रसद विभाग के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इसका लेखा जोखा ठीक किया जा रहा है। लेखा जोखा ठीक हो जाने पर इन आंकड़ों में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६८४-६८६ पर)

मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सुविधायें

*६७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मछुओं आदि को व्यवस्थायिक दृष्टि से कुछ सुविधा प्रदान करने के लिये मछली मारने तथा सिंघाड़ा बोने के लिये उनकी सहकारी समितियों को कुछ कम दर पर ठेके प्रदान करने के लिये सरकार कुछ विचार कर रही है। यदि हां, तो पूरी योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को अपनी गिरी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा स्वावलम्बी होकर बड़े बड़े ठेकेदारों एवं पूंजीपतियों के सम्मुख नीलाम में भाग लेकर ठेके मछुआ समिति के हित में ले सकने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समितियों को लम्बी अवधि अर्थात् ५ से ७ वर्ष के लिये विभागीय जलाशयों पर पट्टे पर देने के लिये, उच्चतम बोली पर १२ १/२ प्रतिशत की छूट नीलामी बोली पर देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। पट्टे की शर्त यह है कि इस प्रकार के जलाशय पट्टे के पांचवें वर्ष के दौरान में फिर से नीलाम होंगे और समितियों को उस समय की उच्चतम नीलामी की बोली पर फिर से जलाशय पट्टे पर लेने का हक होगा। पहले २ वर्षों में वार्षिक पट्टे का धन दो किस्तों में तथा उसके बाद के वर्षों में एक किस्त में अदायगी करने का प्राविधान है।

सिंघाड़ा आदि बोने के लिये जो जलाशय नीलाम किये जाते हैं उनमें प्राथमिकता मत्स्य-जीवी सहकारी समितियों को ही दी जाती है ।

फतेहपुर जिले में बन्दी का प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र

*६८—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय फतेहपुर जिले के कैदियों के कितने प्रार्थना-पत्र प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रिहाई हेतु शासन के सामने विचाराधीन हैं तथा यह आवेदन-पत्र शासन को कब कब मिले तथा उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

फतेहपुर जिले के निवासी तथा उसी जिले में दंडित केवल एक बन्दी का प्रोबेशन ऐक्ट की धारा २ के अन्तर्गत रिहाई के लिये (१-१-६२ से २०-१०-६४ तक का) प्रार्थना-पत्र दिनांक २०-१०-६४ को सरकार के विचाराधीन था । यह प्रार्थना-पत्र १०-९-६२ को सरकार को प्राप्त हुआ था और दो वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया ।

झांसी में रिक्शा परमिट

*६९—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में यातायात की कठिनाई को देखते हुये रिक्शा तथा आटो रिक्शा के लिये स्वीकृति देने में क्या कठिनाई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रिक्शों के नये लाईसेंस दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है तथा इस संबंध में आदेश शीघ्र प्रेषित किये जायेंगे । आटो रिक्शा के परमिट कुछ शहरों में दिये गये हैं । इनमें से अधिकांश शहरों में आटो रिक्शा उपलब्ध न होने के कारण गाड़ी चलना प्रारम्भ नहीं हो सका है । उपर्युक्त शहरों में यातायात के इस नये साधन के सफलता से चालू होने के पश्चात् झांसी शहर में आटो रिक्शा परमिट देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

बस्ती जिले में भूमिहीनों को जमीन

*७०—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर डिवीजन के अन्तर्गत बस्ती जिले में कुल कितनी खेती योग्य नई जमीन कहां-कहां तोड़ी गई तथा वह कितने भूमिहीन परिवारों में बांटी गई और उसमें हरिजन परिवार कितने थे ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में मखदूम पशु पोषण फार्म

१—श्री लखीसिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला के मखदूम पशु पोषण फार्म में सन् १९६२, ६३ व १९६४ में कितनी आमदनी हुई ?

श्री चरणसिंह--

इस फार्म पर गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के नर बच्चों को पाला जाता है जिन्हें युवा अवस्था प्राप्त होने पर नाम मात्र दामों पर पशु पालकों को प्रजनन कार्य के लिये दे दिया जाता है। इस कार्य द्वारा सरकार को कोई आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता।

२--श्री लखीसिंह--

क्या यह सत्य है कि उक्त फार्म में सालाना घाटा चल रहा है ?

श्री चरणसिंह--

यह फार्म व्यापारिक नहीं है और यहां केवल राज्य में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये उत्तम सांड़ों को पाला और तैयार किया जाता है और इस कार्य द्वारा किसी लाभ या हानि का प्रश्न नहीं उठता।

३--श्री लखीसिंह--

यदि हां, तो इस की भूमि को अधिक अनाज उपजाने हेतु अलाभ कर जोतने वाले किसानों को तथा भूमिहीन किसानों को क्यों नहीं वितरित किया जाता, जिससे सरकार का खर्च भी कम होगा और अनाज भी अधिक पैदा किया जा सकता है ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--

राज्य में पशुधन के विकास के लिये सरकार के पास इस प्रकार के फार्मों का होना आवश्यक है अतः इस फार्म की भूमि को किसानों में वितरित कर देने का प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून से चावल का निर्यात

४--श्री उमाशंकर--

क्या खाद्य मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि फरवरी और मार्च सन् १९६४ में कई बैगन चावल देहरादून से प्रदेश के बाहर भेजा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं। सरकार के पास फरवरी और मार्च, १९६४ में देहरादून से प्रदेश के बाहर चावल के कई वैगन भेजे जाने की कोई सूचना नहीं है। निजी प्रयोग के लिये अवश्य ही ५५ व्यक्तियों को कुल ७७.४० क्विन्टल चावल देहरादून से प्रदेश के बाहर ले जाने के लिये परिमिट दिये गये।

५--श्री उमाशंकर--

क्या पिछले अप्रैल के ही महीने में केन्द्रीय सरकार के अन्न भंडार का सब गेहूं आटा मिलों को सस्ते दामों पर बेच दिये जाने के कारण आटा मिलों ने किसानों से सस्ते दामों पर गेहूं खरीद कर संचय कर लिया और उस समय तीन-तीन पाली चला कर पिसाई की तथा उस आटे को अनियन्त्रित बाजार में बेचा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं।

६--श्री उमा शंकर--

क्या जनवरी से अप्रैल, १९६४ तक के व्यापारियों को छूट थी जिसके कारण उन्होंने बहुत अधिक तादाद में गोटा अनाज प्रदेश के बाहर भेजा ? यदि हां, तो ये सब किन कारणों से किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जनवरी से अप्रैल, १९६४ तक मोटे अनाज को प्रदेश से बाहर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था अतः व्यापारियों को छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविंशियल मार्केटिंग आफिसर के पद की पूर्ति

७—श्री उमाशंकर—

क्या खाद्य मंत्री को पता है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने खाद्य विभाग के किसी आफिसर के बारे में एक से अधिक बार सिफारिश किया कि उनको प्राविंशियल मार्केटिंग आफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया जाय मगर उस पद पर उस आफिसर को तरक्की देकर पहुंचाया गया जो रीजनल मार्केटिंग आफिसर के लिये भी पक्का (क्वालीफाइड) नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पी० एम० ओ० का पद जो प्रवण पद (Selection post) था दिनांक ३१–३–५८ को रिक्त हुआ । अतः दिनांक १–४–५८ को शासन ने इस पद पर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो इस पद के लिये पूर्ण रूप से उपयुक्त समझा गया । लोक-सेवा आयोग से इस नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने तथा इस विषय में नियुक्ति विभाग से परामर्श करने में काफी समय लग गया । इसके पश्चात् इस पद के लिये ३०–९–६२ को लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षातकार हुआ जिस के फलस्वरूप इस पद पर उक्त समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थी की नियुक्ति ७–११–६२ को की गई । यह सही नहीं है कि शुरू में इस पद पर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो रीजनल मार्केटिंग आफीसर के पद के लिये भी पक्का क्वालीफाईड नहीं था ।

जब्त शुदा बांटों व कांटों का नीलाम

८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो जब्त किये गये कांटे तथा बांट नीलाम होते हैं उनका रुपया कहां जमा किया जाता है ? क्या उस रकम का बाकायदा हिसाब रक्खा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब्त किये गये कांटे तथा बाटों के नीलाम का रुपया बांट तथा माप के निरीक्षक प्राप्त कर सरकारी कोष में जमा कर देते हैं । उस रकम का वाकायदा हिसाब-किताब रक्खा जाता है ।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत प्लाट

९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत कितने नक्शे १९६२–६३ में और १९६३–६४ में कन्ट्रोलिंग अथारिटी तथा प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ने स्वीकार किये ? उन से संबंधित प्लाटों के क्या खसरे नम्बर हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गाजियाबाद विनियमित क्षेत्र में सन् १९६२–६३ में कुल २३० नक्शे स्वीकार किये गये जिनमें से १९१ नियत अधिकारी ने तथा ३९ नियत प्राधिकारी ने स्वीकार किये । सन् १९६३–६४ में कुल २०० नक्शे स्वीकार किये गये जिनमें से १९१ नियत अधिकारी ने तथा ९ नियत प्राधिकारी ने स्वीकार किये ।

उस समय प्रार्थी साधारणतया खसरा संख्या नहीं देते थे और अधिकतर पत्रावलियों में खसरा संख्या उपलब्ध नहीं है इसलिये खसरा संख्या देना सम्भव नहीं है ।

१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ऐसे कितने प्लाट हैं जिनके नक्शे लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ के गजट में नोटिफिकेशन के बाद स्वीकार किये गये या अपील द्वारा स्वीकार हुये और उनकी अपील क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ४ (१) के अन्तर्गत विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के बाद नगरपालिका, गाजियाबाद की सीमा के अन्दर २० व सीमा के बाहर ३४ नक्शे स्वीकार किये गये ।

११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में किन-किन नम्बर (खसरा नं०) को धारा ४ के अन्तर्गत गजट में नोटिफिकेशन के बाद ही नोटिफिकेशन के लिये सरकार को १९६० तथा १९६२ के बाद लिखा गया था ? उन में किन-किन का डिनोटिफिकेशन गजट में छप गया है और इस डिनोटिफिकेशन के क्या कारण थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१६ जुलाई १९६० को गाजियाबाद में लगभग ३४००० एकड़ भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ४ (१) के अन्तर्गत विज्ञप्ति की गयी थी जिसमें से सरकार को लगभग २४,००० एकड़ भूमि डीनोटीफाई करने के लिये लिखा गया था और जो डी० नोटीफाई कर दी गयी । इस भूमि के खसरा संख्या उपलब्ध नहीं है इसलिये उनको बताना संभव नहीं है । इसके पश्चात् तो भूमि डीनोटीफाई की गयी उससे संबंधित विज्ञप्ति की प्रति जिसमें खसरा संख्या दी हुई हैं, सदन की भेज पर प्रस्तुत है । इस भूमि को डीनोटीफाई करने का कारण यह था कि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को विकास कार्य करने के लिये उसकी आवश्यकता नहीं थी ।

सरकार को मौजा जटवारा कलां के खसरा संख्या ३४८,३४९, ३५०,३५१ तथा ३५३ को डीनोटीफाई करने के लिये लिखा गया था परन्तु यह डीनोटीफाई नहीं किये गये ।

अभी बहुत सी प्लाटों के डीनोटीफिकेशन के मामले सरकार के विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६८७–६९० पर)

टाउन एरिया, स्वामी बाग में रिक्शा लाइसेंस

१२—श्री रामसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार ने प्रतिवर्ष दस प्रतिशत रिक्शा लाइसेन्स में कमी करने का आदेश स्थानीय संस्थाओं को दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । ऐसे आदेश नागरपालिकाओं, नोटीफाइड तथा टाउन एरियाओं को भेजे गये थे, बाद में इन नगरपालिकाओं में से पांच नगरपालिकाओं में महापालिकायें स्थापित हुईं ।

१३—श्री रामसिंह (एटा)—

आगरा महापालिका ने हाल ही में कई सौ नई रिक्शाओं के लाइसेन्स अधिक जारी कर दिये है ? जिसका शासन ने कोई विरोध नहीं किया लेकिन उसी के समीपवर्तीय टाउन एरिया स्वामीबाग ने कुछ रिक्शाओं के लाइसेंस जारी किये, तो सरकार ने जवाब तलब किया ? ऐसा भेदभाव क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

भूतपूर्व चेयरमैन, टाउन एरिया, स्वामी बाग के विरुद्ध इस प्रकार का एक आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वर्ष १९६१-६२, १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में रिक्शा लाइसेन्स में वृद्धि की जब कि शासन के आदेश उसके विरुद्ध थे। जवाब तलब जिलाधीश ने किया था, शासन ने नहीं। जहां तक महापालिका का प्रश्न है तत्कालीन आगरा नगरपालिका ने शासनादेश के अनुसार रिक्शा उपविधियां बनाई थी जिसमें दस प्रतिशत कमी करने का प्राविधान किया गया था परन्तु बाद में महापालिका की स्थापना होने पर महापालिका ने नवीन नियम बनाये जिनमें दस प्रतिशत कमी करने का प्राविधान नहीं रक्खा गया। महापालिका के विचार के अनुसार उक्त नियमों के लागू होने पर म्युनिसिपल ऐक्ट के अधीन बनी रिक्शा उपविधियां रद्द हो गई और रिक्शों के नये लाइसेंस दिये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं रहा। उक्त टाउन एरिया प्रारम्भ से ही शासनादेश के विरुद्ध नये रिक्शों के लाइसेंस देती रही है जबकि महापालिका ने इस साल से ही नये लाइसेंस देना प्रारम्भ किया है। इस बीच शासन की नीति में भी परिवर्तन हुआ है और दस प्रतिशत कमी करने के आदेशों को बदलते हुए कुछ नये आदेश शीघ्र ही जारी होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसे आदेशों के फलस्वरूप जनता को असुविधा हो रही है। नये आदेशों की दृष्टि में आगरा महापालिका के उक्त कार्य के विरोध की वान्छनीयता पर विचार किया जायगा।

याचिका समिति (१९६४-६५) का सप्तम प्रतिवेदन*

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की (१९६४-६५), का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने एक प्रिविलेज का मामला दिया है ...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह इस विषय का है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को ५ रुपये वेतन वृद्धि होगी। परम्परा और आपकी व्यवस्था यह है कि जब सदन चल रहा हो तो ऐसी घोषणा पहले यहां होनी चाहिये।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

वास्तव में यह कोई घोषणा नहीं है और न इसमें कोई नीति का सवाल है कि इसे सदन के सामने आना चाहिये था। यह तो फाइनेंशल हैंडबुक के अनुसार मुख्य अभियन्ता को वर्क-चार्ज का वेतन बढ़ाने का अधिकार है। चूंकि यह निर्णय मुख्य अभियन्ता ने ले लिया था, मैंने उन्हें सूचना दे दी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मुख्य अभियन्ता ही पहले बता देते।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या मंत्रीजी यह भी सूचना देंगे कि १२॥ रुपये तक बढ़ोत्तरी हो ?

---

*छापा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह अलग सवाल है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

इसका मेम्बरों को स्वागत करना चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

वृद्धि का तो मैं स्वागत करता हूं । लेकिन प्रश्न केवल यह है कि यह बात पहले सदन में आती, चूंकि सत्र चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

लोक सभा के अध्यक्ष की भी रूलिंग्स हैं और बारबार यह कहा गया है कि नीति के बड़े सवालों की घोषणा यहां होनी चाहिये, लेकिन जो यह सूचना बाहर दी गई, इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

हमारे मामले का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह प्रश्न माननीय अध्यक्ष के सामने उठा था, उन्हीं के विचाराधीन है और वही निर्णय देंगे ।

श्री उग्रसेन---

आप कुर्सी पर विराजमान हैं, तो आप कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे ?

अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं । उनमें कुछ तो माध्यमिक शिक्षक वर्ग के संबंध में हैं, उस पर मैं समझता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव में और नियम ५३ में कई कई बार बजट के समय में बहस हो चुकी है.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

नहीं श्रीमन्, एक बात सुन लें.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

पांच अध्यापक आज कौंसिल हाउस के सामने अनशन कर रहे हैं, उनकी अन्य शाखाओं के लोग भी अनशन कर रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

दो साहब एक साथ बोल रहे हैं, यह उचित नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

अभी आपने यह आदेश दिया कि इसके पहले अविश्वास के प्रस्ताव में इस पर विवाद हो चुका है और इसके बारे में भी विवाद हो चुका है तो यह कोई स्टापेल नहीं है । जब नयी

परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वह पुराना नियम कि एक मर्त्तबा विवाद हो चुका है वह गायब हो जाता है चाहे जिस भी क्षेत्र के अन्दर लीजिये। तो इसी प्रकार आज इस क्षेत्र के अन्दर एक नयी परिस्थिति पैदा हो गई है। विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के सारे अध्यापकों ने कह दिया है कि हम परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और आगरा विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षायें अनिश्चित काल के लिये टाल दी हैं। सरकार के इशारे पर डिग्री-कालेजेज के प्रबन्धक लोग वहां के अध्यापकों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें आतंकित कर रहे हैं कि तुम्हें नौकरी से बरखास्त कर देंगे। तो आज जो श्रेय प्राप्त है हमारे अध्यापकों को कि उन्होंने कितने शान्ति पूर्ण ढंग से अपने आन्दोलन का संचालन किया है, उसमें सरकार उत्तेजना क्यों उत्पन्न कर रही है? सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि वह स्वयं बैठकर के कोई तरीका निकाले तो क्या आप इसको उचित नहीं समझते कि यहां का कार्य स्थगित किया जाय और इस पर विचार किया जाय। इस पर कभी विचार नहीं हुआ। बिलकुल नयी परिस्थितियां आ रही हैं.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमने भी कामरोको प्रस्ताव दिया है .....

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, एक एक वाक्य में आप भी कह लीजियेगा।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आपने सही कही है कि इस गम्भीर प्रश्न पर सदन में कई बार विचार किया जा चुका है। लेकिन श्रीमन्, जो नयी परिस्थिति पैदा हुई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि आप कोई रास्ता निकालें जिससे सही सूचना और सही बात से यह सदन अवगत हो जाय। जो परिस्थितियां पैदा हुईं उनमें नम्बर एक तो यह कि आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षायें अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई हैं। मेरे पास उसके बारे में दो तरह की सूचनायें हैं। एक तो यह कि वहां के वाइसचांसलर आये और उन्होंने गवर्नर साहब से, जो कि उसके कुलपति भी हैं, कहा कि सरकार सहायता दे तो हम परीक्षायें संचालित करायें। सरकार ने वह सहायता देने से इन्कार कर दिया। दूसरी इसके विरोध में यह सूचना है कि वहां के वाइसचांसलर ने सहायता मांगी ही नहीं सरकार से लेकिन अगर नहीं भी मांगी थी तो भी गम्भीर प्रश्न इसलिए पैदा हो जाता है कि लगभग ४० हजार विद्यार्थी हैं और सारे प्राध्यापकों ने निश्चय किया है कि वह परीक्षा में सहयोग नहीं करेंगे, अगर वह सहयोग नहीं करते हैं, सरकार से वाइस चांसलर कोई सहायता मांगते नहीं, सरकार उसके लिए कोई प्रबन्ध करती नहीं तो स्थिति यह है कि सम्भव है कि वह परीक्षायें हो न पायें और इसलिए एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है जो पूरे प्रदेश के अन्दर है और जिससे सारे प्रदेश पर गहरा संकट है, तमाम प्रदेश उससे प्रभावित है।

दूसरी परिस्थिति यह है कि जब होली के लिये यह सदन स्थगित हुआ था उस से पहले एक गम्भीर स्थिति थी। उस बीच में समाचार-पत्रों में यह समाचार आया है कि हमारे विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री खेर जी ने एक फारमूला प्रस्तुत किया था, उन्होंने स्वयं कोशिश की कि उनके माध्यम से मसला हल हो जाय। उसके बारे में दो रिपोर्ट हैं कि अध्यापकों ने उसे स्वीकार नहीं किया और दूसरी यह कि सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो अब क्या परिस्थिति है सही उसको हम जानना चाहेंगे? समाचार-पत्रों में यह भी समाचार आया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, चन्द्रभानु गुप्त, के पास भी लोग गए और उन्होंने भी कोशिश की लेकिन समाचार-पत्रों की रिपोर्ट है कि वह भी सफल नहीं हुए इस प्रयास में। स्थिति गम्भीर है। अब हमारे विधान भवन के सामने ५ अध्यापक भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अन्दर एक गम्भीर और संकट की स्थिति है। तो जाहिर है कि शिक्षा क्षेत्र का संकट बढ़ता जा रहा है, इसलिए चिन्ता ज्यादा है। इसलिए कोई न कोई रास्ता आप निकालें ताकि क्या स्थिति है सही-सही उससे सदन अवगत हो सके।और दूसरी बात यह है कि माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने स्वयं इस सदन के सामने कहा था माननीया मुख्य मंत्री जी उस दिन यहां नहीं थीं, आज वह आ गई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि माननीय डाक्टर साहब ने यह प्रार्थना की थी सरकार से कि चूंकि संकट गहरा है हम सब लोग इस बात के इच्छुक हैं कि इसका हल निकले। उन्होंने आफर किया था कि तमाम विरोधी दल के लोगों की एक साथ बैठक बुला कर साधन निकालने की कोशिश करें, जिससे यह समस्या सुलझे।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त यह बतायें कि इस प्रस्ताव की अनुमति होनी चाहिए या नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री इस आफर को स्वीकार कर रही हैं कि सम्मेलन बुला कर साधनों के लिए रास्ता निकाला जाय जिससे इस मांग को स्वीकार कर के इस संकट को दूर किया जा सके ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि जो मास्टर लोग अनशन कर रहे हैं, वह तो गम्भीर है ही, सब से गम्भीर बात यह है कि उनके संघ ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में सामूहिक रूप से अनशन करेंगे, माननीय राजनारायण जी ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है कि २३ तारीख से वह अनशन करेंगे अनिश्चित काल तक के लिए। तीसरी बात यह है कि जितने प्रबन्धक वर्ग के लोग हैं, उनसे जब सरकार ने यह कहा कि तुम्हारी अनुदान बंद कर देंगे, तब से मैनेजर लोग मास्टरों के साथ बेरहमी का बरताव कर रहे हैं। मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का भी बयान अखबारों में पढ़ा था कि वह बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा कि पहले अध्यापकगण जो रास्ता अपनाए हैं, उसको छोड़ दें। अध्यापकों का कहना है कि हमारी मांगें पहले स्वीकार कर लें तो हम इस हथियार को छोड़ दें। माननीय कैलाश प्रकाश जी कहते हैं कि उनके पास ५९ लाख रुपया है, थोड़ा सा रुपया अगर और हो जाय तो मैं समझता हूं कि सारा काम पूरा हो सकता है। इसलिए, श्रीमन्, आप सरकार को मजबूर कीजिए कि वह हमारी मांग को मान ले, वर्ना स्थिति बड़ी विस्फोटक है जो किसी दिन फूट जायगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपने पूछा कि वह कौन-सी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से नियम ५२ के अन्तर्गत इस प्रश्न को लें। दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आ गये हैं, पहला तो यह कि जो यह इम्तहान हो रहे हैं, उसमें बड़ी नकल हो रही है और जितने सरकारी कर्मचारी वहां गये.....

श्री उपाध्यक्ष—

नकल वाली बात इसमें नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरी सूचना है कि जितने सरकारी कर्मचारी आज इम्तहान ले रहे हैं, उनके कारण बहुत सारा काम का नुक्सान हो रहा है, सारे आफिसेज का काम रुका पड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि इस पर बहस की जाय। तीसरे यह है कि अनशन शुरू हो गया है। कुछ लेजिस्लेटर्स

भी अनशन करने की सोच रहे हैं। ऐसी हालत में यह और भी आवश्यक हो गया है कि माननीया मुख्य मंत्री शीघ्र आश्वासन दे दें कि अध्यापकों की मांग जल्दी से जल्दी मान ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीया मुख्य मंत्री, आप कुछ कहना चाहती हैं?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे यह कहना है कि शिक्षा मंत्री अभी मौजूद नहीं हैं, कल या परसों, फाइनेन्स कमीशन के साथ हम लोगों को बैठना है, इसलिए शिक्षा मंत्री जी की गैरहाजिरी में कोई बात हम नहीं कह सकते। इसलिये यह बहस आज नहीं हो सकती।

श्री उग्रसेन—

तो इसको मंजूर कर लीजिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हम समझते हैं कि टालने वाला जवाब माननीय मुख्य मंत्री दे रही हैं। स्थिति गम्भीर होती जायगी, और यदि इस बारे में कोई उचित कदम न उठायेंगे, तो विस्फोट को कोई रोक नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा यह मत है कि....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

बिना मुझे सुने ही.....

श्री उपाध्यक्ष—

काफी सुन लिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कैसे सुन लिया? यह कहिए कि बोलने ही नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक माध्यमिक शिक्षक वर्ग का संबंध है, कई दफा यहां पर यह प्रश्न उठ चुका है। एक दफा अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो चुकी है।

श्री उग्रसेन—

आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को, कृपया दोहरायें न।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बीच में न बोलें, पूरी बात सुनें। मैं कह रहा था कि यह प्रश्न कई बार उठ चुका है। गवर्नमेंट की पोजीशन इसमें साफ हो गई है। इसमें कोई गवर्नमेंट की बात रही नहीं। अनशन के बारे में बहुत-सी रूलिंग्स हैं कि अनशन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिस पर कामरोको प्रस्ताव आ सके। जहां तक विश्वविद्यालय का संबंध है, वह एक स्वतंत्र और आटोनामस बाडी है, उन्होंने जो कुछ निर्णय लिया हो, उससे गवर्नमेंट का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं इस कामरोको प्रस्ताव को तथा संबंधित अन्य सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे दुःख है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर खिलवाड़ की जा रही है और यहां उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिये हम ५ मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश के कुछ जिलों में गेहूं का गलत बीज बांटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ सूचनाएं आई हैं, जिनको मैंने निम्न को छोड़ कर अस्वीकृत कर दिया। एक नियम ५२ की यह सूचना है कि सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, गोंडा तथा बस्ती और मुरादाबाद जिलों में राजकीय बीज भंडार से, बीज लेकर बोये गये खेतों में तैयार गेहूं की बालियों के स्थान पर सूखी हुई ज्वार जैसी कोई चीज निकली है। यह बड़ा गंभीर विषय है कि हमारे बीज भंडारों से बीज लेकर बोया गया और ऐसी बात सामने आई। मैं इसको स्वीकार करता हूं। माननीय कृषि मंत्री, आप इस पर कब वक्तव्य देंगे?

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

यह मैं बालियां लाया हूं, इसको देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसको मंजूर कर लिया है।

यह सूचना माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा सूरजलाल गुप्त जी की है। दूसरी माननीय रामसुन्दर पाण्डेय की है। यह इसी से सम्बन्धित है, और नियम ५२ में है। कृषि मंत्री जी, आप इस पर कब वक्तव्य देंगे?

कृषि उप-मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अगले सोमवार को।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपके पास भेज दिया है तथा माननीय माल मंत्री को भी दिखाया है। इसको देखने के बाद हैरत हो जाती है कि गेहूं के बीज में बजरी कैसे हो गई? तो सोमवार के बहुत ज्यादा दिन हैं। इसके बारे में जल्दी ही वक्तव्य होना चाहिए। दूसरे यह है कि आप जानते हैं कि बरेली तथा पहाड़ी जिलों में पछुआ हवा, पाला से बहुत-सी फसल मारी गई है.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह अलग बात है।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, बरेली में बहुत ओला पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५२ की बहुत नोटिसेज हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

हमने भी एक बद्रीनाथ धाम के बारे में दिया है, उसको भी आप कृपया देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मैं कहना चाहता था कि दफा ५२ व ५३ में जितने अधिकार हैं वह सब आपके हाथों में निहित हैं, मास्टरों का जो सवाल है, प्रदेश में काफी जटिल होता जा रहा है .....

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर अब मैं नहीं सुनना चाहता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं समझता हूं कि यह रोग बढ़ेगा और इस का प्रभाव अन्य प्रदेशों पर भी पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ठंडे दिल से इस पर विचार होना चाहिए। यदि विचार नहीं होता है तो समस्या गम्भीर होती जायगी। मेरी राय में इसको सुलझाने का एक ही रास्ता है कि हम लोग सब बैठ कर ठंडे दिल से विचार करें तथा कोई हल निकालें। आप को इस बारे में हमारी सहायता करनी चाहिये। हमें खेद है कि सरकार ने इस बारे में जो उदासीनता दिखाई है, उसके विरुद्ध हम लोग सदन का ५ मिनट के लिए बहिष्कार करते हैं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्यागकर चले गये।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

माननीया मुख्य मंत्री ने इस बात का विरोध नहीं किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

जो निर्णय था वह मैंने दे दिया है। कोई जरूरत नहीं... इस समय बहस नहीं हो सकती। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब मैं कोई बात नहीं.....

श्री झारखण्डेराय—

आज नहीं तो कल हो, परसों हो.....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, अब कुछ नहीं हो सकता।

श्री झारखण्डेराय—

मैं सदन का त्याग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप की खुशी है।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, हम लोग भी जाते हैं।

(विरोधीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास दफा ५२ की और सूचनायें आई हैं। उनको मुख्य मंत्री जी के पास केवल वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

किन-किन की ओर से सूचनायें हैं, श्रीमन्, यह भी बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

सारे प्रदेश की, जहां ओले और पानी से नुक्सान हुआ है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, देख लीजियेगा, इसमें बरेली की सूचना जरूर शामिल हो।

श्री उपाध्यक्ष--

बद्रीनाथ में लैन्ड स्लाइड जो हुआ था उसको मैं भी केवल वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, वक्तव्य कब होगा?

अनुदानों पर विवाद के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना और देना चाहता हूं। वह यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात कही थी कि आयोग-कमिश्नर्स की चर्चा नहीं होगी। अब उन्होंने यह मांग की है कि सामान्य प्रशासन के साथ-साथ उस की भी बहस हो जाय। इसलिये उस के साथ इस पर भी बहस होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

इसी सम्बन्ध में मैं सरकार से एक सूचना लेना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे ऐसा पता चला है कि....

श्री उपाध्यक्ष--

मंजूर हो गया है.....

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, यह जो कार्यक्रम बना था, उसके सम्बन्ध में मुझे सूचना लेनी है। मुझे पता चला है कि आप का जो कार्यक्रम है वह ११ मई तक था। वह कार्यक्रम अब ८ अप्रैल तक कर दिया गया है। मुझे ऐसी जानकारी है। संसदीय मंत्री इस पर कृपया अपना बयान दें। यहां आपस में गुप्ता गुट और त्रिपाठी गुट में इतना झगड़ा है कि त्रिपाठी गुट ने आधे से ज्यादा मेम्बर्स के दस्तखत भी करा लिये हैं और वे चाहते हैं कि सदन का सेशन न हो। इस पर आप पहले वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

२९ तारीख तक बजट चल रहा है। २९ के बाद जो आप इस सम्बन्ध में कहना चाहें, वह कहिये।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है आज के प्रश्नों स सम्बन्धित, यदि आप आज्ञा दें तो संक्षेप में कहूं। मान्यवर, मैं आज के प्रश्नों में ३१ नम्बर के प्रश्न की ओर, और नियमों में नियम २९ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नियम २९ में लिखा है कि अगर कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न करें या उस प्रश्न में कोई इन्सीनुएशन करें तो उसको सत्यता के लिए वह जिम्मेवार होंगे। ३१ नवम्बर का जो प्रश्न है, मैंने इसका उत्तर देखा। यह प्रश्न इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, श्री गोविन्दसहाय, के पुत्र से सम्बन्धित है और उस प्रश्न का उत्तर है "जी नहीं"। यानी सरकार की तरफ से उनको बिलकुल निर्मूल बताया गया है। क्या आप इस सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवस्था देने की कृपा करेंगे कि जब इस प्रकार के कोई प्रश्न हों तो प्रश्नकर्त्ता से आप कोई सोर्स या जानकारी का माध्यम जानने की कोशिश करें ताकि जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं वे इस सदन के निराधार प्रहार से बच सकें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसे लिख कर दे दें, तो इस पर विचार कर लिया जायगा।

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं—के अन्तर्गत १४, ४२, २०, ५०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार—के अन्तर्गत ७८,५३,६०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत २,०२,२७,७०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २१,८०,६७,३०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं १९६५–६६ की इन मांगों के सम्बन्ध में, जो आज मैंने प्रस्तुत की हैं, कुछ कहने से पहले १९६४–६६ के वर्ष में जो कार्य हुआ है, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। १९६४–६५ में निर्माण कार्य संपादन के लिए १४,२१,००,०९८ रुपया की व्यवस्था की गयी थी। इसमें से ६ करोड़ ६२.०२ लाख रुपया भवन निर्माण के लिये, ७,३१,३७,००० रुपया नयी सड़कों और पुलों के लिये रखा गया था। इसमें ६.९२ लाख रुपया खर्च हुआ और ३९ लाख रुपया हम खर्च नहीं कर पाये, जो हमें सरेंडर करना पड़ा। इसका कारण यह था कि इनमें से कुछ सड़कें सी० सी० ट्रैक की थीं जिनका रुपया कुछ चीनी मिलों से मिलता है, वह देर में प्राप्त हुआ तथा उसकी स्वीकृति देर में हुई, कुछ के आगणन तैयार नहीं हो पाये और कुछ में भूमि मिलने में देरी हुई, इन कारणों से वह रुपया हम खर्च नहीं कर पाये। भवन निर्माण में ६ करोड़ ६२.०२ लाख रुपया हमको खर्च करना था जिसमें से २ करोड़ ४६ लाख नहीं कर पाये। इसका कारण यह हुआ कि भिन्न-भिन्न विभागों से जो कार्य हमें दिये जाते हैं उनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल आने में देरी हुई, तथा भूमि प्राप्त करने में कठिनाई हुई। लेकिन आगे से ऐसा प्रबन्ध कर दिया गया है कि बजट में आगे से इन चीजों के लिये धनराशि उस समय ही दी जाय, जब योजना तैयार हो जाय और भूमि प्राप्त हो जाय। इस कारण आशा है कि इस मद में आगे से कम से कम रुपया ही हमें सरेंडर करना पड़ेगा।

भवन निर्माण में एक कठिनाई यह है कि सीमेंट और लोहा मुश्किल से मिलता है। सीमेंट के बारे में हमारा प्रयत्न यह है कि चूने का उपयोग किया जाय और सीमेंट का उपयोग वहीं किया जाय जहां अनिवार्य हो।

चार जिलों में अग्रिम योजना का प्रोजेक्ट चल रहा है—गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया में। इसमें इस बजट वर्ष के अन्त तक २० लाख रुपया खर्च कर लेंगे। इसके अलावा एक नया काम और इस बजट में है पार्शिवक सड़कों का। एक सड़क बरेली से नीम गांव जाती है। उस पर भी हम ३१ मार्च तक ३५ लाख रुपया खर्च कर लेंगे। करीब दो साल हुए हमने एक रूरल मैन पावर स्कीम यानी श्रमशक्ति योजना बनायी ताकि इसके अन्तर्गत कुछ जिलों में साल के अन्दर जब काश्तकार बेकार रहते हैं तो उन को कुछ काम दिया जाय जिससे कुछ सड़कें बन जायं और उनको भी कुछ रोजगार मिल जाय। इस सिलसिले में सन् १९६३–६४ में हमने २४ लाख रुपया खर्च किया और करीब ५० लाख रुपया सन् १९६४–६५ में खर्च किया गया। बाकी रुपया अगले दो, तीन सालों में खर्च होने वाला है। इलाहाबाद में कुम्भ मेले के लिये पीपे का पुल बनाने के लिये हमने २४ लाख रुपये की मांग की थी। इसमें से हम केवल १६ लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, इसका कारण यह है कि पीपे का पुल जिस स्टील शीट्स से बनता है वे हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सके। जितने शीट्स हमें मिले उनके पीपे हमने बनवा दिये और बाकी के लिये हम कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हम को उसके लिये स्वीकृति मिली है और जब शीट्स हम को मिल जायेंगे तो उस काम को भी हम पूरा करा देंगे।

अब आपकी सेवा में मैं सन् १९६५–६६ के आय-व्ययक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सन् १९६५–६६ में इस विभाग के लिये कुल ३९ करोड़ १० लाख रुपये की व्यवस्था है। इसमें भवन तथा सड़कों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण के लिये ५६४ लाख रुपये की धनराशि भी शामिल है। अब तक सड़कों के रखरखाव पर प्रति मील ३ हजार रुपया खर्च होता था लेकिन अब इन पुलों तथा सड़कों पर यातायात इतना भारी हो गया है कि पिछले आधार पर आज हम इन सड़कों की रखरखाव व मरम्मत नहीं कर सकते हैं। आज मंहगाई बढ़ी हुई है, इन सब चीजों को देखते हुये हमारे विभाग ने मांग की है कि इसको बढ़ा कर ४,५०० रु० प्रतिमील कर दिया जाय लेकिन धन की व्यवस्था न होने के कारण हाल में हमने ३,५०० रु० प्रति मील के हिसाब से इन सड़कों के रखरखाव के लिये रखा है।

दूसरी बात यह है कि पहले यातायात कुछ कम था तो तीन वर्ष में सड़कों को मरम्मत करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब अधिक यातायात बढ़ जाने की वजह से तीन वर्ष तक इन्तजार न कर के, इसके पहले ही सड़कों की देखभाल व उनकी व मरम्मत करते हैं।

वर्तमान बजट में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये १३ करोड़, २२ लाख ७१ हजार रुपये की योजना की गयी है। इसमें से ५ करोड़ रुपया लैटरल रोड्स के लिये है। १६२३ मील नयी सड़कों, १०४४ मील पक्की सड़कों और ६५ नये पुलों के सुधार का कार्य इस वक्त चल रहा है।

अगले वर्षों में इन रुपयों का जो उपयोग होगा वह इन कार्यों के सम्पादन पर होगा। सन् १९६५-६६ के दौरान ५२१ मील नयी सड़कें बनाकर तैयार करनी है और ३५५ मील लम्बी वर्तमान सड़कों में सुधार होगा और २४ नये पुल हमारे यातायात के लिये खुल जायेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों तथा पुलों के रखरखाव, मरम्मत के लिये ४० लाख रुपये की योजना है जिससे कुछ नये यंत्र व इक्विपमेंट लिये जायेंगे। आज हमें भूमि प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है और सर्वेक्षण करने में भी समय लगता है, तो हम चाहते हैं कि सर्वे लैन्ड एक्वीजिशन तथा एस्टीमेट तैयार करने के लिये हम इस साल इन रुपयों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में जब हम अपना काम शुरू करना चाहें तो तुरन्त ही शुरू कर दें, क्योंकि एक साल पहले ही से इसकी तैयारी करने से हमें काफी सहारा मिल जायगा।

हमने एक पुल निधि कायम की है जिसमें अभी तक कुछ रुपया जमा था। अब तक हमारी यह नीति रही है कि हम केवल उन्हीं सड़कों के पुलों को बनाते हैं जिनको पी० डब्ल्यू० डी० ले लेती है और पक्की सड़क हो, कच्ची सड़क पर अभी तक पुल बनाने की कोई नीति नहीं थी। मैंने पिछले वर्ष बजट के समय इसका जिक्र करते हुये निवेदन किया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। हमने यह भी निश्चय किया है कि ऐसी कच्ची सड़कें जिन की हाल में बनाने की व्यवस्था न हो सके लेकिन उनके कारण यातायात में कठिनाई होती है उन पर पहले पुल बनवा दिये जायं और पक्की सड़क की कोशिश जारी रहे। इस दिशा में हमने ६ पुल लिये हैं और आगे भी योजना बनाकर अधिक पुल लेने की कोशिश की जायगी।

भवनों के निर्माण के लिये भी ६ करोड़ ९१.८९ लाख रुपये की हमने व्यवस्था की है। २५ लाख रुपये की व्यवस्था विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के निवासों के लिये की गई है, २० लाख रुपया औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यालयों के लिये वर्कशाप के निर्माण हेतु रखा गया है और २५ लाख रुपया गोरखपुर और झांसी में २ नये मेडिकल कालेजों के निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये रखा गया है।

इसके अतिरिक्त सन् ६४-६५ में जो हमारा अधिष्ठान पर व्यय होता था वह कुल व्यय का ६.१ प्रतिशत था परन्तु इस साल वह बढ़कर ६.७ प्रतिशत हो जायगा लेकिन हमारा यह अनुपात दूसरी स्टेट्स से बहुत कम है। आम तौर से सभी स्टेट्स में यह अनुपात ६.७ से अधिक है, कहीं ८.४ है, कहीं ११ प्रतिशत भी है लेकिन हमारे यहां ६.७ तक ही है।

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि पहले जो सड़कें बनाई गई थीं उन में भार सहन करने की क्षमता कम थी। आज ७ टन से दस टन तक भार सड़कों पर आता है और इसी वजह से आज अधिक मजबूत सड़कों की जरूरत है। इसके अलावा हमारे लिये सड़कों को चौड़ा करने की भी जरूरत है। ९ फुट से कम चौड़ी सड़क से अब काम चलना मुश्किल है, ९ से १२ फुट की सड़क कम से कम होना चाहिये क्योंकि भारी ट्रक्स का प्रेशर एक सा ही पड़ता है और सड़कें जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन अगर उन सड़कों को चौड़ा कर दिया जाय तो भार बंट जाता है और

[श्री जगनप्रसाद रावत]

ज्यादा देर तक सड़कें चल सकती हैं । ४,००० मील सड़कें है जिनकी सतह को हम मोटा करना चाहते हैं । ५०० मील सड़कें पक्की और ऊंची करना चाहते हैं और ३,००० मील चौड़ी करना चाहते हैं । इस पर ८० करोड़ के व्यय का अनुमान है और चौथी, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में इसको हम थोड़ा थोड़ा बांटना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि यह व्यवस्था की जाय ।

विभाग का कार्य आम तौर से ठेकेदारों से ही कराया जाता है । हम ने पिछली बार भी कोशिश की थी और अब भी कर रहे हैं कि कुछ काम हम लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज से या पंचायतों से या भारत सेवक समाज से या जो और इस तरह की अन्य संस्थायें हैं उनसे भी कराने की कोशिश कर रहे है । (व्यवधान) इस के अलावा यह भी हमारी कोशिश है कि बहुत से कार्य हम विभाग द्वारा ही करायें । हम ने २ पुल विभाग द्वारा ही बनवाये हैं । पिछली बार राप्ती के पुल पर भी जब ठेकेदार ने गड़बड़ की तो उस का निर्माण भी हमने विभाग से ही कराया, और भी ३–४ पुल विभाग के सुपुर्द किये गये हैं और हमें खुशी है इस बात की कि यह काम हमारे, बमुकाबले ठेकेदारों के, किफायत से हुये हैं । ५–६ कामों में हमारे यहां इस तरीके से काफी बचत हुई है । हमारी अब कोशिश है कि विभाग के द्वारा ही हम अधिक से अधिक काम करायें और इस काम के लिये एक अलग से विभागीय यूनिट भी खोलने का हमारा विचार है ।

अभी कुछ पहले भी और अब भी मैंने निवेदन किया कि हमारे यहां पर काम करने वालों का एक वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट भी होता है जिनकी तादाद २० हजार की है । हमारे बजट में जो मंहगाई भत्ता मंजूर हुआ था, उसमें ये लोग नहीं आते थे क्योंकि ये टम्पोरेरी होते हैं । लेकिन कठिनाइयां उनकी भी हैं । पिछली बार उनको ५ रु० मंहगाई भत्ता दिया गया था लेकिन मेरे विचार में वह काफी नहीं था । इस मर्तबा भी हमने फिर ५ रुपये दिया है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे संतोष नहीं है कि इतने रुपये से हम उनकी कठिनाई को दूर कर सकते हैं । चूंकि हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है तो जो साढ़े तीन हजार रुपये प्रति मील सड़क के लिये हमें मिलता है उसमें से ही हम देते हैं । इसमें सड़कों के रख रखाव की व्यवस्था भी करनी पड़ती हैं । इन लोगों की और भी बहुत सी आवश्यकतायें हैं ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उन्हें परमानेंट कर दीजिये । सब ठीक हो जायगा ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुछ सुविधायें उनकी ऐसी हैं कि जो परमानेंट न होते हुये भी उनको लाभ हो सकता है और उन पर भी हम कोई न कोई कार्यवाही अवश्य करेंगे । परमानैन्सी के बारे में पिछली बार हमने एक हजार आदमियों को रेगुलर किया । अब और कोशिश करेंगे कि कुछ और को रेगुलर कर सकें । जो भी सुविधायें हो सकेंगी, वे हम ज्यादा से ज्यादा देनेकी कोशिश करेंगे । इसके अतिरिक्त बजट क संबंध में आप लोग भी जो सुझाव देंगे उनसे भी मैं लाभ उठाने की कोशिश करूंगा ।

इसके अलावा हमारा एक रिसर्च का सेक्शन है और एक टेस्ट हाउस है । टेस्ट हाउस जो हमारा है उसमें हम जो पुल, बिल्डिंग या सड़कें बनाते हैं, उनके संबंध में जांच करते हैं कि सीमेंट और बालू का अनुपात क्या है । इस मर्तबा हमने उसमें करीब ३,३०० नमूनों की परीक्षा की है । अब चूंकि परीक्षण का काम बढ़ने लगा है, इसलिये हमने परीक्षण का काम और अनुसंधान का काम अलग अलग कर दिया है जिससे हमारा परीक्षण का काम अलग से होता रहे और अनुसंधान का काम अलग से होता रहे । अनुसंधान के सिलसिले में कुछ कार्यवाही हुयी है और मैं उसका कुछ थोड़ा सा विवरण दूंगा । उत्तर प्रदेश में मिलने वाली बालू तथा पत्थर, उनके गुणों यानी उनकी प्रापर्टीज को निश्चय किया गया है । उनके जो परिणाम

निकलेंगे उनको छापा जा रहा है । ब्लौक कौर्नर स्वायल में भवनों के फाउंडेशन स्टोन के लिये कौन-सा तरीका हो सकता है उसके संबंध में जो परिणाम निकले हैं उनको स्थानीय इंजीनियरों के पास भेज दिया जायगा ।

ट्रांस–सारदा एरिया में अच्छे ईंटें पकाने का तरीका भी निकाला गया है । इस इंस्टीट्यूट में कंकर और चूने के साथ मिट्टी को मजबूत कैसे किया जाय इसका भी उपयोग किया गया है । इसी बीच में १०३ मील लम्बी सड़कें जो टूट गयी थीं, उन पर जांच की गयी कि उनके टूटने के क्या कारण थे । उन सुझावों को जो मिले उनको भी स्थानीय इंजीनियरों को भेज दिया गया । १८ मकानों की फाउन्डेशन के नीचे भार वहन की क्षमता के लिये देखा गया । १२ पुलों के सिल्ट स्पर के कारण मिल गये हैं । बहुत-सी ग्रामीण योजनायें भी लेते हैं और यह देखा जाता है कि उनको कार्यान्वित करने के लिए किस तरीके से हम किफायत कर सकते हैं और मजबूती ला सकते हैं । १२ अनुसंधान ऐसे हैं जिनमें म्वाइस्चर मूवमेंट और वायब्रेशन आफ कांक्रीट और लोना इससे प्रभावित मिट्टी का भवन बनता है उसमें सफेद चूना और सुरखी मिलाने से मिट्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके लिये कोशिश हो रही है । इस साल यह भी किया है कि जितने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स हैं उनसे निवेदन किया है कि बजट के समय यहां मौजूद रहें ताकि जब भिन्न-भिन्न क्षेत्र की बातें कही जायं या दिक्कतें बतलाई जाय तो उनको वे नोट करें और उन सुझावों पर अमल करने की कोशिश करें । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो भी सुझाव आप देंगे वह मेरे लिये बहुमूल्य होगा । पिछली बार आपने कृपा करके बहुत से सुझाव दिये थे और जितना मुझ से बन पड़ा मैंने उन सुझावों पर अमल करने की कोशिश की और कोई सुझाव ऐसा नहीं होगा जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार न किया गया हो । मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिना संकोच के आलोचना करें और सुझाव दें ताकि मुझे पता चल सके कि कहां पर मुझ में कमियां हैं । जब तक कमियां बतलायेंगे नहीं उस समय तक कमियां कैसे दूर की जा सकती हैं ? आपके सुझावों तथा आलोचनाओं का मैं हृदय से स्वागत करूंगा और जहां तक हो सकेगा उन पर अमल करूंगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५, ३६, ३७ तथा ५१ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग पर मैं संक्षेप में प्रकाश डालूंगा । १९४६–४७ में ४५,४८,५०० रुपये का बजट था । ५०–५१ में २,०८,६३,००० रुपये का बजट था । ५७–५८ में ४,१६,१७,००० रुपये, ६०–६१ में ६,०८,८७,८०० रुपये का ६१–६२ में ६,१७,५३,८०० रुपये, ६२–६३ में ७,८०,८६,००० रुपये का, ६३–६४ में ७,२६,३१,४०० रुपये का, ६४–६५ में ८,२६,५९,२०० रुपये का बजट था और ६५–६६ में १४,४५,९१,२०० रुपये का बजट है । इस प्रकार हर वर्ष बजट जो बढ़ता गया, यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहता हूं । इतने करोड़ रुपया प्रदेश पर खर्च किया जाता है अगर इसमें अधिकांश भाग प्लानिंग पर खर्च किया जाय तो प्रदेश का भला हो सकता है और प्रदेश को लाभ भी होगा लेकिन ज्यादातर इसका भाग बड़े-बड़े अधिकारियों की जेब में चला जाता है जिससे प्रदेश के लाभ के लिये जो बहुत सा काम किया जाता है वह नहीं हो पाता है । कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में आपसी वाद-विवाद पिछले दिनों किया गया उससे मैं दूर रहने की कोशिश करूंगा और जैसा माननीय मंत्री जी चाहते हैं सही आलोचना की जाय वैसा ही मैं करूंगा और अपने सुझाव दूंगा ताकि प्रदेश को और आपको लाभ हो । मैं आंकड़ों के साथ सारी चीजें रखने की कोशिश करूंगा ।

[श्री लखपतराम शर्मा]

सन् १९४३ में मुख्य अभियंताओं की एक कांफरेंस नागपुर में हुई और स्टार ग्रिड नामक योजना को पूरा किया जाय, यह वहां तय हुआ। यह भी तय हुआ कि जहां जहां खाद की पैदावार ज्यादा होती है वहां पक्की सड़क ५ मील की दूरी पर कर दी जाय ताकि खाद की आमद आसानी से हो सके। लेकिन बुन्देलखंड का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। स्टार ग्रिड योजना के अनुसार बांदा में ४५९ मील सड़क बनने को थी, लेकिन सन् ६३ में २८८ मील सड़क बनी और ३६५ मील सड़क सरकार बनाने का इरादा रखती है। इसी प्रकार झांसी में ५४८ मील सड़क बनने को थी लेकिन ४५.४ मील बनी। जालौन में २७० मील बनने को थी लेकिन २१३ मील बनी। हमीरपुर में ४६७ मील बनने को थी लेकिन ३१३ मील ही बन पायी। इसके अतिरिक्त १९५८ में बम्बई में मुख्य अभियंताओं का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अनुसार हमारे प्रदेश में २५ हजार मील लम्बी सड़क बनाने के लिये सरकार ने निश्चय किया था। लेकिन यह सड़कें १९८१ तक पूरी हो सकेंगी, ऐसा हमारी सरकार का अनुमान है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहां की खाद्य समस्या पाकिस्तान से भी पिछड़ती चली जा रही है। इसका श्रीमन्, कारण यह है कि सड़कों की दशा ठीक न होने से उसका असर हमारे प्रदेश और देश की पैदावार पर भी पड़ता है। यदि हमारे यहां की सड़कों की दशा में सुधार हो जाय तो प्रदेश की खाद्य समस्या का भी सुधार हो सकता है और इसी के साथ-साथ यह भी है कि डाकुओं की समस्या का भी आसानी के साथ हल निकाला जा सकता है। इसलिये किसी देश के लिये अच्छी सड़कें बड़ी लाभदायक होती हैं। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की आबादी ७।। करोड़ के है और जो छोटे-छोटे प्रदेश हमारे देश में हैं वे भी हमारे प्रदेश के मुकाबले में आते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दशा यह है कि यहां ११२४ मील लम्बी सड़कें हैं और जो छोटे छोटे प्रदेश हैं वे भी इसकी बराबरी पर पहुंच चुके हैं। आंध्र में ११२४ मील लम्बी सड़कें हैं, बम्बई महाराष्ट्र में १२०५ मील लम्बी हैं, बिहार में ७८१ मील लम्बी हैं, मदरास में ८२१ मील लम्बी हैं और पंजाब में ८५३ मील लम्बी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जब कोई काम किया जाता है तो १० परसेंट उसमें से लांच के रूप में काट लिया जाता है। इसको सरकार ने स्वीकार किया है और वह इसको रोकने में असमर्थ रही है और रोक नहीं पा रही है।

श्री जगनप्रसाद रावत---

श्रीमन्, मैं सुन नहीं सका। १० परसेंट कैसे लिया जाता है? माननीय सदस्य फिर से कहने की कृपा करें।

श्री लखपतराम शर्मा---

१० परसेंट के हिसाब से जो रुपया लिया जाता है उसमें आपके ओवरसियर से लेकर इंजीनियर्स तक शामिल रहते हैं और ठेकेदार से वह रुपया लिया जाता है।

श्री जगनप्रसाद रावत---

आपने अभी कहा कि मैंने स्वीकार किया है। ऐसी बात नहीं है और न यह मेरी जानकारी में है।

श्री लखपतराम शर्मा---

आपने बयान दिया था "वह पायनियर" अखबार में छपा है। उसको मैं दिखा दूंगा। आपने स्वीकार किया था कि यह रिश्वत चलती है और सरकार रोकने में असमर्थ रही है।

श्री जगनप्रसाद रावत––

वह तो प्रोसीडिंग्स में होगा ।

श्री लखपतराम शर्मा––

यह रिश्वत जनतंत्र की जड़ों को खोखला करती चली जा रही हैं । सरकार इसको रोकने में असमर्थ रही है । बादशाह अपने जमाने में जो मौज करते थे उसी प्रकार से आपके इंजीनियर्स ऐश आराम में मशगूल हैं । जो मुख्य मंत्री जी को नहीं मिल सकता है वह सुख आपके इंजीनियरों को आसानी से मिल जाता है ।

श्रीमन्, मैं आपके सामने एक दर्दनाक चीज रख दूं । इस प्रदेश के अल्प वेतन भोगी मस्टर रौल के कर्मचारी सरकारी अधिकारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं । जिस प्रकार से गुलामी के जमाने में लोग दौलत के बल पर लोगों को खरीद लेते थे, उनकी इज्जत लूटते थे, उसी प्रकार से गुलामी प्रथा आज भी कायम है । मस्टर रौल और वर्क चार्ज के कर्मचारी इसके प्रमाण हैं । मैं श्रीमन्, सदन के समक्ष आंकड़े भी दूंगा । इस प्रदेश में लाखों रुपया मस्टर रोल के जरिये फरजी तौर से बांटा जाता है । जब किसी मस्टर रोल में १०० आदमी दिखाये जाते हैं तो मुश्किल से ५० आदमी काम करते है और ५० आदमी फरजी दिखा दिये जाते हैं । एक व्यक्ति के जरिये ही अंगूठे लगवा दिये जाते हैं और पेमेंट हो जाता है । मैं आपके सामने प्रमाण के रूप में रामपुर का केस रखना चाहता हूं । ५–७–६४ से ८–७–६४ तक का अगर आप मस्टर रोल मंगवा लें यानी अपने कब्जे में शीघ्र कर लें तो एक बड़े भ्रष्टाचार का प्रमाण सामने आ सकता है कि देश के भूखे नंगे मजदूरों के नाम पर किस प्रकार से डकैती डाली जाती है । उक्त मस्टर रौल में काम पर ३२ आदमी दिखाये गये हैं और २२ फर्जी नामों पर पेमेंट किया गया है जब कि २२ आदमियों ने काम नहीं किया । यहां तक हुआ है कि एक व्यक्ति के ही २२ स्थानों पर अंगूठे का निशान लगवाकर पेमेंट दिखा दिया गया है ।

मैं आपके सामने एक चीज और भी यहां रखूंगा जो कि चौकीदारों के नाम पर बहुत सी बातें होती हैं । मिसाल के तौर पर ऐशबाग पी०डब्लू० डी० डिविजन, लखनऊ में २ चौकीदार फरजी नाम से ५ वर्ष से लगातार काम करते बताये जा रहे हैं । जबकि उस नाम का यहां पर कोई चौकीदार ही नहीं है । इन चौकीदारों के नाम कलपू और पीताम्बर बताये जाते हैं, किन्तु इनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है । इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह जोरों से इस विभाग में चल रहा है । मैं मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस मामले में तुरन्त ध्यान देकर सारे कागजात जब्त कर लें और जांच करें तो सच्चाई अवश्य सामने आ जायेगी और भ्रष्टाचार खुल जायेगा । इसकी शिकायतें आपके पास लोगों ने पहुंचाने का प्रयत्न किया है, लेकिन अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है ।

मैंने रामपुर की मिसाल आपके सम्मुख रखी और इसके संबंध में शिकायतें कांग्रेसी विधायक द्वारा की गयीं, जिसमें १७ गम्भीर आरोप लगाये गये थे । उन्होंने आपके पास शिकायतें लिखकर भेजीं किन्तु उन पर अभीतक कोई सफल कार्यवाही नहीं हुयी । हो सकता है कि यह कागज अभी विभाग से आपके पास न भेजे गये हों या अब भेजे भी न जायें । पुराने समय में जिन लोगों ने दारुलशफा और ताजमहल जैसी विचित्र और कलापूर्ण इमारतें बनाईं उनके जीवन के लिये आपके विभाग ने कोई सुरक्षा नहीं की । इनका जीवन बहुत ही गया गुजरा है । आपके यहां जो व्यवस्था चल रही है वह अंग्रेजों के समय की गुलामी वाली प्रथा है और विभाग के छोटे कर्मचारी को गुलाम बनाकर रखा जाता है और उन पर अधिकारी मनमानी ज्यादती करते हैं । जो लोग उनकी शिकायतें करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें तुरन्त निकाल दिया जाता है । वर्कचार्ज रजिस्टर और मस्टर रोल की जो प्रथा चली आ रही है और जिसे अधिकारी-

[श्री लखपतराम शर्मा]

गण बन्द नहीं करना चाहते हैं वह इसी कारण से है कि जिससे अधिकारी उन पर ज्यादती कर सकें और उन्हें अत्याचार सहने के लिये विवश किये रहें। जरा जरा सी बात पर उनकी नौकरी खत्म हो जाती है और उन्हीं के जरिये अफसर लाखों रुपया कमाते हैं। इस प्रकार से वह बेचारे अधिकारियों की रहम पर गुलाम की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं।

समाजवाद का आपका नारा है और आप कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। लेकिन आपका समाजवाद केवल एक धोखा है, एक दिखावे की चीज है। आपके यहां २०,००० के करीब निम्न कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में हैं जैसे गैंगमैन, माली, कुली, चौकीदार, वर्क मुंशी, वर्क-एजेंट, लोहार, बढ़ई। आपके यहां बेलदार को हरदोई, लखनऊ, सीतापुर व उन्नाव में ३५ रुपया मिलता है, बस्ती व गोरखपुर में ३८ रुपया, प्रतापगढ़ में ४० रुपया, रामपुर, मेरठ व बिजनौर में ४२ रुपया और सहारनपुर में ४५ रुपया मिलता है। तो एक ही प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों के बीच वेतन की यह विषमता क्यों है? उनके बीच यह भेदभाव किया गया है और उन्हें विभिन्न ग्रेडों में बांटा गया है जिससे वह लोग परेशान और असंतुष्ट रहें। पुराने मस्टर रोल और वर्कचार्ज रजिस्टर की प्रथा को आपको सबसे पहले बन्द करना होगा, इस प्रदेश के लाभ के लिये और यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे और हजारों कर्मचारियों का शोषण होना बन्द हो जो आज हो रहा है इसके लिये आपको एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनर्गठन समिति ने सन् ५७ में पैरा ५ पृष्ठ ३९ पर वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिये स्वयं यह सिफारिश की थी कि उनके कामों को देखते हुये उन्हें वर्कचार्ज पर रखना न्यायप्रद नहीं है। लेकिन सन् ५७ से आजतक वह प्रथा बन्द नहीं हुई। इतने दिन हुये। चाहिये तो यह था कि उस सिफारिश पर पूरीतरह से अमल हो जाता। अब यदि यह आपके जमाने में भी नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उक्त कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई में, उचित वेतन, महंगाई भत्ता, ओवर टाईम, सीमा भत्ता व सरकारी छुट्टी में सवेतन छुट्टी मिलना चाहिये। आज उनकी वेतन बहुत ही कम है उसमें वह अपना जीवन व्यतीत करने में पूर्णतया असमर्थ हैं। जो आप इन मजदूरों को तनख्वाह देते हैं वह हमारी महापालिकाओं में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों से भी बहुत कम है।

आपके यहां नियम है कि ३ वर्ष तक काम करने वाले कर्मचारी को मुस्तकिल कर दिया जाये, लेकिन आपके यहां १५–१५, २०–२० वर्ष से काम करने वाले कर्मचारी मुस्तकिल नहीं हुये हैं। हां, यह दूसरी बात है कि कहीं एक, दो किसी खास सिफारिश के कारण मुस्तकिल कर दिये गये हों। यह गरीब तबका, मजदूर, लोहार आदि आज मंत्री महोदय से न्याय की आशा करता है। आप इनकी ओर उचित ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, सन् ६४ में इसी सदन में मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि यू० प० के अन्दर एक टेस्ट हाऊस कायम किया जाये। उनका उद्देश्य बहुत ही पवित्र था और उसके पीछे शुद्ध देश हित की भावना थी। आपने कहा था कि उसके अन्दर प्रदेश में जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिलेंगी, उनकी जांच वैज्ञानिकों द्वारा कराई जाएगी। और यह भी कहा था कि जो लोग इस प्रकार की गड़बड़ियों की जानकारी करायेंगे उनका नाम अवश्य बताया जाये। यह आवश्यक नहीं है कि उनके नाम जरुर बताये जांय। लेकिन मैं आपके सामने उस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं यह हो सकता है आपको उसकी जानकारी हो--पर मैं यह कहूंगा कि आपका विभाग इस तरफ से कितना उदासीन है। उसकी उदासीनता का यह परिणाम है कि बजट का लाखों रुपया उनकी जेब में चला जाता है। उस टेस्ट हाउस का यह हाल है कि इंजीनियर ही उसके सर्वे-सर्वा बने हुये हैं। जो वैज्ञानिक उनके अन्डर में काम करते हैं वैज्ञानिकों के ऊपर इंजीनियर्स हावी रहते हैं। यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस टेस्ट हाउस में जिन इंजीयिनर्स के खिलाफ गोलमाल करने की शिकायत होती है वही इंजीनियर वहां से ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं। ऐसे केसेज हैं कि जिन इंजीनियर के खिलाफ लोगों ने गोलमाल करने की शिकायत की, सरकारी

इमारतों में गड़बड़ की, सामान कम लगाने की शिकायत हुई उन इंजीयिनर को ही टेस्ट हाउस में ट्रान्सफर कर दिया गया। यही कारण है कि जो सरकार उसके खिलाफ जांच करना चाहती है उसकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच नहीं पाती है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जो इंजीनियर टैस्ट हाउस में आकर काम करते हैं उनको वहां से किसी तरह से भी ट्रान्सफर न किया जाय।

उसमें जो वैज्ञानिक रखे गये हैं उनको एलाउन्स नहीं दिया जाता है। उनकी तनख्वाहों में भी अन्तर है। तो इस बात पर विचार करने का आवश्यकता है कि इस अन्तर को दूर किया जाय जिससे वे भी बड़े उत्साह के साथ वहां पर काम कर सकें। यह भी होता है कि इंजीनियर का वैज्ञानिक के ऊपर हावी होने की वजह से इंजीनियर के खिलाफ जो शिकायत होती है वह चल नहीं पाती है। इन इंजीनियर्स का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ उसमें रिश्तेदार होते हैं तो उन शिकायतों को दबा देते हैं और वह फाइल चल नहीं पाती है। इस वजह से जो अपराध होते हैं वे दबा दिये जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो वहां पर इंजीनियर रखे जायं उनको वहां से ट्रान्सफर न किया जाय तभी सही रूप से जांच हो सकती है। वैज्ञानिक और इंजीनियर में इस तरह का जो भेद है वह भेद भाव मिटाना पड़ेगा। टेस्ट हाऊस के लिये मह ९ लाख रुपया खर्च क ते हैं तो उसमें जरूरत इस बात की है कि जो वैज्ञानिक रखे जायं उनको इंजीनियर के बराबर ही वेतन दिया जाय। विभाग का कोई योग्य आदमी उसमें रखा जाय जो किसी तरह से दबाव में न आसके। अगर इस तरह से यह किया जायगा तो उचित रूप से उसकी रक्षा हो सकती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि टैस्ट हाउस में वैज्ञानिकों के साथ जो इंजीनियर रखे जायं उनके तबादले न हों। होता यह है कि इंजीनियर की शिकायतों की जांच होने पर वही इंजीनियर टैस्ट हाउस में लगा दिये जाते हैं और स्वयं के विरुद्ध जांच अथवा दोस्त अपराधियों की जांच खत्म करा देते हैं।

वैज्ञानिक और इंजीनियर को अलाउन्स और वेतन में अन्तर होने से काम में रुचि कम होती है। यहां पर जो टैस्ट हाउस की योजना बनाई गई है उसमें वैज्ञानिक को इंजीनियर के मुकाबले में वेतन कम मिलता है और एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण उनकी रुचि काम में नहीं लगती है।

सन् १९५७ में पुनर्गठन कमेटी सरकार ने बनाई थी उसने सुझाव दिये थे कि किसी भी प्रकार की खोज हो उसमें विशेषज्ञ हों ताकि वैज्ञानिकों द्वारा ही जांच के कार्य हों सकें किन्तु सरकार ने उन सिफारिशों पर आजतक कार्य नहीं किया। पी० डब्लू० डी० के वैज्ञानिकों को कोई एलाउन्स नहीं मिलता है। सेन्ट्रल सरकार की ५० प्रयोगशालायें इस समय कार्य कर रही हैं उनमें डाक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों के वेतन में कोई अन्तर नहीं है। यू० पी० के इर्रीगेशन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों को एलाउन्स दिया जाता है जब कि पी० डब्लू० डी० में नहीं दिया जाता है। उस तरह की कोई सुविधा पी० डब्लू० डी० में नहीं है। महाराष्ट्र सिंचाई पावर विभाग में अन्वेषणालय जो नासिक में है वहां पर अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के साथ वैज्ञानिकों और रिसर्च आफीसरों व सहायक रिसर्च अधिकारियों को भी एलाउन्स दिया जाता है। करोड़ों रुपया यहां से बजट में स्वीकार किया जाता है जो कि प्रदेश के हित में खर्च होना चाहिये। अगर ऐसा सरकार करे तो हमारा सहयोग सरकार को मिलेगा और हमारा जनतन्त्र भी पनपेगा और भ्रष्ट आदमी नहीं पनपेगा।

मैं सदन और आपकी जानकारी के लिये जनहित में उन ठोस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सरकार की छत्रछाया में फूल फल रहे हैं। झांसी के अन्दर करीब ३ लाख रुपये की लागत से कोतवाली का निर्माण हुआ। इस सदन में माननीय मंत्री

[श्री लखपतराम शर्मा]

जी ने स्वीकार किया कि वह करीब ३ लाख से बनी और उसकी छत, दीवारें फट गईं। यहां पर सरकार ने स्वीकार किया है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और जांच बारीकी से की जा रही है किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ और सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना चाहिये लेकिन वे इस सरकार की छत्रछाया में फूल फल रहे हैं। ऐसे मामलों में एक-दो वर्ष तक निर्णय न होना दुःखदाई है। इस संबंध में और ज्यादा शब्द कहना मुनासिब नहीं होगा।

पी० डब्लू० डी० के अधिकारियों की देख-रेख में बनवाये पुल जितने मजबूत बनते हैं उसकी मिसाल में आपके सामने रखना चाहता हूं। गोरखपुर के अन्दर एक पुल का निर्माण हुआ जो बनते बनते ही टूट गया। यह होता इसलिये है कि जो सीमेंट ऐसे कामों के लिये दिया जाता है वह काले बाजार में बेच दिया जाता है और कुछ अधिकारियों के हाथ में और ठेकेदारों के हाथ में सारी रकम चली जाती है। सामान जो लगना चाहिये वह नहीं लगता। हमारे यहां ५-५ सौ साल के पुराने बन्धे बने हुये हैं जिसको आजतक कोई बाढ़ नहीं हिला सकी। उसका कारण यह था कि इस देश की जनता जानती थी कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह अपने राष्ट्र के लिये कर रहे हैं और ऐसे सार्वजनिक कामों में बेईमानी करना जनता के साथ विश्वासघात करना है। आज हमारा पेशा हो गया है बेईमाना करना, इसलिये यह हमारा दुर्भाग्य है कि बनने के साथ-साथ इमारतें टूट जाती हैं।

मैंने अभी झांसी और गोरखपुर की बात कही। अब सीतापुर और लखीमपुर के बारे में बतलाता हूं। लखीमपुर में वहां के एक अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता के विरुद्ध बड़े पैमने पर भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच सी० आई० डी० द्वारा की गयी, किन्तु अभीतक अपराधी सुरक्षित हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, आप फाइल उठाकर देख लीजिये।

इसके अतिरिक्त कालागढ़ डैम जो रामनगर के पास है उसमें घटिया मसाला लगाने के संबंध में सन् १९६४ में सी० आई० डी० द्वारा जांच हुई, उसमें लाखों रुपये की गड़बड़ी पायी गयी, सी० आई० डी० ने १६ नमूने लिये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फाइल देख लीजिये।

मेरठ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जांच सी० आई० डी० द्वारा की गयी जिसमें घटिया माल के कारण गोलमाल हुआ था, लेकिन अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि नमूने भी अनेक लिये गये। ४० नमूने सी० आई० डी० द्वारा लिये गये थे।

आगरे में भी सी० आई० डी० द्वारा करीब १५ नमूने सरकारी इमारतों में खराब सामान लगाने के संबंध में लिये गये परन्तु अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

क्राइम ब्रांच के एस० पी०, सी० आई० डी०, लखनऊ द्वारा करीब १५ नमूने सरकारी इमारतों में खराब सामान लगाने के संबंध में लिये गये, आजतक सब अधिकारी सुरक्षित हैं, कोई कार्यवाही नहीं की गयी, आप फाइनल देख सकते हैं।

एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। लखनऊ के इस सेक्रेटेरियट के कुछ कमरे कुछ वर्ष पूर्व बनाये गये और यह काम पी० डब्लू० डी० की देख-रेख में हुआ और एक हसीन इमारत बनाकर तैयार की गयी, लेकिन जांच में पता लगा है कि जिस समय इमारत बनकर तैयार हुई और सरकारी सामान वहां लगाया जा रहा था तो सामान कमरो के अन्दर लगाते हुये ही उसके अन्दर से मिट्टी और प्लास्टर मेज और कुर्सी के साथ-साथ खिसकना शुरू हो गया। इसकी जांच बाकायदा हुई, फाइल उठा कर देख लें। उस प्रजातंत्र और देश का क्या होगा कि जहां शहीद स्मारक में भी गड़बड़ियां की जायं। यहां जो शहीद स्मारक बना और महानगर में जो क्वार्टर्स बनाये उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, उसकी किसी रूप में जांच भी हुई। लेकिन आज तक उन

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यावही नहीं की गयी। मैं समझता हूं कि जनतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार को चाहिये था कि ऐसे अधिकारियों को पेड़ों से बंधवाकर उनकी खाल उड़ा देनी चाहिये थी।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अभिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुये।)

श्री जी० डी० माथुर अधिशासी अभियन्ता को उन्नति पर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर व एक अन्य अधिकारी को पी० ए०, चीफ इन्जीयिनर का बना दिया गया जब कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनकी जांच भी हुई थी। यहां तक कि वह अधिकारी पी० ए० होने से पूर्व विज्ञानशाला में रिचर्स इन्जीयिनर थे और उन्हीं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर घटिया सामान लगवाने और गोलमाल करने के गम्भीर आरोप थे। स्वयं विज्ञान शाला में उन्हीं के द्वारा अपने विरुद्ध लगाये आरोपों की जांच की गयी और उन आरोपों को दबा दिया गया। इस प्रकार विज्ञानशाला में इन्जीनियर्स के तबादले की भ्रष्टाचार संबंधी यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार अपने इन्जीनियर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर उनका विज्ञान शाला में तबादला करके उनको जांच अधिकारी भी बना दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता––

आप आधा घंटा ले चुके हैं।

श्री लखपतराम शर्मा––

बस १० मिनट और दे दीजिये। जिस जमाने में यह शहीद स्मारक बना और महानगर के क्वार्टर बने उसी जमाने में इन गुप्ता साहब ने एक कार खरीदी। उससे पहले भी वह कार खरीदी जा सकती थी। इसकी भी आप जांच करायें तो आपको सही बात का पता चल जायेगा।

आप श्री आर० के० बंसल जो असिस्टेंन्ट इन्जीनियर, सीतापुर में हैं उनकी माली हालत की जांच करा कर देख लीजिये, वे लखपति बने हुये हैं। सी० आई० डी० से आप जांच करायें।

इसके अलावा जब यहां शादियां होती हैं तब किस तरह से सरकारी चीजों का इस्तेमाल होता है उसका भी उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व श्री महावीर प्रसाद, डायरेक्टर पी० डब्लू० डी०, श्री पी० एस० भटनागर, चीफ इन्जीनियर व श्री के० सी० माथुर, एडीशनल चीफ इन्जीनियर के यहां जो शादियां हुई उनमें किस हद तक सरकारी सामान तथा कर्मचारियों का दुरुपयोग हुआ है उसकी आप सी० आई० डी० द्वारा जांच करा कर देखें। आप इसकी तो जांच करा सकते हैं कि शादियों के जमाने में जितनी काल टेलीफोन्स पर इन लोगों की हुई और जितना खर्चा उस समय दिखाया गया है वह कहां तक ठीक है।

लखनऊ महान रोड पर ५ मील तक पक्की सड़क बनी थी जो पी० सी० चतुर्वेदी रिसर्च इन्जीनियर ने बनवाई थी। उसमें इतना कम रेता मिलाया गया कि सड़क एक वर्ष के अन्दर ही टूट गयी। उक्त सड़क में केन्द्रीय सरकार का भी रुपया लगा था। उसकी जांच भी हुई, पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मिट्टी की सड़क बनाने में लाखों रुपये का खर्चा दिखाया जाता है जब कि बहुत कम खर्चा होता है। लखनऊ से कानपुर रोड पर 'बनी हरौनी' तक जो सड़क बनी है वह सन् ६४ से आज तक पूरी नहीं हुई और बनते बनते ही टूट गयी। उतने रुपये से तो आप पत्थर की पक्की सड़क बनवा सकते हैं। पंजाब और मद्रास में सैंकड़ों मील लम्बी सड़कें बनीं लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई। झांसी में मऊ-गरौठा रोड व बंगरा-गोपालपुरा रोड की सड़कों में कम चूना मिलाकर बनाया गया। आज भी चूने की तादाद ज्यादा दिखाई जारही है। हरपालपुर रोड पर

[श्री लखपतराय शर्मा]

सड़क के ऊपर साफ्ट स्टोन इस्तेमाल हो रहा है जो बहुत महंगा व कुछ दवाओं के काम ही आता है वह मुलायम होने की वजह से सड़क में काम नहीं दे सकता। खर्चा बढ़ाकर दिखाने के लिये यह साफ्ट स्टोन इस्तेमाल हो रहा है ।

एटा में इंडस्ट्रिअल स्टेट गवर्नमेंट की है। उसके बनाने में नींव में जो गिट्टी डाली गई वह १–१० के रेशियो में डाली गई जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक १–६–१२ की गिट्टी डालनी थी। चुनाई भी १–८ के रेशियो में की गयी जबकि टेंडर में १–६ का ऐग्रीमेंट था। आप इसकी वैज्ञानिकों द्वारा जांच कराकर देखें। छतों के प्लास्टर में भी १–४ के रेशियो में रेत लेकर डाल दी गई जबकि शर्त के मुताबिक "चम्बल सैंड" १–३ का डालना था। वैज्ञानिकों द्वारा आज भी जांच कराकर सत्यता देखी जा सकती है। यहां तक कि २४–९–६४ को स्वयं मंत्री जी को कांग्रेस के एक विधायक ने लिखकर शिकायतें कीं परन्तु नतीजा कुछ न निकला।

जी० टी० रोड, एटा में ७६० मील ४ फर्लांग पर १–२–४ की जगह १–४–८ का मसाला डाला गया है। जी० टी० रोड पर उसी मील पर ही एक पुलिया के काम में १–१० का रेशियो का मसाला एग्रीमेंट के खिलाफ डाला गया है। इसकी भी जांच वैज्ञानिकों द्वारा करायी जा सकती है।

पी० डब्लू० डी० के अधिशासी अभियन्ता श्री मदन गोपाल भार्गव, कानपुर के विरुद्ध अनेक गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप थे यहां तक कि निजी मोटर की वर्कशाप में मरम्मत कराते थे। शिकायतें की गईं व फोटो तक पेश किये गये। लेकिन बजाय उन्हें दंडित करने के उन्नति पर यहां तक कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर बना दिया गया।

रामपुर में पीला खार के पुल के कुएं न० २ व ४ बारुद के गलत इस्तेमाल से फट गए जबकि अधिकारियों द्वारा अपराध से बचने के लिये कुओं का फटना वजन रखने के समय बताया गया। पुल में लाखों रुपया खर्च होता है। मगर अधिकारियों के विरुद्ध इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मुरादाबाद में पीपों के पुल के लिये कम रुपये का टेन्डर न स्वीकार करके अधिक रुपये का टेन्डर स्वीकार किया गया। जांच में अधिक घपले सामने आ सकते है।

मस्टर रोल की बात मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब मैं एक चीज आपके सामने फोटो के साथ रखना चाहता हूं। रामपुर के मस्टर रोल में ३२ आदमी काम पर दिखाये गये थे और २२ फर्जी नामों पर पेमेंट किया गया जबकि २२ व्यक्तियों ने काम नहीं किया। यहां तक हुआ है कि एक व्यक्ति के ही २२ स्थानों पर अंगूठे का निशान लगवाकर पेमेन्ट दिखा दिया गया। यहीं तक नहीं, मिस्टर खरे, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने उक्त पेमेंट जिसमें १ हजार रुपये का गोलमाल हुआ है, अपने सामने मजदूरों को किया जाना बताया है। कांग्रेसी विधायक द्वारा १७ आरोपों की शिकायत २८–३–६४ को की गई और २७–८–६४ को माननीय मंत्री जी को रिमाइंडर दिया किन्तु कोई जांच नहीं हुई।

सहारनपुर के अधिशासी अभियन्ता पी० डब्लू० डी० के बंगले पर बड़ी तादाद में गैंग द्वारा निजी काम कराया जाता था। ११–२–६३ व १९–४–६३ की लिखित शिकायतों द्वारा इंजीनियर्स का तबादला व सी० आई० डी० की जांच की मांग विधायक द्वारा की गई। इसके फोटो मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो भेज सकता हूं। अधिशासी अभियन्ता के बंगले पर सरकारी गैंग काम कर रहा है। सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर द्वारा सत्यता प्रकट होने पर भी असलियत को छिपाया गया।

सरकार के १४–१०–५८ के जी० ओ० नं० २७३ के अनुसार बेगार लेने की मनाही की गयी है जबकि प्रदेश में सभी जिलों में खुलकर कर्मचारियों से निजी काम कराया जा रहा है।

गवाही देने वाले व्यक्तियों को नौकरी से अलग कर दिया जाता है। जिन ४ व्यक्तियों ने अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नाजायज काम लेने की शिकायतें की थीं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया

सेंट्रल वर्कशाप, पी० डब्लू० डी० में बराबर भारी चोरियां हो रही हैं। अगर आप चाहें तो अपने कार्यालय में जाकर सी० आई० डी० वहां लगा दीजिये। एक हुकूमत आपकी है और दूसरी अधिकारियों की कि किसी भी चोरी की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की जाती और कर्मचारियों को डरा धमकाकर उनकी तनख्वाह काट लेते हैं। इस प्रकार गरीब मजदूरों से अधिकारी रुपया छीनते आये हैं। लगभग १० हजार रुपये के माल का सन्दूक पकड़ा गया। बाकायदा इन्क्वायरी हुई बड़े पैमाने पर लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। मजदूरों ने तंग आकर एका करके २८–८–६१ को एक बड़ा बक्स जिसमें १० हजार रुपये के मोटर इत्यादि के पुर्जे थे, चोरी से जाते हुये गेट पर पकड़वा दिया था। इसकी जांच मौके पर श्री पी० एन० माथुर, अधिशासी अभियन्ता व एस० एन० राय अधिशासी अभियन्ता बार्डर ने की। मामला सत्य पाया फिर भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई और उलटे शिकायत कर्ता व माल पकड़वाने वालों को जो १५ वर्ष के नौकर थे नौकरी से निकलवा दिया गया।

३०० क्वार्टर टिकैत राव के तालाब पर पी० डब्ल्यू० डी० की देख रेख में भीमसेन बक्शी ठेकेदार के जरिये ९ लाख रुपये के बनवाये जा रहे थे। इमारत में मसाला व ईंट खराब लोहा वगैरह की शिकायतें बराबर १६–१–६३ से २६–१–६४ तक कम से कम २० बार सरकार से की गयी जिसमें श्री जे० पी० गोयल, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ, श्री रामकृष्ण अग्रवाल, सहायक अभियन्ता व श्री आर० एस० गुप्ता ओवरसियर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये कि वह इमारत में लाखों रुपये का गड़बड़ करा रहे हैं। लेकिन कोई जांच नहीं की गई। बल्कि शिकायत-कर्त्ता कन्हैया लाल मिस्त्री को नौकरी से निकाल दिया गया। केन्द्रीय पुलिस ने गुप्तचर विभाग के लोगों को भेजा जिन्होंने ठेकेदार के घर पर छापा मारा और लाखों रुपये से संबंधित कागजात वहां पकड़े गये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं मंत्री जी को बधाई दूं क्योंकि जब से उन्होंने इस विभाग का काम अपने हाथ में लिया है, उसमें उत्तरोत्तर उन्नति हुई है। साथ ही मैं विभाग में काम करने वाले इन्जीनियरों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनका भी निरन्तर प्रयास रहा है कि जहां तक हो सके सड़कों और पुलों का निर्माण सुचारु रूप से हो। श्रीमन्, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं जहां अनेकानेक सड़कें हैं, बहुत दिनों से मेरा स्वयं का अनुभव है, और जो भी वहां बाहर से जाता रहा है, सड़कों की प्रशन्सा करता रहा है, किन्तु कुछ समय से उन सड़कों की हालत खराब होती जा रही है। कारण क्या है? जैसा मंत्री जी ने अभी २ बताया कि "हैवी ट्राफिक" हो जाने के कारण सड़कों में वह क्षमता शेष नहीं रही कि उस भार को वहन कर सकें। इसलिए आवश्यकता है कि सड़कों को पुख्ता करायें। जो कंकड़ सड़कों में लगाये जाते हैं, उनमें वह शक्ति नहीं है कि वे इतने भार को वहन कर सकें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जब यह मालूम हुआ कि पटेल आयोग के अन्तर्गत इन चार जिलों में जिसमें आजमगढ़ भी शामिल था, अनेकानेक सड़कों और पुलों का निर्माण होने वाला था। करीब १३१ मील नई सड़क पुख्ता करने के लिये, मेरी जहां तक सूचना है, आजमगढ़ जिले में स्वीकृति प्राप्त हुई थी, किन्तु खेद है कि प्लान बनाने वालों ने उस पश्चिमी भाग को, बिलकुल ही छोड़

[श्री बृजबिहारी]

दिया, मेरा मतलब अतरौलिया क्षेत्र से है। उस क्षेत्र में एक इंच भी नई सड़क का निर्माण नहीं होने जा रहा है। वहां के लोगों को इस बात का बड़ा दुःख है, तथा उनको इस बात से काफी असन्तोष है कि पटेल आयोग के अधीन जब जिले में इतनी सड़कें बन रही हैं, जिसकी चर्चा यहां रोज आये दिन होती रहती है, कि इन चार जिलों में अनेकानेक सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है तब भी जिले के पश्चिमी क्षेत्र में एक भी काम इस आयोग के अन्तर्गत नहीं होने जा रहा है।

मैं कुछ सुझाव मंत्री जी को सड़कों के बारे में देना चाहता हूं। अहरौला—कप्तानगंज, एक सड़क है, जिसका चार मील का हिस्सा पक्का हो चुका है, तथा चार मील केवल बाकी है, लेकिन उसको भी इस योजना में नहीं लिया गया है। मैं चाहूंगा कि उस सड़क के शेष भाग को इस बार अवश्य पक्का कर दिया जाय ताकि उस क्षेत्र में भी यातायात के साधन उपलब्ध हो जायं। दूसरी सड़क—अहरौला अतरौलिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग से गुजरती है जिसकी लम्बाई केवल १० मील है, लेकिन उसका कोई भी हिस्सा पक्का कराने के लिये निर्माण विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। इसी प्रकार कोयलसा—महराजगंज, सड़क को भी छोड़ दिया गया है। नरियांव—बंडरा सड़क जो आजमगढ़ और फैजाबाद के बार्डर पर है, उस सड़क को भी इस योजना में नहीं लिया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन सड़कों की तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

अब मैं पुलों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उसी क्षेत्र में अतरैठ नाम का एक बड़ा कस्बा है, जिसमें बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहां से हजारों गांठ सन प्रति वर्ष कलकत्ता, वाराणसी, बम्बई, तथा सूरत को भेजी जाती है, यह कस्बा छोटी सरयू नदी पर स्थित है, और आस-पास काफी सन पैदा होता है, उसके पुल के निर्माण हेतु मैंने ५-९-६२, १७-९-६२, २३-११-६२, २३-१२-६२, १४-८-६३, २२-८-६४ तथा १०-३-६५ को बराबर पत्र लिख कर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। मुझे विभाग द्वारा जवाब यह मिला कि यह महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, विभाग को यह नोट था, कि केवल महत्वपूर्ण स्थानों पर ही पुलों का निर्माण किया जायगा। मुझे दुःख हुआ इस नोट को पढ़ कर क्योंकि वह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, समीप ही मोहरी का सागर नामक तीर्थ स्थान है जहां प्रति सोमवार को हजारों व्यक्ति स्नान करने तथा पूजा करने की लिये आते जाते हैं। वहां कई बार नाव न मिलने से दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। मांग पत्र दी गई। मांग यह है कि यहां पुल का होना बहुत ही जरूरी है। उसके निर्माण के बारे में एक बार चार लाख का अन्दाजा लगाया गया, दूसरी बार ८ लाख का, लेकिन जिला परिषद् ने कहा कि केवल ५०,००० में पुल का निर्माण हो जायगा। अधिक से अधिक इसके निर्माण में १ लाख रुपया का व्यय होगा। इतने में पुल बन सकता है।

फैजाबाद जिले के बड़हर क्षेत्र के राजे-सुलतानपुर होते हुए आजमगढ़ जिले के बूढ़न-पुर कोयलसा अहिरौला, होते हुए इसी सड़क से लोग प्रयाग तक जाते हैं, यदि सेरवां गांव के पास एक आइरिश पुल का निर्माण कर दिया जाय, तो यातायात की काफी सुविधा वहां हो जायगी। मैंने बार २ अनुरोध किया कि अगर आयरिश ब्रिज ही बना दिया जाय, तब भी काम निकल सकता है। फैजाबाद—आजमगढ़ सड़क पर केशवपुर स्थान पर एक बहुत पुराना पुल स्थित है, जो काफी सकरा है। हमारे यहां गोविन्द साहब का मेला लगता है, जहां हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, यह पुल तब बना था, जब जिला परिषद् की कच्ची सड़कें थीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उसका प्रबन्ध आ गया है लेकिन वह पुल उसी दशा में है। मैं चाहूंगा कि केशवपुर पुल को फिर से चौड़ा करके बनाया जाय, वहां अकसर दुर्घटनायें हुआ करती हैं।

जिले की सड़कें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उसका मुख्य कारण मेरी राय में यह है कि सड़कों के निर्माण में खराब कंकड़ लगा दिये जाते हैं, इसके अलावा पहले जितनी जांच होती थी, उतनी जांच भी नहीं की जाती है बल्कि मिट्टी मिले हुए कंकड़ सड़कों में कूट दिये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कई बार रिपोर्ट कर चुका हूं। पुलों के निर्माण में भी देखा है कि सीमेंट का प्रोपोर्शन ठेकेदार सही ढंग से नहीं लगाते हैं, जिसके कारण पुल कमजोर होते चले जाते हैं। सड़कों की जो मरम्मत होती है, उसमें भी मैंने देखा है कि कंकड़ की कुटाई जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां तक हो सके इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार रखूंगा। आदरणीय मिश्र जी के भाषण को सुनने के बाद तो ऐसा मालूम हुआ कि स्वाभाविक रूप से बधाई का ढोल पीटने के बाद शिकायत बाद में की जाय, यह बिलकुल गलत तरीका है। अगर शिकायतें हैं तो शिकायत के रूप में लानी चाहिये, बधाई नहीं देनी चाहिये। स्टार ग्रिड योजना के अनुसार निर्धारित कोटे से जिलों में जितनी कम सड़कें हैं उनकी कमी पूर्ति के लिये चौथी योजना में विशेष ध्यान रक्खा जाय। मान्यवर, इसमें एक बात और है। किसी भी जिले में उसके निर्धारित कोटे के मुताबिक सड़कें बन गई हैं जरूर, लेकिन क्षेत्र वाईज ध्यान नहीं रखा गया है। मिसाल के तौर पर मैं इलाहाबाद को आपने सामने रखता हूं। इलाहाबाद के तीन भाग हैं, पहला गंगापार का इलाका, दूसरा यमुनापार का इलाका और तीसरा दोआबा का इलाका।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जरा शान्त रहें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मान्यवर, गंगापार से हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी थे। वे उस क्षेत्र से सदस्य होते थे इसलिये उस क्षेत्र को पक्की सड़कों से भर दिया गया। उससे बचा हुआ क्षेत्र यमुनापार का है। उस क्षेत्र से इस समय हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं और इससे पहिले मंगला प्रसाद जी थे। उस क्षेत्र को भी तमाम योजनाओं का लाभ, विशेषकर केन्द्र और प्रान्त से मिला, लेकिन दोआबा का क्षेत्र खाली पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता—

कांग्रेस पक्ष की तरफ से बात हो रही है। सुनिये। नहीं तो लाबी में जाकर बात करिये।

श्री नाथूराम शिक्षक—

दोआबा क्षेत्र में भी पिछड़ा क्षेत्र तहसील मंझनपुर है। वह ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र है जिसमें आने जाने के साधन माननीय मंत्री जी ने नहीं कराये हैं। इस क्षेत्र में श्रीमन्, कौशाम्बी भी एक स्थान है जो ऐतिहासिक स्थान है। उसके बीच से ऐसी सड़कें चलती हैं जो बांदा और फतेहपुर को मिलाती है लेकिन आज तक इस क्षेत्र को अनूठा ही रक्खा है। इलाहाबाद में कड़ा से आगरा तक एक सड़क है जिसको मुगल सड़क के नाम से जाना जाता है। कड़ा एक ऐसा स्थान है जो हिन्दू और मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है। इस सड़क को केन्द्रीय सरकार से सहयोग मनवाकर सरकार को चहिये कि इसे राष्ट्रीय मार्ग करार दिया जाय। इसी तरह से इलाहाबाद के प्रमुख स्थान कड़ा से फतेहपुर, जिले में मिठौरा को एक सड़क जाती है। इस सड़क को भी सरकार को चाहिये कि चौथे प्लान में पूरा कर ले। मान्यवर, तहसील मंझनपुर में एक पबोसा पहाड़ी है। जैसा कि शिकायतें की जा रही हैं कि कंकरी खराब निकलती है इसलिये पत्थर की सड़क बनाई जावेंगी। मैं इसलिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना

[श्री नाथूराम शिक्षक]

चाहता हूं कि तहसील मंझनपुर में लगभग १५० मील दूर से कंकड़ मंगाई जाती है जिस पर एक ट्रक की ढुलाई का मूल्य १५० रु० लगता है। कौशाम्बी के बगल में एक पबोसा की पहाड़ी है जो दो हजार फीट ऊंची है। इसमें से कंकड़ी उतारने का काम अगर निकाला जा सके तो हजारों आदमियों को काम दिलाया जा सकता है और सस्ते मूल्य में काम हो सकता है और उसके अन्दर के कीमती पत्थर इमारतों के काम में आ सकते हैं। जब आपके पास कुदरती मैटीरीयल मौजूद है तो उसे इस्तेमाल अवश्य करना चाहिये। इसी तरह से बांदा को जाने वाले मार्ग भरवारी, करारी, शाहपुर ऐसे स्थान हैं, जो कि तुलसीदास जी के जन्म स्थान से सम्बन्धित हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। ससुरखेड़ी नदी पर पुल भी बनना चाहिये जिससे अगर सरकारी बसें न चल सकें तो प्राइवेट बसों के लिये रास्ता खुल जाय। यह इसलिये सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि आने जाने के मार्ग न होने के कारण वहां की जनता सरकार के कारनामों से अनभिज्ञ रहेगी। सरायकिल से करारी सिराथू सड़क पर २२ हजार रुपया खर्च किया गया है। इस सड़क के दोनों तरफ पटरियों पर कंकड़ निकल आया है। इससे ठेकेदार ने कितना लाभ उठाया होगा। उसने बहुत दूर से कंकड़ लाने के लिये चार्ज किया था, अब पास में ही कंकड़ मिल जाने से उसको कितनी बचत हुई होगी इसके बारे में जांच करायी जाय।

मंत्री महोदय के विभाग में श्रम का सबसे अधिक शोषण हो रहा है। चन्द दिनों के लिये गांवों के रहने वालों को श्रमिकों के स्थानों पर रख लिया जाता है और फिर थोड़े दिनों के बाद उनको निकाल दिया जाता है। सरकार से कुछ रेट लिया जाता है और उनको कुछ रेट दिया जाता है। इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, शोषण है। मंत्री जी इसकी जांच करायें।

ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय। जिन क्षेत्रों में आप सड़कें बनवा रहे हैं उन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों का आप सहयोग मांगें तो आपका काम भी सस्ता होगा और अधिक होगा। इसका अन्दाजा जो आपने टेस्ट वर्क के नाम से काम किये थे, उनसे आपको हो गया होगा।

मंझनपुर में हिनौता से धाता, उदहिन, सिराथू को एक सड़क जाती है। इस पर अभी तक कोई बस नहीं चलती है। अगर सरकारी बस न चल सकती हो तो प्राइवेट बस को इजाजत दी जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद सारे विकास के कामों से वंचित है। उसी तरीके से सड़कों से भी वंचित है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ससुरखदेरी नदी पर निवारी के पास पुल बनवा दिया जाय ताकि वह सड़क खुल सके।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब ने पेश किया है मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही साथ श्री लखपतराम शर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके लिये जी चाहता है कि उनको उनकी मेहनत के लिये बधाई दूं जो कोशिश उन्होंने इसके सिलसिले में की है। लेकिन वे बातें कहां तक सही हैं, खुदा इसको बेहतर जानता है। बहरहाल उन्होंने काफी मेहनत की और काफी खूबसूरती के साथ अपने नजरिये को उन्होंने हाउस के सामने रखा। इसके साथ ही साथ वे इतना और गौर फरमा लेते कि तमाम खामियों को बताने के साथ ही साथ वे कुछ खूबियों को भी देख लेते तो अच्छा होता। अच्छे सुझाव वही कहे जा सकते हैं जिनमें भलाई और बुराई दोनों बातें बतायी जाती हैं। एक तरफ की बात में चाहे कितना ही वजन हो, वह हल्की हो जाती है और ये गले के नीचे नहीं उतरती। काश कि वे दोनों प्वाइन्ट आफ व्यू रखते तो उनकी बात में बहुत वजन पैदा हो जाता।

मैं यह मानता हूं कि सोसाइटी में भ्रष्टाचार है और हम रोज इसका रोना रोते हैं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन इसके लिये दोनों ही जिम्मेदार हैं। इस भ्रष्टाचार के लिये दोनों जिम्मेदार हैं। आवाम भी और सरकारी कर्मचारी भी। वह सिर्फ कहने से दूर नहीं हो सकता। उसके दूर करन के तो कुछ साधन हैं, कुछ तरकीबें हैं, उसके लिये हमें कुछ कुरबानियां करनी पड़ेंगी। जैसे देश की कुरबानियों के जरिये से आजादी हासिल की, उसी तरह से भ्रष्टाचार की गुलामी से बचने के लिये भी हमें कुछ कुरबानी करनी पड़ेंगी।

कम से कम मैं इस बात पर माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जब से उन्होंने इस विभाग को अपने हाथों में लिया है, तब से इस विभाग का कुछ उन्नति की तरफ कदम जा रहा है, बहुत से सुधार और अच्छाइयां पैदा हो रही हैं। एक दिन में ये तमाम चीजें ठीक नहीं हो सकतीं। हमारी रगों में जो बुराइयां घुस गयी हैं वे सब रफ्ता रफ्ता ही दूर होंगी। हमें जो खामियां दूसरों में नजर आती हैं वे केवल जबानी जमाखर्च ही रह जाती हैं जब कि खुद बुरा से बुरा कदम अख्तियार करने में भी हम कोई पशोपेश नहीं करते, जिसको रोजमर्रा की जिन्दगी में बुरा कहते हैं। तो मैं इन तमाम चीजों के ऊपर उनसे गुजारिश करूंगा कि जहां तक उनकी अच्छाई है उसकी मैं तारीफ करता हूं और जहां तक अपने सुझाव मेरे नजदीक अच्छे और अहम हैं उनको भी मैं उनकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा।

जहां तक सड़कों का काम है, यह ऐसा काम है जिसके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी मुल्क की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वहां की पैदावार, और उसके उद्योग व सनआत को बढ़ाने के लिये सड़कों का जाल मुल्क भर में फैला हुआ न हो। हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने में जितनी सड़कें थीं, इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद इन १६-१७ वर्षों में हमारे प्रदेश के लिये इस हुकूमत की सड़कों के मामले में जो देन है वह पहले से कहीं अधिक है। जाहिर है कि कोई भी अकलमन्द आदमी इसको सोचे बगैर नहीं रह सकता कि ज्यों ज्यों हमारे सामने खामियां व दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, वैसे ही वैसे हमारी जरूरियात भी बढ़ती जाती हैं। ज्यों ज्यों दिक्कतें हमारे सामने आयेंगी, हम कोशिश करेंगे कि उनका हल अच्छा ही हो। हमारे माननीय सदस्य चाहे वे मुखालिफ पार्टी के हों या मुआफिक पार्टी के हों, सभी का नजरिया यही है कि चाहे जैसे भी हो हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे प्रदेश की तरक्की हो। जब दोनों चाहते हैं कि तरक्की हो, तो सोचने की बात यह है कि क्या मुश्किलात व दिक्कतें हैं जिनका हल नहीं हो पाता है। यह देखने की बात है कि जो पैसा हमारे पास है कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो हम आपको सुझाव देंगे कि इस इस तरीके से रुपये को बचाया जाय तो ज्यादा फायदा होगा। इस तरह से कंक्रीट सुझाव देने की जरूरत है।

इसके साथ ही साथ एक बात मैं और आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा। मैं यहां कोई पूरब या पश्चिम का सवाल नहीं पैदा करना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जो ज्यादा आमदनी वाले जिले हैं उन पर आप क्या खर्च करते हैं और कम आमदनी वाले जिले पर क्या खर्च करते हैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रख सकूं। आम तौर से यह सवाल सामने आता है और यह देखा गया है कि पश्चिमी जिले वाले बोलते बहुत कम हैं, वे शोर नहीं मचाते हैं इसी लिये यह हालत है। मैं आपके सामने आंकड़े पेश करता हूं--इलाहाबाद में तो गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये ३६७ मील, सन् १९५१ में थी ४५२ मील और तजवीज थी १४२ मील, इस तरह से २२७ मील ज्यादा रही, आजमगढ़ में गवर्नमेंट फार्मूले के अनुसार होना चाहिये ३८२ मील, १९५१ में भी ४०० मील, तजवीज थी १०५ मील, इस तरह से २१३ मील ज्यादा रही, बलिया में गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये २४८ मील, १९५१ में रही २०४ मील, तजवीज थी १३१ मील, इस तरह से ८७ मील ज्यादा रही। देवरिया में

[श्री अहमद बख्श]

गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये ४०९ मील, १९५१ में रही ३६९ मील, तजवीज थी ६०५ मील, इस तरह से ४३१ मील ज्यादा रही। गोंडा में होना चाहिये ४४० मील, १९५१ में थी ३१० मील, तजवीज थी १९२ मील, इस तरह से ६२ मील ज्यादा रही। गोरखपुर में गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये ४५२ मील, १९५१ में थी ३४५ मील, तजवीज थी १३५ मील, इस तरह से २८ मील ज्यादा रही। जौनपुर में होना चाहिये २०० मील, १९५१ में थी २८७ मील, तजवीज थी १२५ मील, इस तरह से १२१ मील ज्यादा रही। सुल्तानपुर में होना चाहिये २९१, १९५१ में थी २६७ मील और तजवीज थी १०७ मील, इस तरह से ८३ मील ज्यादा रही। बनारस में गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये १७१ मील, १९५१ में थी ३८१ मील, तजवीज थी ७२ मील, इस तरह से ३८२ मील ज्यादा रही। खीरी में गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये ३०७ मील, १९५१ में थी ३६० मील, तजवीज थी १९८ मील, इस तरह से १५१ मील ज्यादा रही। बिजनौर में होना चाहिये २४९ मील, १९५१ में थी ३२० मील, तजवीज थी ७५ मील, इस तरह से १४५ मील ज्यादा रही।

अब दूसरी तरफ आप देखें कि बरेली में गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये १९६ मील, १९५१ में भी १८७ मील, तजवीज थी ५२ मील, १९६६ तक २१० मील हो जायगी, इस तरह से ४३ मील कम रही। एटा में होना चाहिये ३१७ मील, १९५१ में थी २६५ मील, तजवीज थी २७ मील, १९६६ तक हो जायगी २८३ मील, इस तरह से २५ की कमी रही। हरदोई में होना चाहिये ४४८ मील, १९५१ में थी २३२ मील, तजवीज थी ७१ मील और १९६६ तक होगी २७० मील, इस तरह से १४५ मील की कमी रही। बदायूं में होना चाहिये ३५८ मील, १९५१ में थी २३० मील, तजवीज थी २८ मील, १९६६ तक होगी ३४७ मील, इस तरह से १०० मील की कमी रही। मेरठ में गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये ५९४ मील, १९५१ में थी ४५७ मील, तजवीज थी १२३ मील, १९६६ तक हो जायगी ५२५ मील, इस तरह से १४ मील की कमी रही। मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट फार्मूले के मुताबिक होना चाहिये थी ४३९ मील, सन ५१ में आनी थीं ३०६ मील और तीसरी प्लान में तजवीज थी ८४ मील की और ४२९ मील १९६६ तक हुई इस तरह से ४९ मील कम रह गई। शाहजहांपुर में होना चाहिये थी २५७ मील, सन् ५१ में आनी थी १७४ मील, तीसरी प्लान में तजवीज थी ८१ मील की और २१० मील सन् ६६ तक हुई इस तरह से २ मील कम रही। जो गाय दूध देती है उसको कम से कम इतना चारा तो जरूर मिलना चाहिये जिससे वह कम से कम उतना दूध तो देती रहे और वह सूख न जाय ताकि आगे बहस्म न हो जायं। हमारे यहां सालानी का पुल बहुत अहमियत का पुल है, उस पर कलकत्ते से मुजफ्फरनगर तक बहुत ट्रेफिक है, यह पुल बन जाय तो रुड़की से हरिद्वार तक सीधे जा सकते हैं। रूड़की पुल का भी एक्सटेंशन हो जाय तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर जिले में जानसठ तहसील में खतौली घटायन सड़क भी बहुत जरूरी है, उसका रकबा चकबन्दी में छुड़वाया गया है, वहां की ३०–३५ हजार की आबादी है और ट्रेफिक बराबर चलता है वह जल्द बनवाई जाय, अभी तक उस तरफ कोई तवज्जह नहीं की गई। जो इलाका खाद्य के उत्पादन के एतबार से, रेवेन्यू के एतबार से बहुत अच्छा है वहां पर अगर आवागमन के साधन न होंगे तो वह कैसे तरक्की कर सकता है। इसलिये इधर खास तौर से गौर किया जाय। इसलिये मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी घटायन की सड़क बनवाने की तरफ जल्द से जल्द तवज्जह करेंगे। अन्त में अनुदान का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय लखपतराम शर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में मैं बोलने जा रहा हूं। मंत्री जी कैसे हैं और उनका विभाग कैसा है इसका वर्णन मैं क्या करूं जब उन्हीं की तरफ के सदस्य कलमा पढ़ रहे हैं उसको मंत्री जी सुनें और उनके

अधिकारी सुनें तो उससे उनको सन्तोष हो जायगा। तो हम क्या कहें कि कितने ईमानदार मंत्री जी हैं और कितनी ईमानदार यह सरकार है। माननीय रामायण राय जी, कल्पनाथ सिंह जी और माननीय गेंदा सिंह जी शायद उन्हें ईमानदार बना सकें तो सरकार की और माननीय सदस्यों की यह खुशकिस्मती होगी। लेकिन मालूम होता है कि वह बेचारे उधर जाकर परेशान हैं, कुछ काम बन नहीं रहा है और कहते हैं कि हमने तो अपनी जिन्दगी खुद मिटा डाली जैसे कि—

"गुल पे आशिक हो के बुलबुल जिन्दगी बरबाद की,
खुद फंसा फंदे में बुलबुल, क्या खता सैय्याद की।

न तो वह मिनिस्टर ही बन सके और न डिप्टी मिनिस्टर ही बन सके और श्री कल्पनाथ सिंह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तक न बन सके। अब अजीब उनकी हालत है, अन्दर ही अन्दर परेशान हैं, किसी ओर के भी नहीं रहे।

मैं जिला देवरिया के हाटा क्षेत्र से आया हूं, यहां के माननीय सदस्यों ने सड़कों की तारीफ भी की और कुछ निन्दा भी की लेकिन हमारे यहां तो कोई सड़क बनी ही नहीं मैं उसके बारे में क्या कहूं कि अच्छी सड़क बनी या बुरी सड़क बनी। मंत्री जी ने एक फार्म भेजा था कि कौन-कौन सड़क विधायक चाहते हैं हमने लिख कर दिया, मंत्री जी उस पर खयाल किया या नहीं क्योंकि उनको तो उद्घाटन से ही फुर्सत नहीं मिलती होगी। उन्होंने इंजीनियर्स के सुपुर्द कर दिया लेकिन वह हमसे परिचय भी करना नहीं चाहते, कोई सुझाव, कोई मीटिंग या बातचीत करना तो दूर रहा। हमारी यह शिकायत नोट की जाय कि देवरिया के पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर विधायकों से परिचय या बातचीत करना पसन्द नहीं करते हैं। उन्हें अवसर ही नहीं मिलता है। शायद कांग्रेसी साथियों से वह भेंट करते होंगे। तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी। अंग्रेजों की हुकूमत में कोई सड़क नहीं बनी और कांग्रेस की हुकूमत में भी अब तक नहीं बनी हालांकि उम्मेद थी, कि आजादी के बाद सड़क बनेगी लेकिन आज भी किसी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है।

श्री अधिष्ठाता—

आप, "आप" मंत्री जी को नहीं कह सकते हैं।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और कांग्रेस के सदस्यगणों से और उनके अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं। श्रीमन्, आपके द्वारा ही मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा नम्र निवेदन है कि···

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य आपके द्वारा गैलरी में बैठे सदस्यों को सम्बोधित कर सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

वे आफिसर्स को सम्बोधित नहीं कर रहे हैं। उन्हें सम्बोधन करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण मिश्र—

श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि जो माननीय सदस्य ने उनके प्रति कहा है उसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

जो आपने प्रश्न उठाया है, वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर कोई भी सुझाव अधिकारियों को देता है तो यह कोई बात नहीं है। उनकी तरफ प्वाइंट आउट नहीं किया जा सकता है।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं भगवान को भी संबोधित कर सकता हूं। मेरा तो सुझाव है आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी से कि वे झौगाल पैकोली होते हुये खेरटवा घाट तक जो सड़क जाती है उसे बनवा दिया जाय। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने काशी के घाट बनवा दिये। इसी तरह से आप भी अपने यहां की सड़कों को बनवा देंगे लेकिन यह पक्षपात पूर्ण नीति है। मेरे पिछड़े हुये क्षेत्र की ओर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिये नहीं तो, मैं धमकी तो नहीं देता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोग टैक्स और मालगुजारी देना बन्द कर देंगे क्योंकि निर्माण-कार्य होगा नहीं तो टैक्स वगैरह क्यों दें। सड़क न होने की वजह से राशन हमारे यहां लोग नहीं उठा सकते जिसके कारण हम लोग भूख से तड़पते रहे। दूसरे जुलेहानिया से खोडा तक जो सड़क जाती है उसका निर्माण हो जाना चाहिये। पैकौली और टिकरा के बीच में एक छोटा सा पुल है। उससे ५० गांवों की जनता आती और जाती है। वह बरबाद हो गया है। अगर आपकी दया दृष्टि हो जाय तो वह बन जाय और लोगों को राहत मिले।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बांके लाल जी, आप जो किसी को डिक्टेट कर रहे हैं, वह मुनासिब नहीं है।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक सड़क पैकोली से रोहुआघाट तक जाती है उसका निर्माण हो जाना चाहिये। कप्तानगंज से हाटा एक सड़क है। वह बन रही है लेकिन जितनी इस कांग्रेस सरकार की जिन्दगी है उतनी जिन्दगी उस सड़क की होगी। १० वर्ष के अन्दर यह सड़क खत्म हो जायगी। बनती जाती है और बिगड़ती भी जाती है। मेरा निवेदन है कि जो काम आप करें उसको पुष्ट तथा पक्का करें। आपको थोड़े दिन हुए मिनिस्टर बने और कितनी जानकारी आपको इस विभाग के सम्बन्ध में है यह आप जानते होंगे लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारी ईमानदार नहीं हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहता। बाकी आपके दोस्त लोग खड़े हो कर कलमा पढ़ेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने दारुलशफा के सी-ब्लाक के एक कमरे के प्लास्टर के बारे में एक चिट्ठी लिखी थी। उस सिलसिले में मुझे जवाब मिला कि चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ने उस प्लास्टर की जांच कर ली और वह प्लास्टर ठीक मालूम पड़ा। जो बरामदा बना हुआ है उसमें खूंटी लगाई जाने लगी तो दूसरी तरफ प्लास्टर गिर गया। यह अभी की बात है।

मेरे जिले में राप्ती का पुल टूटा जांच कमेटी बैठी उस कमेटी की रिपोर्ट का पता नहीं लग सका है कि उसका क्या हो रहा है? खेखड़ा नाले का पुल टूट गया, उसका पेमेंट कितना किया गया यह सवाल किया था मैंने तो जवाब मिला कि अन्तिम बिल २८,५२९ रुपये ७३ नये पैसे का दिया गया और ३,६९६ रुपये ७३ पैसे ठेकेदार को अधिक दिये गये थे वह उसकी जमानत से काट लिये गये मैं नहीं समझ पाता कि अधिक पेमेंट ठेकेदार को किन परिस्थितियों में हो जाता है? मेरी सूचना गलत हो तो नहीं कह सकता लेकिन १ अप्रैल को पुल टूटता है और ६,७ अप्रैल को पेमेन्ट किया जाता है और इसके बावजूद भी पेमेंट अधिक हो जाता है। पी० डब्लू० डी० में एक कमेटी बनी हुई है। उसके बारे में इस सदन के उप नेता विरोधी दल ने सवाल किया था। उस सवाल के

सिलसिले में बतलाया गया कि जी० पी० डब्लू० फार्म नं० ९ सरकार के विचाराधीन है। इतना पुराना फार्म है। कितनी दिक्कतें होती हैं यह फार्म चलाने में, लेकिन आज उसमें सुधार नहीं हुआ। आखिर कब तक इस तरह से ये बातें सरकार के विचाराधीन रहेंगी ?

मंत्री महोदय ने बताया कि ५ रुपया मंहगाई वर्कचार्ज स्टाफ की बढ़ा दी है। लेकिन जो सड़क पर्मानेन्ट है उसकी मेनटिनेन्स पर्मानेन्ट है। ३ हजार के बजाय साढ़े ३ हजार रुपया लग जायगा, तो उसके स्टाफ को पर्मानेन्ट करने में क्या दिक्कत है ? अगर इस सड़क के मेंटीनेंस को परमानेन्ट नहीं रखना है तब तो यह कहा जा सकता है कि स्टाफ को परमानेन्ट रखने की जरूरत नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने जो कर्मचारियों के साथ हमदर्दी दिखाई है उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपके यहां गेंगमैन काम करते हैं, उनकी जो दैनिक मजदूरी है वह भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न प्रकार की है। सहारनपुर, मेरठ, बांदा, गोरखपुर आदि स्थानों पर भिन्न मजदूरी की दर है। सरकार की ओर से यह कहा जायगा कि मार्केट रेट के लिहाज से मजदूरी दी जाती है। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुझे तकलीफ है कि आज भी मनुष्य का माकट रेट लगाया जाता है।

मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि पी० डब्लू० डी० में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं जब उनकी ५ साल या दस साल की सर्विस हो या कोई भी टाइम लिमिट रख दीजिये, उसके पूरे होने पर उनको मुस्तकिल कर दिया जाय। इनमें केवल मजदूर या गेंगमैन ही नहीं हैं बल्कि इंजीनियर्स तक हैं। असिस्टेन्ट इंजीनियरों के ऊपर क्या बीती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि लोगों को इसकी जानकारी होगी।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि माननीय अहमद बख्श जी ने सड़कों के सम्बन्ध में पूर्व और पश्चिम की बात कही। मैं पूरब और पश्चिम की सड़कों की पोजीशन बताना चाहता हूं। मैं २–३ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमीरपुर में ७ लाख ४९ हजार की आबादी पर ३९३ मील लम्बी सड़क हैं और गोरखपुर में २५ लाख ५१ हजार की आबादी पर ३९० मील लम्बी सड़कें हैं। अब आप देखिये कि हमीरपुर के मुकाबिले में गोरखपुर की आबादी कितनी अधिक है फिर भी वहां सड़कों की लम्बाई कम है। झांसी की मिसाल ले लीजिये जहां से माननीय लखपतराम जी आते हैं। वहां पर १० लाख ८६ हजार की आबादी पर ४९४ मील लम्बी सड़कें हैं। अगर बस्ती जिले को ले लीजिये जो घनी आबादी के जिलों में प्रदेश में दूसरे नम्बर पर है तो भी झांसी का मुकाबिला नहीं होगा। मैं गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील का हूं। बांसगांव तहसील में सड़कों की नितांत कमी है। एक आध सड़क बनाने की कोशिश भी हुई लेकिन उससे काम चलने वाला दिखाई नहीं देता है। वहां पर एक इंच भी रेल की लाइन नहीं गई है। आबादी के घनत्व का मुकाबिला मेरठ और गाजियाबाद से किया जा सकता है। मैं अर्ज करूंगा कि जितनी सड़कों की आवश्यकता है उसे सरकार को पूरा करना चाहिये।

इलाहाबाद-गोरखपुर सड़क के ऊपर सवाल हुआ था। मैंने जानना चाहा था कि बड़हलगंज दोहरीघाट पर पीपों का पुल बनाने में क्या दिक्कत है ? इस पर कहा गया कि पीपों की कमी पड़ रही है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर पीपों की कमी पड़ रही है और अगर दूसरी जगह पीपे न हों तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बाराबंकी जिले के पास घाघरा घाट पर जिस प्रकार नाव और खम्भे लगाकर घाघरा नदी के ऊपर पुल दिया गया है, क्या उसी प्रकार का दोहरीघाट में पुल नहीं दिया जा सकता ? इसलिये मैं यह कह रहा हूं, क्योंकि बड़हलगंज से दोहरी घाट जाने-आने में एक आदमी के आठ आने खर्च

[श्री कल्पनार्थसिंह]

होते हैं। पीपे न तो वर्डघाट से वहां गये और न उसका वहां कोई इंतजाम है और न अभी तक इसका कोई इंतजाम ही है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज खास तौर पर जो अर्द्ध विकसित या कम विकसित क्षेत्र है, उन पर ध्यान जाये। हमारी सरकार की नीति भी है जहां पर ऐसे गांव हैं जो किसी भी मुख्य सड़क के द्वारा या स्थानीय सड़क से नहीं मिलते वहां पर ध्यान देकर सड़कें अवश्य बनायी जायें, आज गोरखपुर जिले के बांसीगांव तहसील में ऐसी सड़कें नहीं हैं। यदि वह बनाई जायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अन्त में मुझे निवेदन करना है, सन् ६२ में जब पहले पहल मैं इस सदन में मेम्बर होकर आया उस समय कहा था कि रामजानकी मार्ग फैजाबाद से निपतः ठकीया तक बन जाये, लेकिन वह नहीं हुआ, बस्ती जिले के कुछ हिस्से को छोड़कर अन्य हिस्से में सड़क बनाना तो दूर रहा गोरखपुर में उसके प्रारम्भिक नक्शे प्राक्कलन आदि भी नहीं बनाये गये हैं। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री लखपतराम शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज के युग में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसके साथ-साथ जिस प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह से सड़कों का भी हमारे देश के लिये और देश के जीवन के लिये महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे प्रदेश में जितनी सड़कें आवश्यक हैं, उसके अनुसार सड़कें नहीं हैं और देहाती इलाके की हालत से आप सभी माननीय सदस्य परिचित हैं कि वह बहुत ही खराब है। लोगों को हम सड़क की सुविधा नहीं दे सके और इसके कारण उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। श्रीमन्, जो वह पैदा करते हैं हम उसे मुहैया नहीं करा पाते और शहर में उसे पहुंचा नहीं पाते। यदि देश और प्रदेश को आगे ले जाना है तो इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। आज देश के सामने परिवहन की बड़ी दिक्कत है। परिवहन की दिक्कत को हम तभी दूर कर सकते हैं जबकि ज्यादा से ज्यादा सड़क हमारे यहां बनें और तभी हम आर्थिक मंजिल की तरफ प्रदेश को ले जा सकते हैं। अब आप देखें कि विभाग तो तरक्की कर रहा है, विभाग ने जो पिछले दिनों काम किया है, विभाग को जो रुपया दिया गया है, क्या सचमुच में उसका ठीक से इस्तेमाल हुआ? टाइम के अन्दर खर्च हुआ या नहीं हुआ, जितनी हम आशा करते थे वह पूरी हुयी या नहीं हुई, इस पहलू से भी हमें विचार करना है। म माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जगह चीनी गन्ने के क्षेत्र थे उनके लिये आपने क्या किया? ६ करोड़ ६२ लाख में २ करोड़ ४६ लाख रुपया बिना इस्तेमाल के रह जाने की उम्मीद है यह आपने कहा है...

श्री जगनप्रसाद रावत---

यह तो बिल्डिंग के आइटम में मैंने कहा है।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया रूरल मैनपावर स्कीम आदि का और बहुत से काम हैं जिनमें पूरा धन इस्तेमाल नहीं हो पाता। आपको सेंट्रल से भी रुपया मिलता है। आपको देखना चाहिये कि जिन-जिन मदों में रुपया रखा गया, क्या वह टाइम के अन्दर खर्च हुआ, जो काम विभाग के सुपुर्द किया गया वह पूरा हुआ या नहीं? यदि एक एक आइटम को आप, मंत्री जी, देखें तो पायेंगे कि जिस प्रकार से कार्य होना चाहिये था उस प्रकार से नहीं हुआ है। मैन पावर स्कीम के लिये माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि १९६३-६४ में २४ लाख रुपया और १९६४-६५ में ५० लाख रुपया खर्च हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें कि १८ जिलों के लिये ३३३.३९ लाख रुपया रखा गया था मैन पावर स्कीम के लिये लेकिन उसमें से आपने ७४ लाख रुपया खर्च किया है। जब ऐसी बात है तो आप कैसे इस विभाग

को कह सकते हैं कि विभाग ने बड़ी तरक्की की। विभाग को जो रुपया दिया गया है वह भी पूरे रूप में खर्च नहीं किया जाता है। सन् १९६३ में कैपिटल एक्सपैन्डीचर का ५० प्रतिशत रुपया भी आपके विभाग ने खर्च नहीं किया। इससे मालूम होता है कि विभाग उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उसको करना चाहिये।

इसी तरह से मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९४३ में जो नागपुर में आपने पालिसी निर्धारित की उसे दूसरे सूबों ने तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते ही पूरा कर लिया लेकिन आपका विभाग अपने यहां तीसरी योजना के पूरी होने के बाद की उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा प्रदेश देश में और क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हों सब में पिछड़ा हुआ है। उसी तरह से सड़कों के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है और सड़कों के निर्माण में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है। हम दूसरे प्रदेशों से बहुत पीछे हैं। अगर आप देश में सड़कों के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि हमारा प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां क्या हो रहा है इसको आप देखें। पक्की सड़कों की लम्बाई प्रति १०० वर्ग मील क्षेत्रफल के आधार पर और पक्की सड़कों की लम्बाई प्रति एक लाख जनगणना के आधार पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं :

राज्य का नाम		पक्की सड़कों की लम्बाई प्रति १०० वर्गमील क्षेत्र-फल पर	पक्की सड़कों की लम्बाई प्रति एक लाख जनगणना पर
आंध्र प्रदेश	..	१६	४५
केरल	..	३४	३०
मद्रास	..	३५	५२
महाराष्ट्र	..	१४	३८
मैसूर	..	२२	७१
पंजाब	..	१४	३२
पश्चिमी बंगाल	..	२५	२४
उत्तर प्रदेश	..	१३	२०
और सम्पूर्ण भारत में	..	१२	३१

यह आंकड़े मैं "उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास का वार्षिक सिंहावलोकन" से पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा में जो आंकड़े दिये गये हैं वे और इस किताब में जो दिये गये हैं भिन्न हैं। इन दोनों के आंकड़ों में अन्तर है। मैं समयाभाव के कारण उन सब के विषय में यहां पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। मैंने पहले नागपुर का चर्चा किया कि वहां पर इस तरह से निश्चय किया गया लेकिन हम उस तरफ कम बढ़े हैं। हमारे प्रदेश में ३० हजार मील पक्की सड़कों की आवश्यकता है। अब ३० हजार मील पक्की सड़क की पूर्ति के लिये आप कहते हैं कि सन् १९८१ तक उसको पूरा कर सकेंगे।

[श्री ऊदल]

अभी अहमद बख्श जी ने बताया कि कई गुणा सड़कों का निर्माण हुआ है । इसमें उन सब सड़कों को जोड़ लिया गया है जो पहाड़ी इलाके में बनी हैं, जो चीनी मिलों के इलाके में बनी हैं और जो विभाग ने बनाई हैं उन सब को इसमें जोड़ लिया गया है । यह सब जोड़कर कह दिया गया कि इतनी अधिक सड़कें बनी हैं । इसलिये मैंने कहा कि इस विभाग ने उतनी तरक्की नहीं की है जितना इसको करना चाहिये था । इसलिये आप इस पर विचार करें और ज्यादा सड़कों का निर्माण करने की कृपा करें । अहमद बख्श जी जिस तरह से कह रहे थे मैं उस तरह से कहकर पूर्व और पश्चिम का सवाल नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन उन्होंने ऐसे आंकड़े दिये जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं ।

मान्यवर, आप गाजीपुर के रहने वाले हैं । गाजीपुर के लिये पटेल आयोग भारत सरकार ने नियुक्त किया । उस रिपोर्ट के अनुसार गाजीपुर में १ लाख आबादी में सिर्फ १२ मील पक्की सड़कें हैं जबकि राज्य का औसत १७ मील है और स्टार एंड ग्रिड फारमूला के अन्तर्गत १९.५ मील होना चाहिये । तो श्री अहमद बख्श कहां से आंकड़े ले आये, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है । मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पूरे प्रदेश में शहरों और गांवों का बहुत बड़ा वर्गीकरण किये जा रहे हैं । उदाहरण के लिये हमारे जिला परिषद् वाराणसी के मेंटिनेंस के लिये जो रोड ग्रांट देते हैं तो १९५७–५८ में २० हजार, १९५८–५९ में २१,४००, १९५९–६० में १७ हजार, ऐसी है । और नगर मह पालिका को देखें तो २ लाख, २ लाख, ३ लाख, ४ लाख, ७ लाख, ६ लाख इस प्रकार से दी गयी है । तो इस प्रकार से आप ही पूरे प्रदेश में शहरीकरण और देहातीकरण का इस तरह का भेदभाव पैदा कर रहे हैं और ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहे हैं ।

हमारे यहां बाबतपुर का ऐरोड्रोम है जहां विश्व के लोग आते हैं, कांग्रेस की १८ साल की हुकूमत में वहां एक इंच भी सड़क नहीं बनी । जिला परिषद् वाराणसी ने वरुणा नदी पर पुल बनाने के लिये कई बार जोर दिया है । और भी सड़कें हैं जिनका बनना अति आवश्यक है । भोजूबीर से सिंधोरा, दूसरी बाबतपुर ऐरोड्रोम से जमालापुर, तीसरी मीराशाह से मड़ियाहूं, चौथी बाबतपुर से बड़ा गांव होते हुये तमाचाबाद और एक पंचकोशी वाली सड़क–इन सड़कों का बनना उस इलाके की जनता के लिये अति आवश्यक है । वहां की जनता यह अधिकार आप से मांगती है । वरुणा नदी का पुल, गाजीपुर में ताड़ीघाट तथा आजमगढ़ में दोहरीघाट का पुल जिसको आपने भारत सरकार को मंजूरी के लिये भेज रखा है, यह बनना बहुत आवश्यक है । लेकिन इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई । मुझे भरोसा है कि आपने इस विभाग को संभाला है तो जो २० हजार अस्थायी मजदूर हैं उनको आप स्थायी करेंगे.....

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदानों का समर्थन करता हूं । मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि यह विभाग बहुत ही आवश्यक विभाग है और इसका ताल्लुक आम इनसान की जिन्दगी के साथ बहुत गहरा है । हमारी खुशहाली, उन्नति और विकास इस विभाग की अच्छाई पर निर्भर है । जहां तक इस प्रदेश की सड़कों का ताल्लुक है, इसमें शक नहीं कि यहां सड़कें बेहद कम हैं––विशेषकर देहाती क्षेत्रों में । जब तक देहाती क्षेत्रों में सड़कें ज्यादा से ज्यादा न बनेंगी, ऐसे रास्तों को जो कि कच्चे हैं और आवश्यक हैं उनको पक्का नहीं बनाया जायगा, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, उन्नति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं हो सकती, उसका औद्योगीकरण नहीं हो सकता, आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती और वहां की जनता को आराम उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन इस दिशा में इस विभाग की रफ्तार, मैं समझता हूं, संतोषजनक नहीं है। चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, हर तरफ आवश्यक है कि सड़कें बनायी जायं। मुझे आपत्ति है कि सड़कों को चौड़ा किया जाय, मैं चाहता हूं कि हमको नयी सड़कें बनानी होंगी। यह सही है कि सड़कों पर आज भारी ट्राफिक चलता है जिसके कारण उनको पक्का होना चाहिये, लेकिन उनके जो रीमाडिल करने की बात है उसके लिये मुझे आपत्ति है। उसकी जगह पहले नयी सड़कों को बनाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी नदियां हैं जहां पर मोटर वोट्स चलायी जा सकती हैं। जहां भी ६ महीने तक पानी उपलब्ध हो सके वहां मोटर वोट्स चलायी जानी चाहिये। माननीय मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इसका शीघ्र सर्वे आदि कराना चाहिये। उनका सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट परिवहन विभाग को भेजना चाहिये ताकि शीघ्र से शीघ्र वे कार्यवाही कर सकें। इससे यातायात में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और इस कार्य में खर्च भी बहुत ही कम होगा।

इसके अलावा नहरों के किनारे जो सर्विस रोड्स हैं उनको पक्का कराने की ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। नहरें ऐसे इलाकों से गुजरती हैं जहां यातायात की सुविधायें बहुत कम हैं। इन सड़कों को पक्का कराने से जो आस-पास के अन्दरूनी इलाके हैं उनको राहत मिलेगी।

मेरे क्षेत्र में सियाना–अनिवास जो सड़क है जो अनूपशहर ब्रान्च पर गंगा के किनारे है, उसको शीघ्र पक्का कराने की मांग कई सालों से की जा रही है। वहां के विकास खंड ने भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस रोड को शीघ्र पक्की बनवाने की कृपा करें।

मेरे क्षेत्र में एक अन्य सड़क है सियाना–बुगरासी–दौलतपुर। सन् ५४ से यह सड़क इस विभाग के पास है, मगर अब तक इसे पक्का कराने की नौबत नहीं आयी है। मैंने कई बार प्रश्न भी किये, लिख कर भी दिया, इसके पक्का न होने के कारण वहां का विकास कार्य सारा रुका पड़ा है, जिला परिषद् ने एक रिज्यूलूशन भी पास करके सरकार के पास भेजा, मगर अभी तक उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बार-बार यह अनुरोध किया गया कि यदि तीसरी योजना में इसे पक्की कराना संभव न हो तो चौथी योजना के प्रथम चरण में ही इसको प्राथमिकता दी जाय। यह उस इलाके की बदकिस्मती है कि इस ओर माननीय मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। मेरा यह निवेदन है कि कम से कम चौथी योजना के शुरू में ही इस सड़क को पक्की कराने के लिये प्राथमिकता दी जाय।

मैं इस बात का विरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी जिला परिषदों की राय से ही इत्तफाक करें और उनकी राय से काम करें। यह हो सकता है कि वहां पर लोग बैठ कर यह राय बनायें कि फलां फलां सड़क बनायी जाय, और आवश्यक सड़क को वे छोड़ दें। इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी जिला परिषद् की राय अवश्य मंगावें लेकिन जिलाधीश और दूसरे लोगों की राय भी मालूम करके तय करें कि कौन-सी सड़क लेनी है वरना जरूरी सड़कें बनने से रह सकती हैं। जिला परिषद् की राय को ही अन्तिम राय न माना जाय।

इस विभाग के कर्मचारियों के लिये मंत्रीजी ने कुछ किया है, मगर मैं चाहता हूं कि अधिक होना चाहिये। महंगाई इस कदर है कि वे पीड़ित हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह सही है कि आज काफी मात्रा में सीमेंट नहीं मिल पाता है। हर आदमी आज इजी एप्रोच चाहता है। मगर क्या कभी सरकार ने कोशिश की कि सीमेंट का आल्टरनेटिव कुछ मिले? हमारे प्रान्त में जमीन के नीचे से जो कंकड़ निलकता है जो ज्यादा होने के कारण जमीन को भी खराब कर देता है, वह उपजाऊ नहीं रह जाती है, ऐसी जमीन हमारे प्रान्त में बेहद पड़ी हुई है। हरदोई से मलिहाबाद तक रेलवे के दोनों तरफ लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिसके तले कीमती पत्थर मौजूद हैं। पहले जमाने के राजे-महाराजे उसे इस्तेमाल करते थे और उसे पकवाकर डिसइन्टीकेटर में पिसवाकर, वह उन इमारतों में लगा हुआ है जो आज हजारों साल से खड़ी हैं। आज लिन्टरिंग का जमाना है। पहले जमाने के चूने के बने लाखों डाम्स को आज प्रशंसा के साथ देखा जाता है। ईंट से ईंट भिड़ाकर चूना मिलकर ऐसी शकल दी जाती थी कि ईंट गिर न सके। अगर इस चीज को आप फिर से लाने की कोशिश करें तो प्रान्त की बड़ी भारी सेवा होगी। इससे काफी अच्छी इन्डस्ट्री खड़ी हो सकती है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है।

अब मैं आपका ध्यान उस रुपये की ओर ले जाता हूं जो आप खर्च नहीं कर पाते हैं, जैसा आपने भी कहा है। मैं सिर्फ आपको ही दोषी नहीं पाता हूं। सारी जगह यही हालत है। रुपया मांग लेते हैं और नये कर लगाने का एक बहाना हो जाता है। बाद में यह रुपया खर्च नहीं होता है और मार्च में आदेश जाते हैं कि फौरन खर्च करने की कोशिश करो। मैं निजी जानकारी से बताना चाहता हूं कि जितना धन जाली बिल बनाकर मार्च में खर्च होता है उतना सारे वर्ष में मुश्किल से होता है। अगर मार्च के महीने को आप अच्छी तरह से देख लें तो आप आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों बिल्स, खास तौर से इस विभाग के और नियोजन व एग्रीकल्चर विभाग में इम्पलीमेन्टस खरीदने में जाली बनते हैं।

आप स्वयं जानते होंगे कि जो काम ठेकेदार करते हैं उसका एक निश्चित अनुमान होता है कि इतना रुपया लगेगा। ठेकेदार उसमें से कटौती करते हैं कि मैं १० फीसदी कम में, दूसरा कहता है कि मैं २० फीसदी कम में, और तीसरा कहता है कि मैं ३० फीसदी कम में काम कर दूंगा। तो क्या कारण है कि वे कम रुपये पर कार्य करने के लिये तैयार हो जाते हैं? उसके अन्दर कोई न कोई गोलमाल है। अगर आप इसका कारण तलाश करने की कोशिश करें तो उसके अन्दर बड़ा भारी असन्तोष है मुझे। जहां ठेकेदार १०० बोरा सीमेंट लगाने के लिये प्राप्त कर लेता है वहां वह ५० लगाता है और बाकी ५० ब्लैक में १८, २० और २५ रुपये में बेचता है। जो सीमेंट ब्लैक में बिकता है वह ज्यादा तर आपके ही विभाग का होता है, या नियोजन विभाग का होता है। वह ब्लैक पैदा नहीं होता है। आपके एग्जीक्यूटिव आफसरों से मिलकर ही ठेकेदार उसे ब्लैक में लेजाकर बेचते हैं।

अब मैं आपका ध्यान दो, एक महत्वपूर्ण सड़कों की ओर लेजाना चाहता हूं। सहारनपुर जिले में चाकुम्बर देवी का मेला पहाड़ों के बीच में हर महीने की चौदस को लगता है जिसमें हजारों आदमी जाते हैं और दशहरे पर भी लगता है। उसमें तो लाखों की भीड़ वहां हो जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं। ५,७ दिन तक बड़ा भारी मेला वहां रहता है। वह सड़क बेहड़ तक तो पक्की है। उसके आगे १० मील का टुकड़ा, बावजूद इसके कि वह पहाड़ी सड़क थी और केन्द्र उसके लिये मदद देता, लेकिन आज तक वह नहीं बनी है।

दूसरी बात यह है कि सहारनपुर से देहरादून तक जो सड़क जाती है, ७ मील जाने के बाद कागागढ़ी के पुल से नागल तक सड़क निकाली गई है, जो मुजफ्फरनगर होती हुई दिल्ली को मिलाती है। वहां पुल आज से २००, ३०० वर्ष पहले का बना हुआ है। वह बहुत कम चौड़ा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप जानते हैं कि रुड़की महत्वपूर्ण मिलिटरी स्टेशन है। वहां मिलिटरी ने जो-जो अपने इन्तजामात कर रखे हैं कि अगर कोई जरूरत पड़े तो हम पीछे हट सकते हैं और तमाम चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने उस पुल को चौड़ा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हिंडने का यह पुल किसी समय भी बैठ सकता है। अगर नया पुल नहीं बनाया जावेगा तो आपके टैंक, गाड़ियां और दूसरे यातायात के साधन वहां ठप्प हो जावेंगे और सुरक्षा के हित में यह बात बड़ी हानिकारक होगी। सहारनपुर से नागल को जाने के लिये और मुजफ्फरनगर जाने के लिये यह सात मील का टुकड़ा पड़ता है और फिर दस मील का टुकड़ा नागल को मिलाता है। अगर हिन्डन नदी पर पेपर मिल के पास टपरी गांव में जहां पर पहले के पुल के निशानात मौजूद हैं, वहां एक पुल बना दिया जाय तो सीधा रूट दिल्ली को मिला सकता है। वहां पर एक पुल लाजिमी तौर पर बनना चाहिये। मुझे दुख है कि एक कांग्रेसी भाई वहां के सदस्य यहां पर हैं, उन्होंने कई बार इस चीज को रखा होगा, अगर नहीं रखा तो उसके लिये भी खेद है, लेकिन अगर रखा तो इसलिये खेद है कि आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पायी। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, करप्शन की बात इस हाउस में करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने कही है। परन्तु करप्शन कैसे दूर हो सकता है, इसका कोई ठोस सुझाव जब से मैं इस हाउस में बैठा हूं मेरे सामने कभी आया नहीं। जहां तक इस मुकहमें का ताल्लुक है जब तक ठेकेदारी सिस्टम इसमें या किसी भी मुकहमें में कायम रहेगा तब तक करप्शन दूर नहीं हो सकता। ठेकेदारी सिस्टम को पहले खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप देखें कि करप्शन कितना कम होता है, कितना कम नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इस प्लानिंग के जमाने में इतना अधिक रुपया इस सूबे में खर्च हो रहा है। और उससे मुख्तलिफ किस्म के काम किये जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर कोआपरेटिव सेक्टर को किसी गवर्नमेंट ने मजबूत नहीं किया तो मैं कहूंगा कि उस गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट किस्म का समाज बनाने में बहुत थोड़ा काम किया है या कुछ नहीं किया है। यह जितने पी० डब्लू० डी० वगैरह के काम हैं उनके लिये १७ सालों के अन्दर मुख्तलिफ किस्म की कोआपरेटिव सोसाइटीज खड़ी की जा सकतीं थीं, वह एक्सपर्ट हो सकती थीं और काम करने के योग्य हो सकती थीं, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब भी कोई ज्यादा वक्त नहीं गया है, अगर हमें वाकई इस मुल्क में और अपने सूबे में सोशलिस्ट समाज तैयार करना है तो उसमें हम कोआपरेटिव सोसाइटीज से बहुत बड़ा काम ले सकते हैं, वह बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं इस किस्म के समाज का निर्माण करने में। मैं यह आशा रखूंगा पी० डब्ल्यू० डी० के मुकहमें से और दूसरे और मुकहमों से भी जितना भी काम वह करायें यह कोआपरेटिव सोसाइटीज खुद डेवलप करके उससे करायें। अगर आज वह नहीं हैं तो उन्हें जन्म दें, ताकत दें, बलधारी बनायें और इस तरह सूबे का निर्माण करने में वह अपने फर्ज को अदा करें।

मेरे भाई लखपत राम शर्मा जी ने जो कटमोशन मुव किया, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और वह इसलिये कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट अधिकारी विभाग के जो हैं, एक-एक फाइल को तय करने में और सत्य पर पहुंचने में उन्हें हफ्ते और महीने लग जाते हैं पर मेरे भाई ने सैकड़ों फाइलें सब की सब इस ढंग से तय कर डालीं और सबका अन्जाम निकाल दिया एक एक मामले में कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनकी जो इंटेलिजेंस है, जहानित है उसके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। जब वह बोल रहे थे तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि पी० डब्लू० डी० आफिस का कोई सेकेंड क्लास क्लर्क बोल रहा है। ऐसा लगता था कि किसी ने इस किस्म के आंकड़े लाकर उनको दे दिये हों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

जिसको कि पूरी बात का पता न हो । रावत जी चाहे इन बातों का जवाब दें या न दें, लेकिन मैं जवाब दे सकता हूं, अपने अनुभव के सहारे पर कि इतने बड़े केस को वैसे ही शेल्व कर दिया जाय और सबके सब आदमी यूनाइट हो जायं, किसी एक इन्जीनियर या ओवरसियर के लिये यह नामुमकिन बात है । कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कें चौड़ी नहीं होनी चाहिये बल्कि सड़कों की तादाद बढ़ाई जाय । मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों के चौड़ा होने से उनकी उम्र चौगुनी हो जाती है जिससे रुपये की बचत होती है और लोगों को सुविधायें भी प्राप्त होती हैं । इसलिये चौड़ा करने का काम जरूर होना चाहिये । प्लान्स बनाते वक्त जिला परिषदों की राय मांगी जाती है और उस राय को बहुत महत्व दिया जाता है । मुझे दुःख है कि हम लोग जो इतनी जनता से चुनकर आते हैं, हमारी राय से वह बजट पास होता है, हम ही रुपया खर्च करने की मंजूरी देते हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है कि कौन सी सड़क आपके हल्के में शामिल करना है । और पूछा तो जाता है, लेकिन हमें दूसरा दर्जा दिया जाता है और जिला परिषद् को पहला दर्जा दिया जाता है । मैं इस पालिसी के खिलाफ हूं । जिला परिषद् के फंड हैं, हमारी तो सेकेन्डरी पोजीशन है । हमें अपने-अपने हल्के में भी जवाब देना पड़ता है । मेरी राय में हमको पहले मौका दिया जाय और हमारी राय से प्लान्स में जो आइटम्स रखे जायं उन पर ज्यादा जोर दिये जायं ।

लोकल इम्पार्टेंस की बात है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं विभाग का, कि इसमें न सिर्फ इन्डस्ट्री को डेवलप होने का मौका दिया बल्कि हमें अपने मुल्क की रक्षा करने के क्षेत्र में साधन सम्पन्न बना दिया है । काफी खराब इलाकों में, पहाड़ों में जहां चलना मुश्किल है, वहां पर थोड़े अर्से में बड़ी-बड़ी सड़कें बनाकर सचमुच में विभाग ने देश की रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, इसलिये मैं इस मुहकमें को दूसरे मुहकमें के मुकाबिले में ज्यादा धन्यवाद देता हूं ।

*श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

श्रीमन, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय कल्पनाथसिंह जी ने पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात उठा करके हमें बड़े भ्रम में डाल दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

कम से कम आप तो दोषी न बनिये इसमें ।

श्री शिवचरण—

मैं स्थिति साफ कर दूं । ६० प्रतिशत टैक्स पश्चिम से आता है, जबकि ४० फीसदी हमको बजट का मिलता है और पूर्व वाले ४० प्रतिशत टैक्स देते हैं, जब कि ६० प्रतिशत बजट का हिस्सा उनको मिलता है । मैं जानता हूं कि पूर्वी जिले गरीब हैं, १५ साल से पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में सड़कों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन क्या मथुरा या आगरा में कोई सड़क बनी है ? हां, एक सड़क का निर्माण हो रहा है जिसका नाम कागा-किरावली सड़क है । जिला आगरा में एक सड़क पर तो जरूर मिट्टी पड़ते देखी है, लेकिन मेरे क्षेत्र एतमादपुर में इतने दिनों में सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हुआ, यह मैं जानना चाहता हूं जब कि उधर से काफी लोग ब्रज यात्रा के लिये जाते हैं ? एतमादपुर तहसील के दरवाजे से खंदौली होते हुये दाऊजी ब्रिज को जो सड़क जाती है, बहरामपुर के पास झिन्ना नदी का पुल न बनने से प्रत्येक साल एक दो आदमी उसमें डूब जाते हैं । मौनसाये के बास की सभा में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जलेसर से होते हुये सिकन्दराराव जो सड़क जाती है और जो जहांगीर के जमाने की बनी हुई है उसकी स्वीकृति हो गई है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उस पर कोई निर्माण नहीं हुआ है । ३ साल से मैं सवालों द्वारा सड़कों के बारे में पूछ रहा हूं । एक सड़क और है जो फिरोजाबाद से जलेसर होते हुये सिकन्दरा-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राव को जाती है वह बछगांव होकर जाती है । हर साल वहां पानी भरा रहता है जिसके कारण वहां का जन जीवन खतरे में रहता है। मैं चाहूंगा मंत्री जी इन सड़कों को बनवा दें जिससे फिरोजाबाद, ऐतमादपुर तथा आगरा से उस क्षेत्र की जनता का सम्पर्क हो जाय । एक सड़क और है कोटला जाने वाली फिरोजाबाद से आपको याद होगा कि वहां एक नाव डूबी थी, कारण यह था कि सड़क नहीं बन पाई थी । मेरा तो कहना है कि सारा निर्माण का कार्य नक्शों और कागजों पर ही है । यह सड़क ऐसी है कि अगर ३-४ मील का टुकड़ा कोटला तक बन जाय, तो कोटला ब्लाक का सम्पर्क फिरोजाबाद से हो जाय । इसी तरह से आगरा और मथुरा की जिला परिषदों से जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह सड़क भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर बन जाय, त मंत्री जी की बड़ी कृपा होगी । १५ साल से आगरा तथा मथुरा जिले की सड़कों पर कंकड़ी नहीं पड़ी है, और अब तो सौभाग्य से मंत्री जी हमारे ही जिले के हैं, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन सड़कों का नाम मैंने लिया, उनको बनवा देंगे । केवल दो सड़कों का निर्माण आगरा जिले में हो रहा है और वह भी उस क्षेत्र में जहां से माननीय मंत्री जी और माननीया चम्पावती चुनकर आती हैं ।

आज सड़कों के अभाव से गांव की हालत खराब होती जा रही है । शहरों से कोई संबंध उनका नहीं होता । बरसात के दिनों में नाई की सराय से लेकर जलेसर के बीच चार-चार महीने तक यातायात नहीं रहता है, मुड़ी जहाँगीरपुर पर ऐसा खार है कि जिसके कारण यातायात बन्द रहता है । मैंने कई दफा सवाल उठाया और बार बार कहा कि इस पुल को बनवा दें ताकि वहां की जनता आपके गुण गावे । इसी तरह से बहरामपुर पर यदि मंत्री जी पुल बनवा दें, तो एतमादपुर से जो यात्री मथुरा व दाऊजी को जाते हैं उनको काफी सुविधा होगी । जिला परिषदों की सभी सड़कें विभाग को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये और प्रदेश का हर गांव सड़क द्वारा मिला दिया जाय, ताकि उनका संबंध शहरों से हो । जब माखन मिश्री आप भखें और हम भूखे फिरें, और साधनहीन समाज के अन्दर स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ेगी । हाथ को कामुन, पेट को रोटिन, रहवे को मकान, तो कब तक सड़ेगी । अन्त में मैं फिर चाहूंगा कि मंत्री जी फिरोजाबाद से कोटला, फिरोजाबाद से एतमादपुर, जलेसर वाया बछगांव, मथुरा वाया खंदौली, कुबेरपुर से बरहम, अहारनचावली और सराय नाई से जलेसर जाने वाली सड़कें बननीं चाहिये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करते हुये मैं पिटीपिटाई बातों पर विश्वास न करते हुये चन्द सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। फायनेन्शियल ईयर जो ३१ मार्च को खत्म होता है, उसमें कमियां और खामियां हैं । हम समझते हैं कि इस फायनेन्शियल ईयर को जून और जुलाई से लेकर दूसरे ईयर के जून और जुलाई तक कर देना चाहिये। क्योंकि बरसात के बाद दो तीन महीने तैयारी करने में लगते हैं और जनवरी और फरवरी में दो महीनों में काम किया जाता है । जो काम किया जाता है वह भी अधूरा रह जाता है । इसलिये नितान्त आवश्यक है कि अगर हम इस बजट को फाइनेन्शियल ईयर में पूरा खर्च करना चाहते हैं तो हमें इसको जून और जुलाई तक ले जाना चाहिये । दूसरी बात, पी० डब्लू० डी० या दूसरे मुहकमों में जो जिम्मेदारी अफसरों की है, वह निर्धारित नहीं की गई है । हर डिपार्टमेंट में जो खराबी व कमी होती है किसी काम में तो उसके लिये आप किसी एक अफसर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते । कानूनी खामियों से जिम्मेदारी किसी एक अफसर पर न रखकर सारे डिपार्टमेंट पर ही रख दी जाती है जो कि सारे डिपार्टमेंट पर न रखी जाकर एक अफसर पर ही रखी जानी चाहिये । आज इसी अव्यवस्था के कारण, जिस पर हमने विचार नहीं किया या व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की, बहुत सी कमियां और खामियां हैं ।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इसके अलावा आज मुझे १५ साल इस हाउस में बराबर बैठते हुये हो गये हैं। यहां के हमारे माननीय सदस्य केवल पूर्व और पश्चिम को ही समझते हैं कि ये हमारे देश के, प्रदेश के भाग हैं और जिसमें दक्षिण और उत्तर है ही नहीं। इस बजट में यही भाषण किया जाता है जिससे मालूम होता है कि इस मुल्क का दक्षिण और उत्तर गायब है। मैं पूछता हूं कि यह सौतेला व्यवहार क्यों है? सरकार को यह देखना चाहिये। मैंने देखा है कि बुन्देलखंड में जितना भी इलाका है वह बहुत पिछड़ा हुआ है। वही बात हमारे पहाड़ पर भी लागू हैं। अगर आप पिछड़ेपन को दूर नहीं करते तो ये आपकी पालिटीकल खामियां किसी भी तरह से देश को तन्दुरुस्त और मजबूत नहीं बना सकेंगी। इसलिये मै दरख्वास्त करना चाहता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य इस तरह का व्यवहार न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

आप समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं पहाड़ों से बखूबी जानकारी रखता हूं। मैं जानता हूं कि वहां यातायात के मामले में कितनी खामियां हैं जिससे वहां का जनजीवन कितना दुःखी है। हिन्दुस्तान के अन्दर हमने एक प्रज्वलित उदाहरण को प्रस्तुत किया है। यहां के रहने वालों ने ही मोटरों के लायक सड़कों के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। जो रशिया आज सारे संसार को अपनी डेवलपमेन्ट प्रोग्रेस में मात देता है, हमारे पहाड़वासी बूढ़े, बच्चे, जवान और यहां तक कि औरतों ने भी सड़कों का निर्माण किया है। उन्होंने अपनी टांगों पर खड़े होकर अपने श्रम के द्वारा उन सड़कों को बनाया है। परन्तु मुझे अफसोस है कि जिस मुल्क के अन्दर लोग इतने दुःखी हों और अपनी आवश्यकता के लिये और अपने दुःख को दूर करने के लिये जिनमें इतनी तमन्ना हो और उसके लिये खुद व खुद काम करते हों परन्तु उसके लिये सरकार अपना कदम नहीं उठा सके, इसका मुझे खेद है। आप समझते हैं और पी० डब्लू० डी० के अफसर भी जानते हैं कि बरसात के दिनों में पहाड़ों की सड़कें जो पक्की और बढ़िया किस्म की होती हैं वह भी टूट-फूट जाती हैं तो वहां के लोगों की ये श्रमदान से बनी हुई सड़कें कब तक टिक सकेंगी। सरकार कहती है कि जनता को खुद ब खुद काम करना चाहिये। हमारी सरकार का दिमाग ठीक नहीं है। अगर सरकार इस मुल्क को ठीक तरह से चलाना चाहती है तो लोगों ने जो खुद ब खुद काम किया है, सबसे पहले उसका इन्तजाम करना चाहिये।

इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक मोटर रोड जनता के द्वारा बनायी गयी है, लेकिन उसपर जो पुल बनाया जाता है वह सिर्फ ३ महीने ही काम देता है। बरसात में वह बन्द कर दिया जाता है, उसको डिसमेंटिल कर दिया जाता है। जनता ने जिस काम के लिये वह मोटर रोड बनायी थी, उस काम से, उसके फायदे से जनता ९ महीने तक महरूम रहती है। क्या सरकार इसके लिये कोई जस्टीफिकेशन बता सकती है। अगर सरकार के दिल में उनका कोई दर्द होता तो उनके साथ ऐसी बेइंसाफी न करती। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क का बटवारा न हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस बराबरी के दावे को खत्म कर दीजिये। बराबरी के आधार पर बजट का बटवारा नहीं हो सकता। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो आपको सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहना होगा कि पहाड़ी जिलों के लिये वह आपको अलग से रुपया दे। अगर सरकार इसी तरह का सौतेला व्यवहार करती रही तो किसी भी प्रकार से डिसपेरिटी को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि यह सरकार अपना दिमाग दुरुस्त करके वहां के लोगों के साथ इंसानियत का व्यवहार करे। उनके लिये आपको बजट में अलग से व्यवस्था करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने को धोखा देते हैं। आप मुल्क को गारत करते हैं, मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं। वरना अगर आप इन्तजाम नहीं कर पाते तो क्यों नहीं यह गवर्नमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखकर भेजती कि जब तक पहाड़ी जिलों का विकास और क्षेत्रों के बराबर न हो जाय तब तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने ऐक्सचेकर से पैसा दे?

हमारा यह जो पी० डब्लू० डी० का बजट है इसकी चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार उन कामों को ओर विशेष रूप से ध्यान दे जो जनता के द्वारा किये गये हैं। अगर उन कामों को संभालने की क्षमता इस सरकार में नहीं है तो सरकार के खोखले शब्दों की पोल खुल जायगी। लोग मेहनत करते हैं और उससे फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन बरसात आकर उनके काम को हज्म कर जाती है।

अन्त में विभाग ने जो और काम किये हैं उनके लिये मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में वह और भी अच्छा काम करेगा।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रसिंह जी रावत ने जो बातें कहीं उनसे ऐसा लगता था कि वे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। प्रत्येक, व्यक्ति जो इस विभाग की सही आलोचना करना चाहता है वह अवश्य ही इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। उधर बैठने वाले भी बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विभाग का कार्य किस प्रकार से चलता है, किस तरह की इसकी रंगत है, किस तरीके का साजबाज है। यह हर एक माननीय सदस्य जानता है।

श्रीमन्, जिस समय प्रस्ताव बनाये जाते हैं, न जाने वह कौन सी मशीन है जिसके जरिये वे प्रस्ताव बनाये जाते हैं कि जिले में किस जगह सड़क होनी जाहिये या किस जगह पुल होने चाहिये। क्योंकि जिला परिषदों से तो अब प्रस्ताव आना शुरू हुआ है। हमें दिखलायी देता है किपहले तो किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं ली जाती थी।

हमने यह देखा है कि जहां कुछ खास क्षेत्र हैं वहां पर बजट में प्राविजन न होने पर भी सड़कें भी बना दी जाती हैं और पुल भी बना दिये जाते हैं क्योंकि किसी मंत्री को वहां से चुनाव जीत कर आना होता है। अगर आप बरेली के नक्शे को उठाकर देखें तो बहेड़ी तहसील में जहां श्री राममूर्ति जी का फार्म है वहां छोटी-छोटी सड़कें उनके फार्म तक बना दी गयी हैं जब कि बाकी जिले को बिलकुल नेगलेट रखा गया है। इसका उदहरण आप के सामने मैं रखता हूं कि घंघोरा घंघोरी में माननीय मंत्री जी का एक फार्म है जहां आधा मील सड़क नहीं थी, लेकिन अब उस फार्म तक की आधा मील सड़क को बना दिया गया है और रास्ते में पड़ने वाली एक नदी पर पुलिय भी बना दी गयी है। हमारे यहां बरेली से बिसलपुर को जाने वाली सड़क जो बरेली और पीलीभीत को कनेक्ट करती है वह स्ट्रेटेजिक महत्व की है जिसके इधर-उधर आने जाने के लिये २०–२० मील लम्बी सड़क को आज तक पक्का नहीं किया गया और उस को इस बजट में भी शामिल नहीं किया गया है। आखिर यह क्या है? पी० डबल्यू० डी० को तो इन नेता लोगों से और ऐसे व्यक्तियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, फिर हम टिके मुंडे मन-सैये को कौन पूछे। मैं आप से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत पक्षपात होता है। जो सार्वजनिक महत्व की सड़कें व पुलियां हैं उन को तो बनाया नहीं जाता है, लेकिन किसी मंत्री या किसी खास व्यक्ति के क्षेत्र को सिंचित किया जाता है और वहां पक्षपात करके छोटी-छोटी सड़कें बना दी जाती हैं ताकि वे चुनाव में कामयाब हो कर आ सकें। यह पक्षपात केवल यही डिपार्टमेंट नहीं करता, बिजली विभाग वाले भी यही करते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मशीनरी ऐसी होनी चाहिये जो इस बात पर विचार करे कि जनता को कहां पर तकलीफ है और उसके लिये किस जगह पर सड़कें व पुलिये होने चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह ऐसी जगहों को पहले प्राथमिकता दे। अगर आप बरेली–बिसलपुर सड़क को पूरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिशकुमार गंगवार]

पक्की नहीं करा सकते थे तो कम से कम बरेली—मुक्ता तक ही सड़क को पक्की करा दें। वह सड़क बड़े महत्व की है। अगर वह सड़क बन जाय तो लोगों के लिये यातायात के साधन होने से बड़ी सुविधा हो जायगी। वहां पर कोई रेल भी नहीं है, इसलिये भी उस सड़क का होना बहुत ही आवश्यक है।

ठेरिया ठाकुरान के पास शंखा नदी पर एक पुल बनाने के लिये माननीय मंत्री जी ने सहानुभूति पूर्वक गौर करने का वचन दिया था, लेकिन आज तक वह वचन पूरा नहीं हो पाया और हमारे सरकारी अधिकारी लोग भी उसमें कोई मदद नहीं कर सके। मैं कहता हूं कि एक बार जब प्लान आता है तो सही तरीके से सार्वजनिक महत्व की जगहों को देख कर ही प्लान बनाना चाहिये कि कहां पर किस सड़क या पुल की विशेष जरूरत है। बल्लिया-अकपौर रोड भी आज तक पूरी नहीं हो पायी क्योंकि वह माननीय धर्मदत्त वैद्य के क्षेत्र में पड़ती है। क्योंकि श्री राममूर्ति और श्री धर्मदत्त की पार्टी की आपस में लड़ाई है इसलिये ही उनके क्षेत्र में काम नहीं हो पाया।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से अगर यह डिपार्टमेंट मंत्रियों या किसी दूसरे खास व्यक्तियों के ही काम में लगा रहा तो प्रदेश का हित नहीं हो सकेगा। जो सार्वजनिक महत्व की चीजें हों, उनको इस विभाग को पहले लेना चाहिये, यही मेरा कहना है।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इस विभाग का सम्बन्ध प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति से है। विभाग के जो नीचे के कर्मचारी हैं उन पर इस विभाग का सारा कार्य निर्भर करता है जैसे बेलदार हैं, वर्क एजेंट हैं, मेट हैं या वर्क सुपरवाइजर्स हैं, इन लोगों के स्थायीकरण के विषय में अन्य सदस्यों ने भी कहा है और मैं भी कहता हूं कि वह बहुत ही जरूरी है। जैसा कि माननीय कल्पनार्थसिंह ने भी बताया कि उनके वेतन क्रम किसी जिलें में कुछ हैं और किसी में कुछ, बेलदार को कहीं ४५, कहीं ४७ और कहीं ४८ रुपया दिया जाता है। इसी तरह से मेट को भी कहीं ५०, कहीं ५१ और कहीं पर ५२ रुपया दिया जाता है। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समान कार्य करने वालों को पूरे जिलों में, सूबे भर में एक सा वेतन नहीं दिया जाता, यह विभाग की भारी कमजोरी है।

इसमें सन्देह नहीं है कि पिछले बजट के समय माननीय मंत्री जी ने ५ रुपया की बढ़ोत्तरी इन कर्मचारियों के लिये की थी उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह ५-१० और साढ़े १२ रुपए की जो बढ़ोत्तरी सबको दी गई है विभाग का यह गरीब तबका उससे भी महरूम रहा है। यह सुपरवाइजर, वर्क एजेंट वगैरह जो ५० से १०० रुपए तक पाने वाले हैं वे इस से वंचित रह जाते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सुपरवाइजर जो स्थायी नहीं हैं और १०० रुपया वेतन पाते हैं और जो वर्क एजेंट हैं उनको भी उसी अनुपात से तरक्की मिलनी चाहिये। इसके अलावा जहां तक छुट्टी का सम्बन्ध है, बेलदार और मेट को दस दिन की त्योहार की छुट्टी मिलती है, लेकिन वर्क एजेंट को त्योहार की छुट्टी नहीं मिलती, केजुअल लीव मिलती है। दूसरी तरफ उनको केजुअल लीव नहीं मिलती, इस तरह से जो विभाग के अन्दर भेदभाव है और नीचे के कर्मचारियों की जो यह कठिनाइयां हैं उन की ओर मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। मैं आपका और मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य के नेतृत्व में सन् १९५९ में एक कमेटी पी० डब्ल्यू० डी० आर-गेनाइजेशन कमेटी के नाम से बैठी थी—उन्होंने अपनी सिफारिश वर्कचार्ज स्टाफ के बारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में की थी, मैं विस्तृत रूप में उसके ब्योरे में न जाकर केवल इतना कहूंगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो भी सुविधायें इन नीचे के कर्मचारियों को वह प्रदान कर सकते हैं वह कृपा करके प्रदान करें।

इसके अलावा मैं मंत्री जी का ध्यान बस्ती जिले की ओर भी दिलाऊंगा, जैसा कि माननीय कल्पनाथसिंह जी ने कहा कि प्रदेश में आबादी के लिहाज से वह दूसरे नम्बर का जिला है। वहां पर फिर भी सड़कों का बहुत अभाव है, ऐसी ऐसी तहसीलें वहां पर हैं जहां कि कोई सड़क नहीं है। राम-जानकी रोड के बारे में यह जिक्र किया गया कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जब रावत जी के पास वह बात कही गई कि सन् १९६० में यह सड़क सेंक्शन हुई थी और स्थगित हो गई थी, उस को सप्लीमेंटरी बजट में पुन: लेकर ठीक किया गया और उसका नामकरण भी राम-जानकी रोड हो गया। उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई दता हूं।

अन्त में मैं ठेकेदारी प्रथा के विषय में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। बड़े-बड़े इंजीनियरों ने अपने अण्डर में विभाग के अनेक कार्य बहुत अच्छे ढंग से सम्पन्न कराये हैं और बड़े-बड़े पुल बनवाये हैं, लेकिन आज विभाग की जो सबसे अधिक बदनामी है वह इस ठेकेदारी प्रथा के कारण ही है, अब उसका अन्त होना ही चाहिये जैसा कि सुबह रावत जी ने कहा था सरकार को चाहिये कि अब बड़े-बड़े तमाम काम विभाग अपने संरक्षण में अपने ही कर्मचारियों से करावे जैसे कि कुछ कराये भी गये हैं तो बेकार आदमी भी लग जायंगे और टेक्निकल आदमी भी काम करेंगे जो उपयोगी साबित होंगे और जो कलंक विभाग पर इस प्रथा से है वह धुल जायगा। इस कार्य को विभाग अपने हाथ में ले जिससे हमारे विभाग की जो बदनाम करने वाली चीजें हैं, वे निकल जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय लखपत राम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया है कि जो माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे या जो टिप्पणी होंगी वे उनके ऊपर गौर करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। म समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह कदम बहुत अच्छा है और आशा करता हूं कि और मंत्री लोग भी इसी की ताईद करें, तो बहुत अच्छा होगा।

इस विभाग का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ रिश्वतखोरी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में मेरे लायक दोस्तों न बहुत काफी रोशनी डाली है। एक बात कह देना चाहता हूं। इस विभाग के करप्शन की बात कहने में मुझे कोई मसर्रत हासिल नहीं होती बल्कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। यह पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है इसको आज लोग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं कहते हैं बल्कि "प्लन्डर विथाउट डेंजर" यानी "लूट भी हो जाय और खतरे से खाली हो।"

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर वे बजट एस्टीमेट्स और एक्चुअल को देखें, तो वे पायेंगे कि जितना रुपया आप सैंक्शन कराते हैं उसको आप खर्च नहीं करा पाते हैं और बजट में उसको सेविंग कह कर सदन को गुमराह करते हैं इसे माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए। यह सेविंग नहीं है। यह रुपया वह होता है जो अनयुटिलाइज्ड रह जाता है। सेविंग तो उस समय होती है जब कि आपने किसी काम के लिए ५ करोड़ का एस्टीमेट बनाया और उसको कम रुपये ही में बना लिया तो वह सेविंग हुयी, लेकिन अगर आप खर्च नहीं कर पाये तो वह अनयुटिलाइज्ड हुआ। अगर

[श्री भगवान सहाय]

वे १९६१–६२ के आंकड़े लें तो उस में प्रोपोज्ड बजट १४.९१ करोड़ का था। एक्चुअल १३.५० करोड़। सेविंग के बजाय अनयुटिलाइज्ड जो रुपया रहा है वह १.४१ करोड़। जो लगभग ९ १/२ प्रतिशत आता है। तो यह रुपया आप नहीं खर्च कर पाये। आप जब अपनी वह डिवीजन बनाते हैं, तो जो आप की प्लान्स हैं उनके काम के हिसाब से ही डिवीजन बनाते हैं। उसी के हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर्स, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स, ओवरसियर और उनका स्टाफ रखते हैं पर उसके बाद भी इस रुपये को खर्च नहीं कर पाते हैं। सन् १९६२–६३ में प्रोपोज्ड बजट था १९.२०, उस में से एक्चुअल हुआ १४.९१। अनयुटिलाइज्ड रहा ४.२९ अर्थात् २२.३ प्रतिशत जिसको आप खर्च नहीं कर पाये। तो यह कोई उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स सर्विसेज और पी० डब्ल्यू० डी० के लिये गर्व की बात नहीं है कि हम रुपया लें और प्रयोग न कर सकें। कैपिटल एक्सपेन्सेज यह रकम थी जो मैंने पढ़ी इस मद के लिए जो रकम लेते हैं वह रकम या तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उधार लेते हैं या लोन पर लेते हैं जिस पर ३ या ४ प्रतिशत सूद देना पड़ता है। अगर इस रुपये को खर्च नहीं कर पाते हैं तो यह बड़े शर्म की बात हो जाती है। यह वह खर्च है रैकरिंग एक्सपैंडिचर तो नहीं है, जिससे या तो साफ-साफ या घुमा-फिरा कर आमदनी की आशा होती है। इस सिलसिले में पी० ए० सी० की एक रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन में ६७ लाख रुपये में से २७.५३ लाख अनयुटिलाइज्ड रहा। गोकि बजट में यह सेविंग भी सुर्खी में दिया हुआ है और ग्रान्ट नं० ३५ में शुरू में प्राविजन था १०८.४९ लाख का। फिर सप्लीमेंटरी बजट में ७.७१ लाख रुपया लिया और बाद में १२ लाख से ऊपर खर्च नहीं कर पाये। तो यह ग़लत बात है। यह विभाग का आम रवैया है।

इसी तरह से आडिट रिपोर्ट से पर्चेज के बारे में इर्रेगुलेरिटी की बात बतलाना चाहता हूं। तार खरीदा गया जो कि पर्याप्त मात्रा की ताकत का नहीं था। उसे approve कर लिया गया। इस खर्चे को नीचे से ऊपर तक के अफसरों ने पास किया फिर यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया। सवाल यह है कि जिन अफसरों ने तार की स्ट्रेंग्थ को बिना जांचे हुए सैंक्शन कर दिया और उसका पेमेंट कर दिया उन अफसरों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? ऐसी नजीरें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके लिये आप को एक नीति अपनानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि विभाग के अन्दर जो आफिसर्स ऐसे हों जो ईमानदारी से सही काम करते हों, वक्त पर करते हों, बचत के साथ करते हों उन को इनाम दिया जाय। कानून अगर हायल होता है तो उसे बदलिये। हम आप के साथ हैं। उसी तरीके से जो असफर करप्ट हैं, जिनकी निरन्तर शिकायतें आती हैं, जो काम को पूरा नहीं करते हैं, एस्टिमेट से ज्यादा खर्च करते हैं उन को सजा दीजिये और अगर जरूरत हो तो कानून को बदलिये, हम विरोधी दल वाले आप का साथ देंगे।

एक चीज यह भी गौरतलब है कि पी० डब्ल्यू० डी० जो इमारत, पुल, पुलिया बनाता है वह नकल मात्र है। जो अमेरिकन या ब्रिटिश से नकल किया गया है। कोई ओरिजिनल कांट्रिब्यूशन देश के इन्जीनीयर्स का आर्चिटेक्ट में अथवा कांस्ट्रक्शन में या Material में या बनाने की विधि में नहीं है। वही सीमेंट और चूने का इस्तेमाल हर इमारत में होता है जब कि चूने सीमेंट की भारी कमी है कोई नया मैटीरियल इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे हम इमारतों को बना सकें। जो पुराने मुगल तरीके थे इमारतों के बनाने के, बुनियादें डालने के उनसे हमने कोई नसीहत नहीं ली। पी० डब्ल्यू० डी० का सारा तरीका नकल करने का है। जिसको अंग्रेजी भाषा में एपिंग कहते हैं।

एक सुझाव मेरा यह है कि कोई बड़ा पुल, रोड तब तक नहीं बनाना चाहिये जब तक अपने देश के डिफेन्स डिपार्टमेंट से मशविरा न कर लिया जाय। डिफेंस डिपार्टमेंट की आज

व १०, १५ साल बाद तक की जरूरतों को मद्देनजर रख कर सड़कें तथा पुल बनाये जायें व ट्रैफिक की बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रक्खा जाये ।

एक बात की ओर मैं इस विभाग का ध्यान दिलाऊंगा । और वह यह कि सड़कें ऊंची की जाती हैं । कल्वर्ट्स और आउटलेट्स दिये जाते हैं उनका वही पुराना तरीका है डिवास देने का और जमीन की पानी को सोखने की ताकत कम हो गयी है । जो पुराने कल्वर्ट्स हैं वे आज नाकाफी हैं । एक सड़क है उसे एक, दो फर्लांग तक ऊंचा कर दिया जिसके ऊपर होकर ४, ६ इंच पानी निकल जाता था आज सड़क ऊंची हो जाने के कारण यह पानी रुक जाता है और इस पानी की ऊंचाई वह हो जाती है जो कि सड़कों की ऊंचाई की होती है । इससे पानी के बहाव का ओपनिंग वही पुराने उसूल के आधार पर होता है जो आज के जमाने में नाकाफी है इस तरह से छोटे-छोटे कल्वर्ट्स होने से, छोटे-छोटे सूराख होने से पानी निकल नहीं पाता है । वह पानी सड़क को भी और साथ ही फसल को भी नुकसान पहुंचाता है । अक्सर तीन-तीन चार-चार फुट पानी सड़क रोक लेती है और मीलों की खेती की पैदावार डूब कर बरबाद हो जाती है । आइन्दा जब कभी इस मद को लें तो उस लोकेलिटी की इस बात को ध्यान में रख कर ही अमल करें ।

इसके अलावा आप लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट को तब्दील जरूर करें । यह ऐक्ट बहुत पुराने जमाने का बना हुआ है । इससे किसानों को अपनी जमीन का मुनासिब रुपया नहीं मिल पाता है और सरकार को भी जमीन के मिलने में दुश्वारी होती है । इसकी वजह से सरकार को जमीन जल्दी नहीं मिल पाती है । इस तरह से इसमें अमेंडमेंट लायें कि जमीन जल्दी मिल सके और किसानों को भी मुआवजे का रुपया बाजार भाव से मिल सके ।

दूसरा मेरा एक सुझाव यह है कि आप अपने यहां सर्वे डिवीजन और ब्रिज डिजाइन को strengthen कीजिये । यही आप के प्लान की जान है । एक बात जरूर की जाय कि यदि किसी ब्रिज के लिये रुपया सैंक्शन हो जाय तो उसका डिजाइन जल्दी से जल्दी बना लिया जाय ताकि कंस्ट्रक्शन का काम फौरन हो सके ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन निकलती है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी के महकमे के कम से कम २५ परसेंट कर्मचारी जरूर इस मैगजीन को पढ़ते होंगे । इसमें एक आर्टीकिल है उसको बिल्डिंग ब्लाक्स निकला है । जो अगस्त, ६४ के अंक में है इसमें यह है कि ईंटें सस्ते भाव में बना लेना । इसमें यह कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन्स में एक इस तरह की मशीन बनी है जिसके जरिये से आप १० परसेंट सीमेंट मिट्टी में मिलाकर और १५ टन के प्रेशर से ब्लाक बनाकर धूप में सुखा लीजिये । आप की ईंटें तैयार हो जायेंगी । इस तरह की ईंटों से यूनाइटेड नेशन्स, ईस्ट पाकिस्तान और अमरीका वगैरा में रिहायश के मकान और सिनेमा घर वगैरा बनाये गये हैं । मुझे अफसोस है कि इस तरह की इम्पोर्टेन्ट न्यूज की तरफ इनके मुहकमे का ध्यान नहीं गया है । इससे देहातों में मकान बनाने में बड़ी मदद मिलेगी व देहात के मकानों को सस्ता व मजबूत बनाने के ढंग में एक क्रांति हो जायेगी । इसके ऊपर इनके महकमे की तवज्जह नहीं गई । यह क्यों ? इस लिये कि उनके दिमाग के दरवाजे अंग्रेजी और अमरीकन डिजाइन के ऊपर नहीं, उनमें ओरीजनल थाट्स की कमी है । हम समझते हैं––मशीन तो pressure देती है वह हाथ से काम करती है व करीब ४६० रु० में तैयार हो जाती है । इसलिये मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह अपने यहां सर्विसेज में ओरीजनल थाट्स को प्रोत्साहन दें । एपिंग की नीति को खत्म करें अपने दिमाग के दरवाजों को नये तरीकों, नये खयालातों से बंद न करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, आज हम पी० डब्ल्यू० डी० के बजट पर विचार कर रहे हैं। इस मुहकमे के बारे में बहुत नुक्ताचीनी हुई है। आम तौर पर इस मुहकमे की नुक्ताचीनी होती रहती है। मगर वाकया यह है कि पिछले कुछ सालों में इस मुहकमे में काफी तरक्की हुई है लेकिन वह हमारे पास तक पहुंच नहीं पाती है। जितनी मुश्तहरी उस को मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती।

दूसरी चीज यह है कि हमारे जिले में जो सड़क देवबंद-सहारनपुर की बनी है तथा सहारनपुर-दिल्ली के लिये बनी है, वह बरसात में बहुत खराब हो गई थी और उसको दुबारा बनाना पड़ेगा। पी० डब्ल्यु० डी० ने तरक्की जरूर की है, लेकिन राय अम्मां अच्छी नहीं बनी है। तीसरे माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनके मुहकमे की तरफ से एक स्केल बना है जिससे यह पता चलता है कि काम स्टैंडर्ड का हुआ है या नहीं? लेकिन उससे कितना फायदा हुआ है यह हम लोग नहीं जानते हैं। मुझे यकीन है कि पब्लिक भी उस को नहीं जानती होगी। इसकी पब्लिसिटी नहीं हुई है। जहां पी० डब्ल्यू० डी० के काम में अच्छे इंजीनियरों की जरूरत होती है वहां पर अच्छी लेबर की भी जरूरत होती है। मगर इस ओर तवज्जह नहीं दी गई है। इस मुहकमे के यूनियन को रिकगनाइज क्यों नहीं किया जाता है और इसकी लीडरशिप अच्छे हाथ में क्यों नहीं दी जाती है? छुट्टी और मजदूरी के मामले में बड़ी विषमता है। मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ रेट्स हैं। इस मुहकमे का फर्ज है कि मजदूरों का स्टैन्डर्ड अच्छा हो और उनको उचित तनख्वाह और तरक्की का मौक़ा मिले। जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उसकी एक तरह से रहनुमाई करनी चाहिये बजाय इसके कि वह उनकी नकल करें और मजदूरों का शोषण करें।

इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा से विभाग की बदनामी भी हुई है और उनसे काफी काम भी गलत हुआ है। अच्छा हो कि सारा काम विभाग स्वयं करे और यदि वह यह नहीं कर सकता है तो लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी का जो आर्गनाईजेशन किया जाता है, उनके द्वारा यह सारा कार्य कराया जाया करे। जहां तक मुझे लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी का अनुभव है मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि इनको जो ठेके दिये जाते हैं, उसमें विभाग की इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं रहती है बल्कि एक बोझ की तरह वह इस कार्य को निभाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर गौर करें और सोसाइटियों को प्रोत्साहन दें जिससे इनका हुनर बढ़ सके और यह आसानी के साथ सफलता से काम कर सकें। इस तरह से जो इन सोसाइटियों के द्वारा काम लिया जायेगा उससे विभाग की नेकनामी होगी, काम भी अच्छा होगा और जो रुपये का बेजा इस्तेमाल हो जाता है वह भी रुकेगा।

इसके बाद मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे अपने जिले में फतेहपुर से कलसिया तक सड़क तो बन गयी है और अब पुल बन रहे हैं, उसी तरह की एक सड़क चिलकाना से बेहट भी बननी है। उस सड़क का बनाया जाना भी बहुत आवश्यक है। यदि वह सड़क बन जाय तो वहां का भी हित हो सकता है। उस सड़क के बनने से एक ऐसा इलाका मिल जायगा जो इतना ही पिछड़ा हुआ है जितना फतेहपुर से कलसिया वाला इलाका था। यह पुराने शाही जमाने की सड़क है, इसी प्रकार से एक सड़क भगवानपुर से गागलहेड़ी की भी बहुत आवश्यक सड़क है जो ७ मील बाकी है। अगर इनको भी जल्दी से बना लिया जायगा तो यह काफी मददगार साबित होगी। मैंने मंत्री जी को नोट दिया था जिसमें हमारे यहां जो नदी मसखरा बहती है, उसके ऊपर पुल बनाने की दरख्वास्त की थी। उसके न बनने के कारण आने-जाने

की बड़ी मुश्किल हो जाती है और यह नामुमकिन हो जाता है कि इधर का आदमी उधर जाय या उधर से इधर कोई आदमी आये। बरसात के दिनों में तो असम्भव ही है और यदि यह पुल बन जायगा तो इससे बहुत फायदा होगा।

अभी माननीय ब्रह्मदत्त जी ने जैसा कि जिक्र किया जो लाखनौर गांव पर पुल बनेगा। यदि यह पुल बन जायगा तो देवबन्द से सहारनपर तक के लिये हमें एक सड़क डायरेक्ट मिल जाती है। माननीय मंत्री जो इसे एक्जामिन करेंगे तो देखेंगे कि वहां पर पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि वह इसके लिये पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तकरीर पर मंत्री जी गौर करेंगे और उसमें खास तौर से इस पर कोशिश की जायगी कि ५ रुपये की बढ़ोत्तरी मजदूरों के लिये काफी नहीं है। आप सोचे ४५–५० रुपये में कोई अपनी गृहस्थी कैसे चला सकता है। इस पर सीरियसली विचार किया जाना चाहिये और मजदूरों को एक्स्प्लाएट करना ठीक नहीं है, बल्कि उसके साथ हमें पूरी हमदर्दी रखनी चाहिये।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस सूबे में जो यह डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसके बारे में मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कोई खास झलक अपने भाषण में नहीं दी या यह बताते कि इस विभाग से यह काम कब होने वाला है। श्रीमन्, जहां तक मोटी-मोटी बातें हैं सड़कों के निर्माण के संबंध में—

श्री अधिष्ठाता—

देखिये, आप एक महत्वपूर्ण कमेटी के सभापति हैं और इस पर आपके सुझाव बहुत ही प्रभावकारी होने चाहिये। हाई स्टैन्डर्ड के अनुसार होने चाहिये।

श्री बलवानसिंह—

खैर, मैं तो अपने स्टैन्डर्ड के अनुसार बहुत ही असरदार सुझाव दूंगा। कांग्रेस पक्ष के लोगों को भी अच्छे मालूम पड़ सकते हैं और इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को तो ठीक लगेंगे ही।

(इस समय ३ बजकर ३३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं रावत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक परिपाटी थी, किसी जमाने में दिल्ली को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती थी। जहां पर अफसर चलते थे, लाट साहब चलते थे उस सड़क को ऊंचा किया जाता था। उसके किनारे खबसूरत बंगले होते थे। ४, ५ मील के एरिया में ५०० करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाने की कोशिश की गई। यह उस जमाने की बात है कि जिस जमाने में अंग्रेजों को कोई इस मुल्क से हमदर्दी नहीं थी, लेकिन आज १८ साल के बाद भी एक परिपाटी बन गई है कि दिल्ली के रास्ते को, लखनऊ के रास्ते को और बड़े-बड़े शहरों के रास्ते की सड़कों को ऊंचा किया जा रहा है, लेकिन जहां पर छोटे-छोटे गांव हैं, जिन गांवों के चारों तरफ पानी भरा रहता है और साल भर में तीन महीने पानी में डूबे रहते हैं उन गांवों के रास्तों की तरफ कोई निगाह नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने नागपुर में एक प्रस्ताव पास किया था कि हिन्दुस्तान के ७ लाख गांवों को एक सड़क से मिलाने की कोशिश की जायगी, लेकिन इस दिशा में कितना काम किया गया है? यू० पी० में १।। लाख गांव हैं, लेकिन इन गांवों को मिलाने के लिय पी० डब्लू० डी० ने कौन सा कदम उठाया है? इस सरकार ने आज तक उन गांवों की सुविधा के लिये, आन-जाने की सुविधा के लिय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

कितनी कोशिश की ? मैं यह जानता हूं कि वहां पर गांवों में सड़के होती हैं, या सड़कों से संबंधित गांव होते हैं या गांवों का लिंकेज होता है तो वहां पर गांवों की तहजीब पर असर पड़ता है, गांव की पैदावार पर असर पड़ता है। अगर हिन्दुस्तान में ७ लाख गांवों को सड़कों के किनारे लाने की कोशिश की जाय या उन गांवों को किसी तरह से सड़कों से जोड़ दिया जाय तो मुझे उम्मीद है कि हिन्दुस्तान को उठाने में सबसे बड़ा सहयोग इस विभाग का होगा। लेकिन उस तरफ रुख नहीं है। जब मैं कानपुर से आता हूं तो देखता हूं कि सड़क को ऊंचा करने और खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। जहां पर सड़क पर गड्ढे हो गये हैं उन गढों को भरने के लिये लाखों रुपया खर्च किया जाता है। इसलिये मैं रावत जी से चाहता हूं कि अगर आप कोशिश करें कि गांवों का कुछ भला हो तो उस ओर आप निगाह करे और उन गांवों को सड़कों से मिलाने का प्रयत्न किया जाय क्योंकि आपके यहां वहीं से अधिक मात्रा में टैक्स आता है।

एक मेरा सुझाव यह है कि जो नहरों के किनारे आपने पटरी बनाने में लाखों रुपया खर्च किया है, अगर वहीं पर सड़क बनाकर उनको गांवों से मिला दिया जाय तो कुछ लाभ गांवों का हो सकता है। मैं समझता हूं इंजीनियर लोग इनको बना सकते हैं। १०, १५ हजार में एक मील सड़क बन सकती है। इसमें अधिक खर्चा भी नहीं है। तारकोल की सड़क पर एक लाख रुपया एक मील पर खर्च होता है। अब शायद एक लाख से भी ज्यादा खर्च होता होगा। लेकिन यह जो सफेद सड़कें हैं। उनके ऊपर पत्थर डालकर ये बन सकती हैं और इन पर १५, २० हजार से ज्यादा नहीं होगा। अगर सरकार उन नहरों के किनारे के गांवों को जोड़ने के लिये प्रयत्न करे तो इससे बड़ा लाभ गांवों का हो सकता है और हजारों मील लम्बी सड़क आप यू० पी० में फैला सकते हैं।

हमारे इंजीनियर और चीफ इंजीनियर रुड़की के पास हैं जिसके मुकाबले का कालेज एशिया में नहीं है। टैक्नालाजी में वहां के ओवरसियर और इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं तो वे इन सब कामों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत पुराने जमाने से हमारे रुड़की कालेज के पास इंजीनियर और ओवरसियर योग्य माने जाते हैं। करोड़ों रुपया वस्टेज में चला जाता है जो इस्तेमाल नहीं होता है। आज यहां पर बतलाया गया कि ६७ लाख रुपया इस्तेमाल नहीं किया गया। आप यह कह सकते हैं कि वह सेविंग है। लकिन वह सेविंग नहीं है। जिस काम के लिये रुपया दिया था वह काम आपने नहीं किया। सेविंग तो तभी होगी जब आप योग्यता के साथ काम करें और जो काम ५ लाख में होने वाला था वह ४॥ लाख में आप करा दें तब तो ५० हजार की सेविंग है, लेकिन अगर १० बिजली के खंभे लगाने हैं, एक मील सड़क का निर्माण करना है वह न करके कह दें कि एक लाख रुपये की बचत हुई, तो इस तरह से सेविंग के नाम को बदनाम न कीजिये। इतने अच्छे सार्वजनिक निर्माण-कार्य में अगर रुपया नहीं खर्च होता है तो सरकार इस विभाग के अधिकारियों को बड़े से बड़ा दंड दें। आज देहात की जनता चाहती है कि किसी तरह से हमारे गांव में सड़क आये, किसी तरीके से गांव की पुलिया का पुल बने, लेकिन सरकार का रुख ऐसा बन गया है कि वहीं पर सड़क बनायी जाय जहां पर कारों के लिये रास्ता हो।

भगवान सहाय जी ने इस तरफ इशारा किया था कि सरकार को अमरीकन स्टाइल की बिल्डिंग बनाने का शौक है। चाहे नहर के किनारे, चाहे सड़क के किनारे, देहात के अन्दर एक खूबसूरत अमरीकन बंगला बनाना ताकि वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मिनिस्टरान आकर रहें यह कहां तक हमारे लिये उचित होगा ? क्या वह कच्ची दीवार में रह नहीं सकते ? आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और लोगों को फैशन परस्त बनाने की कोशिश करते हैं। जरा खयाल कीजिये कि पी० डब्लू० डी० के बड़े साहब जब शावर का इस्तेमाल करके, मोजेक के एयरकंडीशन मकान में से निकल कर देहात में जाते हैं तो उनके दिमाग की क्या हालत

होगी। वह क्या कभी वहां जाना पसन्द करेगा ? यह बड़े आदमियों का शौक भले ही कहा जाय, लेकिन अगर आपको जम्हूरियत को पनपाना है तो आपको ऐसी चीजों को खत्म करना होगा। उसके सबसे बड़े दुश्मन करप्शन और उसके ऊपर फजूलखर्ची हैं। ये दो कीड़े हैं, ये दो जख्म हैं जिनको खत्म किये बगैर जम्हूरियत बढ़ नहीं सकती। मेरा सुझाव है कि इन बंगलों के फैशन के बजाय उस रुपये से एक झोपड़ी बनायी जाय, देहातों में उसकी जरूरत है।

नहर के किनारे की जितनी कच्ची सड़कें हैं उनको पत्थर की बनाइयें। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि जहां-जहां पर सड़कें हैं वहां सड़क से २२० फिट तक की दूरी तक मकानों के बनाने की मनाही है। गांवों के लोगों को उसकी इजाजत पी० डब्लू० डी० नहीं देता। लेकिन गरीब आदमियों के मकान बनाने से आपको क्या वास्ता, आपको तो अपने इंजीनियर्स के सुझाव पर अमल करना है। मैं देखता हूं कि आपके युग में जहां २१ करोड़ रुपये का सवाल है, अगर ५–६ करोड़ रुपया, यानी २० परसेंट आपके कांट्रैक्टर्स पर खर्च होता है। वह लोग २० परसेंट खा जाते हैं। स्वीडन में जहां मेन पहुंचाने का काम सब कांट्रैक्टर का होता है, अमरीका में जहां नहर लाने का काम कांट्रैक्टर करता है, लेकिन वहां कभी ऐसी गड़बड़ी नहीं होती। यहां पर होता क्या है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को थैली जायगी, इनके बड़े से बड़े साहब के लिये डाली जायगी। आप इस चीज को जानते हैं और कोई कैबिनेट का मिनिटर इससे इन्कार नहीं कर सकता कि १० परसेंट रिश्वत के बंधे हुए हैं। अगर इसको आपकी सरकार मान्यता देती है तो वह एक मिनट के लिये भी रहने की मुस्तहक नहीं है। आज जबकि यू० पी० में एक कैआस नजर आता है और टीचर्स के मसले को लेकर आज उनको कुचलने के लिये और एग्जामिनेशंस में कलक्टर से नीचे चपरासी तक उनका गला काटने के लिये तैयार हैं क्या आपमें ताकत है कि आप इस करप्शन को रोक सकें ? आप उस तरफ से रुपये को बचा कर इन टीचर्स की डिमान्ड को पूरा कर सकते हैं, जो चौकीदार, बेलदार आदि छोटे कर्मचारी हैं उनकी डिमान्ड को पूरा कर सकते हैं। यह जो आपकी दुतरफा पालिसी है कि वेतन कम और डी० ए० ज्यादा यह ठीक नहीं है। वेतन तो आप ३०–३५ देंगे, डी० ए० ५५ देंगे। हमारा तो सुझाव है कि किसी को १०० से कम वेतन मत दीजिये। जहां तक पैसे का सवाल है, उसको टटोलिये पैसे की कमी नहीं है, वह आपको मिलेगा। ऐश अय्याशी की तरफ से पैसा कम करके, जो लूट हो रही है उधर से पैसा बचाइये, काफी पैसा बच जायेगा। आशा है मेरे सुझावों पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

श्री रामलाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं, उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, देश निर्माण के काल से गुजर रहा है। निर्माण के कामों में दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली तो यह कि जो सड़कें बनी हैं या बन रही हैं उनमें जो छोटी-छोटी त्रुटियां हैं उनको पहले दूर किया जाय। हमारे जिले में पिछले १७–१८ वर्षों में करीब ३०० मील लम्बी सड़कें बनी हैं। उनमें एक ७० मील की सड़क ऐसी है जो एक तरफ से थोड़ी सी बनी है तथा दूसरी ओर से ३०-३५ मील बनी है, बीच में बिना बने पड़ी है। इस कारण लोगों को काफी घूम कर आना पड़ता है। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि इस तरह के छोटे-छोटे काम जो जारी हैं उनको पहले पूरा करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि छोटे-छोटे कामों को कराने के लिये इस विभाग के कर्मचारियों को बड़ी दिक्कत पड़ती है। छोटे-छोटे कामों के लिये भी उनको सरकार तक आना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से सिंचाई विभाग में अधिकारियों को कुछ हद तक रुपये खर्च करने की छूट है

[श्री रामलाल]

उनको यह अधिकार है कि वे उस हद्द तक रुपये को खर्च करके काम बनवा सकें, वही छूट इस विभाग के अधिकारियों को भी होनी चाहिये। इससे छोटे-छोटे काम बड़ी जल्दी और आसानी से हो सकते हैं।

दूसरी दिक्कत हमारे प्रदेश में सड़कों के बनाने में और पड़ रही है। ऐसी सड़कों का प्रोजेक्ट बना जो सीमेंट से बनने वाली थीं। सीमेंट मिला नहीं, लिहाजा १५ वर्षों से वह सड़कें नहीं बन पायी हैं जो सीमेंट से बनने को थीं। सरकार को आदेश देना चाहिये कि उन सड़कों को तुरन्त बनाना चाहिये। देवरिया में सैकड़ों मील की ऐसी सड़कें पड़ी हैं जो सीमेंट न मिलने के कारण नहीं बन पायी हैं। सड़कों के किनारे मिट्टी, कंकड़ आदि पड़ा है वह बेकार हो रहा है। मेरे यहां ७५ मील लम्बी एक सड़क है, ५ मील बनाना बाकी रह गयी है। उनका नतीजा यह होता है कि लोगों को कप्तानगंज से हाटा आने के लिये पडरौना होकर आना पड़ता है। हमारा जिला प्रदेश में ऐसी जगह पर स्थित है जहां से बीसों स्थान ऐसे हैं जो बिहार को छूते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पक्की सड़क बिहार को छूती हो और उत्तर प्रदेश का आदमी कलकत्ता या आसाम जाना चाहे तो चार-चार पांच-पाच मील की सड़क न होने की वजह से उधर से नहीं जा सकता है। तीन चार जगहें वहां पर ऐसी हैं जिनके लिये मैंने सरकार को बहुत से पत्र भी लिखे हैं कि वहां अगर सड़क बनादी जाय जैसे एक स्थान बधौल घाट है, वहां अगर सड़क बन जाय तो आदमी लखनऊ से या गोरखपुर से चकलर कलकत्ता और आसाम तक सड़क के रास्ते जा सकता है। वहां से कोयला आदि लाया जा सकता है। इतने छोटे-छोटे जो काम हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनको चौड़ी करने के लिये रुपया मंजूर किया जा रहा है। उन सड़कों द्वारा काम अब भी हो रहा है, अगर बजाय उनको चौड़ा करने के उनकी दूरी और बढ़ा दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यही तीन चार बातें मुझे निवेदन करनी थीं। देश में काम हो रहा है और जब काम होता है तो काम करने वालों से गलतियां होती हैं और बेईमानियां भी होती है, लेकिन सरकार को काम उन्हीं कर्मचारियों से लेना पड़ता है। वह कर्मचारी भी इसी देश के हैं। हमारी परम्परायें ऐसी हैं कि जिनके अन्तर्गत धन और सम्पत्ति का लालच बहुत ज्यादा है। आज जो जिस जगह पर है वहां वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। यही सिद्धान्त आज हमारे दैनिक जीवन का है और वह सरकार के सारे विभागों में है। इन सभी विभागों में जो काम करने गये हैं वह रुपये के लिये गये हैं और जहां उनको मौका मिलता है रुपया कमाते हैं। सरकार इस बात का ध्यान रखे। मेरा सुझाव है कि विभाग में ठेकेदारी की प्रथा से काम न करके दूसरे ढंग से काम कराया जाय जिससे कि बेईमानी कम हो। बस मुझे केवल यही सुझाव देने थे।

*श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता था कि हमारे बुजुर्गवार मंत्री महोदय छोटे-छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे परन्तु मैंने देखा कि केवल ५ रुपये बढ़ोत्तरी की है। यों तो इंजीनियर, ओवरसियर, एकाउन्टेन्ट वगैरह जो ठेकेदारों से कमीशन पाते हैं उनको अगर तनख्वाह न भी दी जाय तो भी उनके लिये वह काफी है, लेकिन यह जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं जो बरसात में जाड़े में और धूप में काम करते हैं उनके वेतन में केवल जो पांच रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है इससे उनका कल्याण नहीं है। हमारा गोंडा जिला बहुत पिछड़ा जिला है और दुर्भाग्यवश जिस इलाके से मैं चुनकर आया हूं वह तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे क्षेत्र में आज तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है। यातायात ही एक ऐसा साधन है कि जो क्षेत्र की तरक्की कर सकता है, लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि एक इंच भी पक्की सड़क जब वहां नहीं है तो वहां की क्या दशा होगी ? मैं जब से चुनकर के आया हूं इस सदन में मंत्री महोदय से, चीफ मिनिस्टर से, दामोदर दास जी से भी और गुप्ता जी से भी मिला और उन्होंने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी आपके क्षेत्र में सड़कों का नर्माण होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तीन साल हो गये हैं एक इंच भी सड़क नहीं बनी। आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले ही भ्रष्टाचार का यह आलम हमारे यहां गोंडे जिले में हुआ कि छोटे-छोटे काश्तकार से जिनके खेत पाले से नष्ट हो गये थे और टेस्ट वर्क वहां जारी हुआ उन टेस्ट वर्क्स में हजारों आदमी आ गये हैं, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने इतना अत्याचार किया कि आप अगर उसकी इन्क्वायरी करें तो पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना रुपया हड़प लिया। जांच अगर करें तो मालूम होगा। मुझे पता चला है कि इन्जीनियर्स ने अपने लड़कों और नौकरों के अंगूठे डलवा कर मस्टर रोल बनवाये हैं और उसका रुपया हज्म किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जरा उदाहरण बता दें, नाम बनायें। सदन में ऐसी बातें आनी चाहिये कि किस इन्जीनियर ने ऐसा किया।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

ऐसा सुनने में आया है, माननीय मंत्री जी पता लगावें। अभी हमारे क्षेत्र में, मंत्री जी गये थे, पर हमें पता नहीं चला वर्ना मैं दिखलाता। उतरौला से तुलसीपुर और उतरौला से पिपराघाट, चार मील का टुकड़ा है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान न करे, कभी कोई आक्रमण हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे जिले में एक पुल है। सिसमी पुल है जो पक्का बना हुआ है, इसी तरह से अगर एक पुल पिपराघाट पर भी बना दिया जाय और यह सड़क गौरा चौराहा से मिला दी जाय, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह इलाका नेपाल से मिला हुआ है, और चार मील का टुकड़ा न बनने की वजह से यह रास्ता बंद रहता है। उसके कारण उस जगह का ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अगर यह सड़क बन जाय, तो बहुत उद्धार उस क्षेत्र का हो सकता है। हमारे यहां सड़कों पर बहुत से पुल जर्जर हो गये हैं। कई पुलों पर यात्री उतारे जाते हैं, सब बसेज उनको पार करती हैं। बरसात के जमाने में २०–३० मील का रास्ता ५–६ घंटे में तय होता है। कोई सड़क हमारे यहां ऐसी नहीं है जिस पर बसें समय पर चल सकें। एक दो साल के अन्दर कीमती बसें नष्ट हो जाती हैं जिससे सरकार को भी काफी नुकसान होता है।

मैंने सुझाव दिया था कि जो सलाहकार समिति बनाई जाय अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो उस समिति को कुछ अधिकार दिये जांय। मनमाने ढंग से इन्जीनियर और ओवरसियर जिसको चाहते हैं, टेंडर मंजूर करके ठेका दे देते हैं। अगर सलाहकार समिति को कुछ अधिकार मिल जांय तो इन्जीनियर और ओवरसियर द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है, उसका काफी निराकरण हो सकता है। गोंडा जिले में आप देखेंगे, कि स्टार ग्रिड फारमूले के हिसाब से ४४० मील लम्बी सड़कों का निर्माण होना चाहिये, लेकिन हमारे यहां केवल ३५८ सड़कों का ही निर्माण हुआ है। हमारा जिला काफी पिछड़ा हुआ है, इसकी ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इस विभाग में जो बारामासी कर्मचारी हैं, या जमादार आदि हैं, उन्हें अन्य विभागों की

[श्री सूरजलाल गुप्त वकील]

तरह वर्दी मिलनी चाहिये। क्या वजह है कि जो दिन रात सड़कों पर काम करते हैं, उनको वर्दी न दी जाय? मंत्री जी इस पर विचार करके उचित कदम उठायें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री जगन्नाथ चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सिंचाई अनुदान के दिन आपने व्यवस्था दी थी कि जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाये, वह लिख कर अपने सुझाव दे दें। यह सब आज सड़कों का मामला है, और हम नहीं बोल पायेंगे, इसलिये आपकी बड़ी कृपा हो यदि वह व्यवस्था आज आप फिर दे दें, जिससे हम लिख कर अपने सुझाव भेज सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

उस दिन कम से कम ५०-६० आदमी खड़े होते थे, आज उतने आदमी नहीं हैं, इसलिये वह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आज भी आपकी वही व्यवस्था हो जाय। मैं तो उस दिन था नहीं। सदन से निलम्बित था, लेकिन अखबारों में पढ़ा कि आपने ऐसी व्यवस्था दे दी, जो कभी नहीं दी गई, न हाउस आफ कामन्स में और न लोक सभा में, तो अगर वह व्यवस्था आज फिर चला दें, बड़ा अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था की बात नहीं थी, यहां उस बारे में प्रस्ताव हुआ। लोक सभा में भी रेलवे बजट पर इस तरह की व्यवस्था हुई थी, लेकिन आज मैं उनको नहीं करना चाहता।

श्री उग्रसेन--

मैंने तो बहुत टटोला, लेकिन ऐसी व्यवस्था मुझे कहीं नहीं दिखाई दी, मैं चाहूंगा कि आज भी आप उस व्यवस्था को लागू कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

१९५४-५५ में श्री मवलंकर ने वह व्यवस्था की थी, आप उसको पढ़ सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, सदन का समय बढ़ा दें, तो बड़ा अच्छा रहे। मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने श्री जगन्नाथ चौधरी को पहले बुला लिया है। आप प्रस्ताव न करें।

श्री उग्रसेन--

मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय १ घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

मैं अपने जिले की हालत पेश करने के लिये केवल दो मिनट का समय चाहता था, पूरे अनुदानों में हमको तो स्वास्थ्य विभाग के बजट पर ही समय मिल पाया। लिख-पढ़ कर भी और दिन बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप चाहें, तो दो दो मिनट में सब माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कह दें, पहले तो मैंने श्री जगन्नाथ चौधरी को बुला लिया है, इसलिये उनको तो ५ मिनट मिलेंगे, उसके बाद सब को दो दो मिनट मिलेंगे। कारण यह है कि आज पार्लियामेंट ग्रुप की एक मीटिंग है, इसलिये दो दो मिनट में ही आप कह लें, अगर जरूरत पड़ेगी तो ५ मिनट का टाइम बढ़ा दूंगा।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, प्रस्ताव आ गया है, आप वोट ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले जगन्नाथ चौधरी को बुला लिया है।

श्री उग्रसेन—

दो मिनट में तो हमारी भूमिका नहीं बन पायेगी, यदि हमको लिखकर सुझाव देने की अनुमति मिल जाय तो अच्छा रहे। आप प्रस्ताव पर वोट करा लें।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में देखा जायगा, पहले जिनको मैंने बुला लिया है, उनको बोलने दीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

सबकी राय है कि दो घंटे सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आज तो पार्लियामेंट ग्रुप की मीटिंग है, यह दिक्कत है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज जनसंघ पार्टी के अखिल भारतीय स्तर के महा मंत्री, श्री दीनदयाल उपाध्याय का तिलक हाल में सम्बोधन है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सदन का समय न बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

सदन का समय बढ़ाने का तो सदन को अधिकार है, जब प्रस्ताव आपके सामने आ गया, तो आप उस पर राय ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने पहले श्री जगन्नाथ चौधरी को बोलने के लिये बुला लिया, उसके बाद प्रस्ताव रखा गया। उनको बोलने दीजिये जिनको बुलाया जाय।

श्री उग्रसेन---

इसके बाद आप प्रस्ताव पर मत लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

४-२० तक चलने दीजिये । ४-२० पर ले लेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)---

हमें भी बोलने दीजिये । हमें तो आपने अवसर ही नहीं दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बोल चुके हैं । पहले बुलवाया जा चुका है ।

श्री उग्रसेन---

व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् । ये १८५७ में बोले होंगे तो.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये ।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर दिया है । मैं माननीय मंत्रि महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ माननीय रावत जी को हार्दिक बधाई भी देने के लिये खड़ा हूं कि उनके हाथ में ऐसा महत्वपूर्ण विषय है । मान्यवर, यह ऐसा विभाग है जिस विभाग द्वारा कोई भी देश और प्रदेश तरक्की कर सकता है । यदि एक गांव से दूसरे गांव और गांव से जिलों और शहरों और प्रदेशों में आवागमन के साधन न रहें, तो वह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है । तो ऐसा महत्वपूर्ण विभाग श्री रावत जी के हाथ में है । इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि वह इस विभाग का काम बड़ी दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि वे आवागमन के साधनों द्वारा प्रदेश के भाग को संयुक्त करने में समर्थ हो सकेंगे । मैं रावत जी जैसे व्यक्ति को क्या सुझाव दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सामने जिले की जो कठिनाइयां हैं, उनकी ओर विशेष कर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा पहला सुझाव यह है कि हर बड़े-बड़े गांव की तरक्की के लिये एक बाजार को दूसरे बाजार से मिलाने की आवश्यकता है ताकि आवश्यक सामग्रियों को गांवों से शहरों और बाजारों तक सुविधापूर्ण पहुंचाया जा सके । इसके अलावा ऐसे गांव जिनमें नहरों के पानी द्वारा सिंचाई होती है और जिनमें नहर विभाग की सड़कें हैं मेरा सुझाव है कि उन नहरी सड़कों को मिलाया जाय खास तौर पर बलिया में जितनी नहर विभाग की सड़कें हैं उनको पी० डब्ल्यू० डी० लेकर पक्का कर दे ताकि बड़े-बड़े गांवों को बाजारों तक आने-जाने की सुविधा हो सके ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बलिया जिले में घाघरा नदी पर जो बंधिया है उसको पी० डब्ल्यू० डी० ने पक्का कर दिया है केवल उसका पांच या छः मील का भाग कच्चा रह गया है । अगर उसको भी सार्वजनिक निर्माण विभाग पक्का करने की व्यवस्था कर दे तो उससे काफी सुविधा हो जायेगी । इस सम्बन्ध में मैंने लिखकर भी दे दिया है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसे भी अपने विभाग द्वारा पक्का करवा देंगे । मेरा तीसरा सुझाव यह है कि घाघरा नदी के पास एक दूंहा बस्ती गांव है जो प्रतिवर्ष बरसात में पानी से घिर जाता है । इस तरह से लोगों को आने-जाने की बड़ी असुविधा हो जाती है । वहां का इन्तजाम भी अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने हाथों में ले ले तो जनता को सुविधा होगी । मेरा चौथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुझाव यह है कि मेन पावर स्कीम के अन्तर्गत बलिया में जो सड़कें बनाई जाने वाली हैं और जो सरकार की स्वीकृति भी पा चुकी है, परन्तु इस विषय में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पी० डब्ल्यू० डी० के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो जिनको न जाने किस जिले से मेहरबानी करके यहां भेज दिया गया है, वे योजनायें उनके कारण ठप्प पड़ी हैं। उन पर यद्यपि दो तीन साल से स्वीकृति हो चुकी है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। मैंने उनसे कई बार आग्रह किया लेकिन यही कहते रहे कि अब करेंगे, तब करेंगे लेकिन कुछ करने नहीं दिया। जो भी काम मैनपावर स्कीम में है या पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत हैं वे सब अधूरे पड़े हुए हैं।

इसके अलावा एक सड़क है दहताल–सिकन्दरपुर रोड उस पर काम शुरू हुए ७–८ साल हो गये। दसियों बार इसी असेम्बली में मुझे उसके बारे में आश्वासन मिल चुका है लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पायी है। वह सड़क अधूरी है। ऐसे इंजीनियर को किसी दूसरे जिले में भेज दिया जाय ताकि बलिया का और ज्यादा नुकसान न हो।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस अनुदान पर बोलने का आपने मुझे समय दिया। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर विचार हो रहा है। यह विभाग प्रदेश और देश की उन्नति के लिये सर्वोत्तम है और उपयोगी है। जब तक यातायात के साधन पूर्णरूप से पूरे नहीं हो जाते मुल्क की दौलत का सही तौर से उपयोग नहीं हो सकता और न ठीक प्रकार से विकास ही हो सकता है, और न प्रदेश की तरक्की ही हो सकती है। वैसे तो आज हमारा प्रदेश दूसर प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है लेकिन सड़कों के मामले में तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अन्य प्रदेशों में जहां सड़कों की प्रतिशत लम्बाई १६-३४-३३ प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में वह केवल १३ प्रतिशत ही है। जैसा कि माननीय मंत्री जी अक्सर कहा करते हैं, अगर इस विभाग को समुचित धनराशि दे दी जाय तो यह विभाग काफी तरक्की देश और प्रदेश की कर सकता है और हमारे मुल्क का बहुत कुछ निर्माण हो सकता है।

इसके अतिरिक्त एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों के अन्तर्गत जो सड़कें चलती हैं उनकी दशा बहुत ही सोचनीय है। वे कंकड़ की सड़कें हैं। हर बरसात में उन में गड्ढे हो जाते हैं और लोगों को जाने-आने में परेशानी होती है। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो आधी कच्ची हैं और आधी पक्की हैं। जब कोई आदमी किसी सड़क पर जाता है और बीच में जिला परिषद् की सड़क कच्ची आ जाती है तो वह दुविधा में पड़ जाता है। उसको गड्ढों में होकर जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जिला परिषदों के अन्तर्गत आने वाली सड़कों को भी इस विभाग में ले लें और देश के निर्माण में योग दें। मैं जानता हूं कि एक सड़क है मैनपुरी से फीरोजाबाद, दूसरी है इटावा को जाने वाली, इसी तरह से आगरा में है, और एक लखनऊ में भी है, जो कंकड़ की बनी हुई है। उन सड़कों को ठीक कराया जाय।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस सदन के अन्दर मंत्री महोदय ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले को कानपुर नगर को देख कर भुला दिया जाता है। कानपुर शहर की वजह से जिले और गांवों का विकास बिलकुल नहीं हो पाता है और लोग समझते हैं कि कानपुर शहर में बहुत बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द पांडेय]

बड़े काम हो रहे हैं। गांवों की तरफ देखा जाय तो १०–१०, २०–२० मील तक आप को सड़क ही दिखायी नहीं देगी। कोई आवागमन का मार्ग नहीं है। मैंने पिछली बार ही सदन में यह निवेदन किया था और आज भी बहुत से माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिये कि नहरों की पटरियों को पक्का कर दिया जाय। एक कैनाल की पटरी रूरा से लेकर दिबियापुर तक है अगर इसको पक्का कर दिया जाय तो २–३ जिलों को इससे लाभ हो जायगा और आवागमन का साधन हो जायगा। बहुत से कस्बे हरे-भरे हो सकते हैं लेकिन आज वे आवागमन के साधन न होने से निर्जीव से हो गये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिये जो लक्ष्य रखा गया था वह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा है। बिल्हौर से सिकन्दरा को जो सड़क जाती है उसको तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखा गया है। उसका एक छोटा सा हिस्सा रसूलाबाद से झींझक को जाता है और फिर झींझक से मंगलपुर थाने के सदर मुकाम पर जाता है। वहां पर आवागमन के कोई साधन न होने से बरसात के मौसम में कोई आदमी न तो थाने से गांव में पहुंच सकता है और न गांव से थाने में ही पहुंच सकता है। वह सिर्फ ५ मील का टुकड़ा है जिसको माननीय मंत्री जी इस योजना के अन्तर्गत ही प्राथमिकता देने की कृपा करें तो उनकी महती कृपा होगी।

इसी तरह से हमारे जिले में रसूलाबाद से ककुअन-बिल्हौर सड़क का बनना बहुत आवश्यक है। मंगलपुर-सिकन्दरा की सड़क जो आपकी योजना के अन्तर्गत है, वह अभी तक नहीं बन पायी है।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं पिछले दफा सदन में जो बतला चुका हूं और जिस से मेरी स्पीच की बड़ी तारीफ हुई है, उसको न दुहरा कर नयी बात आपको बताना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वह एक देहाती क्षेत्र है। उस पर सड़कों की उन्नति के लिये सरकार ने जो थोड़ा सा ध्यान दिया है उसके लिये मैं उसे बधाई दूंगा। जिस वक्त चीन ने हमला किया उस वक्त तो काम बहुत तेजी से हुआ लेकिन आज इतनी सुस्ती है, जिसका मैं क्या बयान करूं और मैं बहराइच से अपने गांव जमनहां जाऊं तो आप देखें कि सड़कों की हालत इतनी खराब है जिसका क्या बयान किया जाय। इसलिये गवर्नमेंट को तो इस तरह का सुझाव दिया जाना चाहिये कि जहां से अपोजीशन के मेम्बर चुन कर आते हैं वहां कोई सड़क नहीं बननी चाहिये। आज जिस क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार आते हैं उधर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लिहाजा रावत जी से मेरी प्रार्थना है कि वे विरोधी पक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दें। मैंने अपने क्षेत्र के एक पुल के बारे में सवाल पूछा था जिसको बनवाने के लिये कह दिया गया था, तो बतलाया गया कि उसके लिये रुपया ही नहीं है। आपको इस बात को पहले देखना चाहिये कि किस क्षेत्र में किस स्थान पर किस सड़क या पुल का बनाना बहुत आवश्यक है। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि श्री दीन दयाल उपाध्याय जी आने वाले हैं, इसलिये मैं १५ मिनट टाइम और बढ़ा देता हूं, इस पर आप लोग राजी हो जायं।

श्री उग्रसेन––

आपने तो ४–२० बजे प्रस्ताव लेने के लिये कहा था। १५ मिनट का समय बढ़ाने का तो आपको स्वयं अधिकार है, आखिर प्रस्ताव क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष––

मेरी यह प्रार्थना है, इसे आप स्वीकार कर लें, मान लें। प्रत्येक सदस्य दो दो मिनट में समाप्त कर दें। आप लोग केवल सुझाव दे दें।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इस कृपा के लिये आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जो बजट पेश है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे यहां काशी एक ऐसा स्थान है जिससे गवर्नमेंट की और तमाम हिन्दुस्तान की इज्जत है। वहां तमाम विश्व के पर्यटक आते हैं और यहां की अवस्था देख कर जो विदेशी पर्यटक जाते हैं वह सारे देश के विषय में एक अनुमान लगाते हैं कि सारा भारत ऐसा ही होगा। आप जानते होंगे कि काशी बहुत अधिक फारेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) आप को देता है। वहां की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सड़क पंचकोशी सड़क है और उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस सड़क की ओर संकेत किया है। हमें आशा है कि उस पर शीघ्र ही कार्य हो जायगा। लेकिन इसके साथ ही हमसे जो मंत्री जी ने सड़कों के संबंध से सुझाव मांगे थे वह मैंने भेज दिये हैं। उन्होंने वे देखे होंगे। उन पर ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, वह एक एक मील और दो दो मील के टुकड़े हैं जिनके मिल जाने से बहुत बड़ा (कामुनिकेशन) रास्ता खुल जाता है। इन क्षेत्रों में थोड़ा पैसा खर्च करने पर ही आवागमन का साधन सुलभ कराया जा सकता है। मेरी लिस्ट तो मंत्री जी के पास मौजूद है वैसे मैं बताये भी देता हूं कि कुसहा-मरुव. रोड को जखिनी से तिलंगा तक बढ़ाने से कछवा- चुनार जिला मिर्जापुर तक का क्षेत्र मिलाया जा सकता है। इस रोड को सिंचाई विभाग ने बनवाया है, मौजा पिलना है वह चुनार तक मिल जाता है और एक बड़ा भूभाग मिल जाता है।

इसके अलावा गंगापुर-कुरौत सड़क का भी निर्माण आवश्यक है, इस पर बरना नदी पर पुल बनना जरूरी है, वह बन जाय तो वह हरऊआ से मिल जायगी और मोहन सराय-चुनार रोड जो बनारस से चुनार को जाती है गंगा से उस पार को जाती है उससे सारे क्षेत्र के मिल जाने की सम्भावना है और एक बड़ा भू-भाग मिल जाता है। सारा सामान वहां से आता है। मिर्जापुर, गाजीपुर और बनारस के यह ऐसे मिले हुये क्षेत्र है कि जो इन छोटे-छोटे टुकड़ों के बन जाने से मिल जाते हैं। अभी हमारे ऊदल जी ने भी एक सड़क का नाम लिया था जो कि बनारस से सिधौरा तक जाती है जिस पर कि १२ बसेज चलती हैं लेकिन उस की दशा बहुत खराब है और आदमी व सवारी उस पर नहीं चल सकती हैं। बनारस से गाजीपुर रोड पर जो गोमती का पुल बन रहा है उस के काम में ढिलाई न आये ऐसा प्रयत्न होना चाहिये। राजा तालाब-जमुआ-मिर्जापुर की सड़क है जिससे गल्ला बनारस को आता है वह भी बहुत जरूरी है और उससे बनारस तक का क्षेत्र मिल जाता है। लोहता रिजर्व वेल रोड ग्राम कोरौता में केवल दो फर्लांग बढ़ा देने से ग्रैंड ट्रंक रोड को सेवरपुरी रोड से मिलाती हैं।

(इस समय ४ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। साथ ही आप के द्वारा मैं अपने कुछ सुझाव भी मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि सड़कों के चुनाव के दो आधार होने चाहिये। सबसे पहले तो उस क्षेत्र को चुनना चाहिये जो सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो, जहां यातायात के साधन न हों। फिर उसमें यह देखा जाय कि वहां की सबसे लम्बी और बड़ी सड़क कौन सी है, इस आधार पर चुनाव करना इसलिये जरूरी है कि इस तरह से एक जिला दूसरे जिले से मिल जाता है। आजमगढ़ जिले के पश्चिमी क्षेत्र में कोई सड़क या यातायात का साधन नहीं है, पिछड़ा इलाका, सड़कों की दूरी और तीसर यह देखना चाहिये कि चीनी की मिल के लिये गन्ने को लाने, ले जाने की सुविधा मिलती ह या नहीं।

[श्री दौलतलाल]

सड़क के चुनाव में इन दो तीन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। आजमगढ़ जिले में खेरउद्दीनपुर-मित्तूपुर जलालपुर रोड को सरकार को फौरन लेना चाहिये। नरन्ना शुगर मिल यह शाहगंज क्षेत्र में पड़ती है, यह वह सड़क है जो शाहगंज से फैजाबाद जाती है वह खेरुउद्दीन-पुर से आरम्भ होती है। इसके अलावा निजामाबाद-अहरौला-फूलपुर-मार्टिनगंज सड़क है जो बहुत आवश्यक है। चौथी सड़क फूलपुर माहुल वाली सड़क है जिससे आजमगढ़ जिले का यातायात ठीक हो सकता है और किसानों को अपना माल लाने ले जाने में सहूलियत हो सकती है। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में जो अनुदान प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ यह अर्ज है कि हमारा जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है वह जिस्म में आंतों की तरह से है। जिस तरह से आंतों के जरिये हमारे जिस्म में खूराक जाती है ठीक उसी तरह से सड़कें भी हमारे उद्योग-धंधों, यातायात के साधनों के लिये हैं। देहात में जो सड़कें हैं, उनके बढ़ाने से ही हिन्दुस्तान की तरक्की हो सकती है। शहरों की तरक्की से जहां पर महज २६ प्रतिशत जनता रहती है, हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है।

हमार इलाके में एक सड़क लक्सर से लंढौरा तक जाती है वह सड़क कच्ची ही चली आ रही है। उसके लिये जो कि ४ मील का टुकड़ा है मैंने १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ और आज १९६५–६६ के बजट के सिल-सिल में बोल रहा हूं। अगर इसको मिला दिया जाय तो मंगलौर की मंडी काफी तरक्की करेगी और एक बहुत ही अहम सड़क जी० टी० रोड के नाम से है जो दिल्ली से हरिद्वार, जो एक तीर्थ स्थान है और देहरादून को जाती है। रुड़की के पास एक रेलवे फाटक है वह एक डबल लाइन को पार करती है। रुड़की में कैन्ट है और जहां से सड़क आती है वहां देहली और मेरठ में भी कैन्ट है। यहां पर आने-जाने में इतनी असुविधा होती है कि घंटों इन्तजार करना पड़ता है जनता तथा सेना को भी फाटक को खुलने में और लाइन को पार करने में। डबल लाइन बनाने से तो यह दिक्कत और भी हो गयी है। इसलिए अब यह निहायत जरूरी हो गया है कि इस स्थान पर रेलवे लाइन्स के ऊपर ओवर ब्रिज बनाया जाय। इसी प्रकार से लक्सर में एक फाटक ह जो कनखल की तरफ से सड़क आती है वहां पर १– १/२ घंटा काश्तकार को खड़ा रहना पड़ता है। अगर वहां पर भी एक ओवर ब्रिज बन जाय तो काफी सहूलियत हो सकती है।

*श्री मुकटबिहारीलाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। इसके आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इस बात को सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछड़ हुए इलाके हैं उनको किसी विशेष इलाके से सम्बन्धित कर देने से पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं वे भी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे बड़ी-बड़ी योजनाओं को छोड़ कर कंक्रीट की सड़कें बनाने की योजनाएं बनायें। इसमें केवल ६० हजार रुपया प्रति मील खर्चा होता है।

दूसरी बात यह है कि आज पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की तो बात कही जाती है मगर जो मध्य का भाग है वह बुरी तरह से पिस रहा है। लखनऊ के निकट होने के कारण उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता ह। मेरे क्षेत्र रुदौली में एक इंच भी सड़क नहीं बनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं यदि सरकार उनको भी उन्नत करना चाहती है तो विशेष रूप से जो प्रमुख सड़कें ह, जैसे हदौली से रेजघाट तक और मवई थाने से पटरंगा स्टेशन तक जो बीचे में लखनऊ-फैजाबाद रोड से मिलती है, उनको सरकार बनाव ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से उत्तराखंड की विशेष परिस्थिति के कारण मुझे यह निवेदन करना है कि वहां पर जिला परिषद् नहीं है । तमाम शक्तियां जिलाधीश को हस्तांतरित है । उत्तराखंड की खास तौर से चमोली जिले की हालत बहुत खराब है और मेरा निवेदन है कि जितनी सड़कें अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत हैं उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत किया जाय । वहां देहात की जनता आज सड़कों के अभाव में बहुत परेशान ह ।

पिछले वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि १० लाख रुपया केंद्रीय सरकार ने उत्तराखंड की अन्तरिम जिला परिषदों को सड़कों के लिये दिया है लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि उन रुपयों का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है । खास तौर से मैं चमोली जिले की सड़कों तथा पुलियों के संबंध में कह सकता हूं कि उनकी बड़ी दुर्दशा है नेफा लद्दाख से लेकर उत्तराखंड के बार्डर तक जितना इलाका हैं उससे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं है । बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थानों के होते हुये भी चमोली जिला आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है । मेरा निवेदन है कि यात्रा लाइन पर कर्णप्रयाग से चटुआ पीपल तक सड़क निर्माण की आवश्यकता है चटुआ पीपल होकर धनपुर तामाखान तक सड़क की आवश्यकता है । कर्ण प्रयाग से पौड़ी चमोली को मिलानेवाली सड़क के लिये गीदोंताल तक सड़क की आवश्यकता है । बदरीनाथ धाम में बाराहोती तपोवन मार्ग पर तपोबन से भविष्य बदरी तक और तपोवन से रामराजि मुन्दोली होते हुए देवाल तक सड़क की आवश्यकता है जो रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । त्रिवेणी में हैलन के नीचे बद्रीनाथ सड़क पर त्रिवेणी से कल्पनाथ और कल्पनाथ से चमोली लाल सांडा तक सड़क की आवश्यकता है । नन्द प्रयाग घाट मार्ग पर घाट से आगे थरौली तक सड़क की बहुत आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त केदारनाथ क्षेत्र में रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कालीमठ और वासुकीताल ये कुछ स्थान हैं जो पर्यटकों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं । यहां पर सड़क निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है । इसके अलावा नारायण बगड़, बांज बगड़ और नारायण बगड़ से गैर सेंड तक सड़क की आवश्यकता है । धोलातीर से एक सड़क की आवश्यकता धनपुर तामारतान तक है । इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जाय ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टार ग्रिड योजना और नागपुर योजना को लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने सदस्यों के सुझावों को अमल में लाने और उन पर विचार करने का आश्वासन दिया । लेकिन एक बात में बतला दूं कि उनके विभाग में १५ फीसदी और १० फीसदी जो रेगुलराइज्ड रिश्वत चलती है उसे वह समाप्त कर दें तो उस रकम से वह बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं ।

एक बात मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद बांदा से लगा यह फतेहपुर जिला बैकवर्ड है और बैकवर्ड जिलों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वह इस क्षेत्र को भी ी जाय । इलाहाबाद की सिराथू तहसील से नाड़ा तक सड़क बनाने की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में है । फतेहपुर से दो मील का भाटा और खागा इन सड़कों को बना कर नत्थी कर दिया जाय और एक पुल बना दिया जाय । इसमें ६ लाख का खर्चा आता ह ।

[श्री दीपनारायण सिंह

दूसरे किशुनपुर गल्ला मंडी में जमुना पर पुल बनाया जाय जिससे बांदा और फतेहपुर जिले का सरप्लस गल्ला रायबरेली वगैरा जा सके। खागाकोट कच्ची सड़क पर जिस पर प्राइवेट बसेज चलती हैं ग्राम कुल्ली व कोट के बीच में ससुर खदेड़ी नदी पर पुल या रपट बना दी जाय जिसका एस्टीमेट केवल ६ लाख रुपया आंका गया है। इसके अलावा नहर की पटरियों को एकसा कर दिया जाय इस योजना से रुपया भी बचेगा, कटाव नहीं होगा और यातायात के साधन भी कम खर्चे में चलेंगे।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी की तरफ से जो अनुदान पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा देवरिया जिले की सड़कों की खराब हालत के संबंध में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ मैं सुझाव देना चाहता हूं कि छावनी से अहिरौलिदीक्षित गुलेलहा होते हुये सारवां से कुबेरनाथ होते हुये बिहार नैपाल और चीन की सीमा से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश को मिलाती है। यह सड़क १६ मील की है। इसको बनाने की नितांत आवश्यकता है। दूसरी सड़क जंगर करमौल से खेखिया चिरगोड़ा होते हुये जारहां-बाजार की ८ मील लम्बी है। तीसरी सड़क सुसवालिया से बड़हरा, सखईमिश्र होते हुए कोवांरी १० मील लम्बी है। चौथी सड़क खिरकिया पुल से बांसी मेला जाने वाली ३ मील लम्बी है और पांचवीं सड़क बकुलहा से नरचोचवा होते हुये गोइती से चितौनी तक करीब १४ मील लम्बी है। इन सड़कों की हालत बहुत खराब है। इनको बनाने की नितांत आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

*श्री राधेश्याम शर्मा---

अधिष्ठाता महोदय, आज से कुछ दिन पहले मंत्री जी ने प्रदेश के तमाम विधान सभा के सदस्यों से सुझाव मांगे थे कि वे अपने जिले में कहां-कहां सड़क बनवाना चाहते हैं। यह मंत्री जी ने दिल बहलाने के लिये पहला काम बड़ा अच्छा किया था। सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे। हमने भी अपना सुझाव दिया था और जिला परिषद् ने उन सड़कों को बनाने के लिये अपनी मुहर लगा दी थी। जिला परिषद् में कांग्रेस के एम०एल०ए० तो कुछ बोलते नहीं है और विपक्ष के लोग बोलते हैं। आचार्य जुगलकिशोर जी आते ही नहीं हैं, और चारों सदस्य कांग्रेस के दिखाई नहीं देते हैं। दो आदमी ६ आदमियों की बात कैसे कह सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

कांग्रेस वाले काम करने में विश्वास करते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा---

जी नहीं, अधिष्ठाता महोदय, यह चीज नहीं है। दिल बहलाने के लिये मैंने कही है। (व्यवधान) हमारे कांग्रेसियों का नाम निशान खत्म हो गया है। मैं ६ आदमियों की बात कहना चाहता हूं। हमारे जिला परिषद् से जिन सड़कों के बनाने के लिये सुझाव आये हैं वे जरूर बनवा दी जायं।

इसके अलावा एक बात मैं और कह दूं। हमारे यहां तीन सड़कें हैं। पहली तो है राया से ग्राम आसरा खेड़ा, दूसरी है कराहरी से अकबरपुर (टेंवटिया) होती हुई कस्बा खेर, जिला अलीगढ़ और तीसरी है मोरकी स्कूल से नौझील ब्लाक। इतनी हमारे निर्वाचन क्षेत्र की मुख्य सड़कें हैं और इनके निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती यशोदादेवी (जिला गोरखपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, मुझे सड़कों के बारे में २–४ बातें आपके सामने रखनी हैं। हमारे यहां बांसगांव तहसील है, उसमें एक सड़क सिकरीगंज से देहरा टीकर, सुपाईघाट और बेलघाट होते हुये, कूरी बाजार गयी है। उसके लिये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि पक्की कर दी जाय अभी मैं वहां से आयी हूं। यहां पर न कोई रेलवे लाईन है और न कोई सड़क ही है। उस इलाके में मैंने देखा है १०–२० घर जल गये हैं। मैं १२ मील गयी हूं १२ मील आयी हूं। वहां मजबूरी इतनी हुई है कि लोग सीधे नहीं चलते हैं। यह है तो जिला परिषद् की सड़क, उस सड़क को हम चाहते हैं पी० डब्लू० डी० ले ले। खजनी से एक सड़क निकली हुई दुहरिया पाल्हमपार होते हुये उस्का बाजार होकर घुरियापार जाएगी। इस सड़क का बनना भी जरूरी है यह भी बन जानी चाहिये। यह सड़क घुरियापुर से शाहपुर और शाहपुर से राईपुर जाकर बेलघाट में मिल जायेगी।

सिर्फ, एक सड़क बनी हुई है जब लक्ष्मीरमण जी आचार्य वहां गये थे उन्होंने लिखा था तब एक सड़क गोरखपुर घाट से भैंसाबाजार, सिकरी और उर्वा होते हुये गोला निकाल दी गयी है यह सड़क तो बन गयी है इसके लिये मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता––

अब आपका समय समाप्त हो गया। जो कुछ आप चाहें सुझाव लिखकर अब दे दें।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। २–१ सुझाव और शिकायतें माननीय मंत्री जी के सामने आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं। शिकायत तो यह है कि हमारे जिले में जो कंकड़ की सड़क बनाई जाती हैं उनके ऊपर कंकड़ बिछाकर मिट्टी डाल दी जाती है। उनकी कोई कुटाई वगैरह नहीं होती है, उन्हें बस और लारियों के पहिये के नीचे दबकर कुटने और पिसने के लिये छोड़ दिया जाता है। जिसक कारण से सड़क को जितने दिन तक चलना चाहिये वह उतने दिन तक नहीं चल पाती है और वह बहुत शीघ्र ही बेकार हो जाती है।

श्रीमन्, एक चीज यह है कि एक सड़क शाहगंज तहसील में समोदपुर से सरपतहा तक मंजूर की गयी है। उस पर मंजूरी किस तरह से दी गई, यह समय की कमी के कारण मुझे बताना संभव नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि वह सड़क बिलकुल अनावश्यक है, क्योंकि इस सड़क के बीच कोई गांव नहीं पड़ते हैं जिन्हें इस सड़क के द्वारा लाभ पहुंचे। इसक बजाय यदि पट्टी से समोदपुर जो सड़क जाती है, इसको ले लिया जाये तो इससे अन्य ४–५ गांव और कनेक्ट हो जायेंगे। कंकड़ वाली सड़कें जो बाजार के बीच से गुजरती हैं उन पर जब सवारियां, बस वगैरह चलती हैं तो बहुत धूल उड़ती है, वह धूल वहां के लोगों के स्वास्थ्य को खराब करती है, इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां बाजार और महत्वपूर्ण बस्ती है, वहां पर से गुजरने वाली कंकड़ की सड़कों पर कम से कम तार अवश्य करा दिया जाये। इस प्रकार हमारा सुझाव है कि दखिनवा से जौनपुर की सड़क को भी तैयार करा दिया जाये। समय समाप्त हो गया, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम वह दोनों सड़कें आप अवश्य बनवा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां हंडिया तहसील में धनुपुर एक स्थान है । वहां पर सन् १९६१ में ७ जनवरी को पंडित जी गये थे तो वहां पर उन्होंने यह कहा था कि इस सड़क को बनना चाहिये। वह केवल १४,१५ मील लम्बी सड़क है । उस एरिया के ३०,४० मील के एरिया में सड़क नहीं है । केवल वहां पर जी०टी० रोड है । वह सड़क मंजूर हो गई है और अब वह पूरी होने जा रही है । इसी तरह से टेला से बरौत, बरौत से बिठौली दुर्गागंज और सैदावाद से असहिया सड़कें भी रूरल मैन-पावर स्कीम में मंजूर हो गई हैं और अब वे भी पूरी होने जा रही हैं । चौथी योजना में वारी से जंघई और हंडिया से लाक्षागृह सड़कों को भी स्वीकार कर लिया गया है । इस तरह से हमारे हंडिया का बहुत हित हुआ है । इसके लिये हमारी जनता बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा सरकार की कर रही है । अब पंडित जी तो नहीं रहे लेकिन उनकी आत्मा इससे प्रसन्न होगी और उस क्षेत्र की उन्नति होगी । अभी के० एल० राव वहां गये थे तो उन्होंने भी कहा कि अब यह सड़क पंडित जी के बाद बनने जा रही है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो सड़कें मन्त्री जी ने वहां के लिये अपने हाथ में ली हैं उनको पूरा करने की जल्द कोशिश करें ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन राधेश्याम जी ने जो बात कही कांग्रेसी एम०एल०ए० के बारे में वास्तव में इनका लकवा मार गया है और अब ये कुछ कर नहीं सकते । श्रीमन्, यहां पर गोरखपुर और देवरिया जिलों की ही आवाज बुलन्द रहती है । मैं तो मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे बेचारे सीधे सादे मंत्री हैं । अगर इंजीनियर साहब की मुहर लग जाय तो वह हमारे सुझाव को मान लें नहीं तो मन्त्री जी अपनी गर्दन इधर-उधर हिला देते हैं । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी भी श्रमदान की सड़कें बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश में उनको पक्का कर दिया जाय । दूसरा सुझाव यह है कि अगर इंजीनियर साहब मानें और उन तक हमारी आवाज पहुंच जाय तो जितनी भी नहर की पटरी हैं उनको भी पक्का कर दिया जाय । कई लोगों के ऐसे सुझाव आये हैं तो मैं भी उन सुझावों का समर्थन करता हूं ।

तीसरा सुझाव यह है कि जो हमारी जिला परिषद् ने सुझाव रखा है उसको साकार मान लिया जाय । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो पुरानी सड़कें हैं कोसी से शेरगढ़ और छाता से गोवर्धन उनको भी पक्का कर दिया जाय । ये सड़कें ३००,४०० साल पुरानी हैं और बाबा आदम के जमाने की हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग उन सड़कों से गुजरते रहते हैं । बाहर के यात्री भी बहुत आते हैं । इनको पक्का करना बहुत जरूरी है । इसी प्रकार से बृज यात्रा के लिये भी जितनी सड़कें हैं उनको भी पक्का कर दिया जाय । वहां पर परिक्रमा करने के लिये दूर-दूर से लोग आते हैं । उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । कच्चा रास्ता होने से वे बहुत कठिनाई का सामना करते हैं । इस सुझाव को अगर मान लिया जाय तो वहां की जनता का और सारे प्रदेश का बहुत भला होगा ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

अधिष्ठाता महोदय ....

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--

मैं बीसों बार उठा बैठा हूं लेकिन कोई भी बोलने का मौका नहीं मिला । जिनको मौका मिलता है वे कई बार पहले बोल चुके हैं । उनको ही आप मौका देते हैं ।

श्री रामप्यारे––

मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र दुद्धी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह क्षेत्र ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर आदिवासी लोग ही रहते हैं । विशेषरूप से यह क्षेत्र सड़कों के विषय में बहुत ही पिछड़ा हुआ है । यही कारण है कि जन-सम्पर्क न होने के कारण वहां के आदिवासी पिछड़े हुये हैं । मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक महत्वपूर्ण सड़क दुद्धी-म्योरपुर-बभनी रोड है जो मध्यप्रदेश को जोड़ती है । उसके बनाने की आवश्यकता है । दूसरी सड़क दुद्धी-किठमगंज है जो बिहार से जोड़े हुये है । और एक कहर नदी पर पुल बनाने के लिये निवेदन करता हूं क्योंकि यह भी राष्ट्रीय मार्ग बन जावेगा वैसे तो हमारे क्षेत्र में सभी जानते हैं कि बड़ा निर्माण का काम हो रहा है और यही कहते है कि सड़कें बन रही हैं, लेकिन जो पिछड़ा इलाका है वह ज्यों का त्यों है । जहां लोग जंगलों में रहते हैं वहां पर कोई अच्छी सड़क नहीं बनी । अच्छी सड़कों की कमी के कारण जो चीजें उनको सस्ती मिल सकती थीं वह बड़ी मंहगी मिलती हैं । बभनी के इलाके में नमक जैसी चीज भी रुपये सेर मिलती है और बनिया वर्ग वहां बड़ा शोषण करता है । कारण वही है कि जनता से हम सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते । बसों में आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है विश्वास है कि मंत्री जी मेरे सुझाव पर विशेष ध्यान देंगे तथा इन्टीरियर में सड़कों का निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त ।

*बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)–

मैं आपका बहुत आभारी हूं, और दो तीन सुझाव रखूंगा । प्रतापगढ़ जिला इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में होने के कारण उसकी आवाज पहुंच नहीं पाती है । मेरे यहां सबसे बड़ी आवश्यक सड़क जिसपर रोडवेज सरकारी चलने लगी है करीब ३५ मील की प्रतापगढ़ से कुंडा की सड़क है । बहुत कोशिश की गयी, जिला स्तर पर भी और अधिकारियों से भी, कि उसे पी०डब्लू० डी० में लेकर उसे ठीक से बनवाना है । वह सबसे खराब सड़क है । उसके अतिरिक्त जो इलाहाबाद के जिले को जोड़ती है प्रतापगढ़ से कटरा गुलाब सिंह तक यह १८ मील की है, ४ मील तक तो पी० डब्लू० डी० की है और बाकी कच्ची सड़क है । कई बड़ी-बड़ी तहसीलें पड़ती हैं । अगर इसे सरकार ले ले तो बहुत बड़ा काम हमारे जिले का हो सकता है । एक तीसरा सुझाव है कि कई इलेक्शनों में कोशिश होती रही कि इस काम को करवायेंगे । यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सज्जन कांग्रेस के हार गये और वह ढीले पड़ गये उस योजना के बनाने में । यह भी कहने लगे कि यह काम हो जायगा तो श्रेय दूसरे को होगा । अगर मंत्री जी कष्ट उठाकर उधर कुंडा की तरफ आयें तो दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा । प्रतापगढ़ नगर से केवल दो मील दूरी पर चमरौड़ा पर पुल बनाना अति आवश्यक है । कारण यह है कि पुल बन जाने से कई थाने ऐसे हैं जो कनेक्ट हो जायंगे अन्यथा ४–६ महीने बरसात में अगर कहीं हादसा हो जाय तो कोई जा नहीं सकता । यही मेरे तीन सुझाव हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मेरे पास बहुत से आंकड़े थे, लेकिन मैं दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा । पी० डब्लू० डी० वर्कशाप, लखनऊ के विषय में जैसा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखपतराम शर्मा]

कहा था कि १० हजार रुपये के मोटर पार्टस बेकार गये। उसकी जांच बी०एन०माथुर, अधिशासी अभियन्ता और एस०एल०राय ने की थी। २१-८-६१ को वह मामला पकड़ा गया। आपको भी कई बार लिखकर दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही इस विषय में नहीं हुई।

आज भी अगर आप जांच करायें तो आपको मालुम होगा कि हजारों रुपये का सामान वर्कशाप से गायब है।

महानगर में वर्कशाप के एक साहब हैं जिन्होंने अपना एक मकान बनवाया है। सन् ६४ में वह बना है। इसमें तमाम लकड़ी, बिजली का, सी०आई०डी० जांच में साबित हो सकता है, सामान तथा लोहा आदि ऐसा लगा है जो सरकारी वर्कशाप का है।

पी० डब्लू०डी० विभाग में बड़े-बड़े इंजीनियर्स की तादाद बहुत बढ़ गयी है। छोटे कर्मचारियों को नहीं बढ़ाया जाता है। आपके यहां एक चीफ इंजीनियर, श्री जगदीश प्रसाद हैं, फिर एक चीफ इंजीनियर, श्री भटनागर हैं, फिर दो उपसहायक चीफ इंजीनियर हैं, २ डिप्टी चीफ बड़ी-बड़ी तनख्वाह पर हैं। इतने अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि श्री के०सी० माथुर को, दो सीनियर अधिकारियों से जूनियर होते हुये भी, उनको सुपरसीड करके किस तरह से अतिरिक्त चीफ इंजीनियर बनाया गया।

मेरा सुझाव है कि आपके यहां जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप शीघ्र कार्यवाही करें। ठेकेदारी प्रथा का अन्त करें। जो सामान इमारतों में लगता है उसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अलीपुर टैस्ट हाउस की भांति प्रदेश के टैस्ट हाउस को यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो उसे योग्य तथा अनुभवी वैज्ञानिकों के हाथों में सौंपिये। इंजीनियर्स को ही उसका सर्वे सर्वा मत बनाइये। जिन इंजीनियर्स को उस विज्ञान शाला में रखा जाय उनका तबादला न किया जाय। जब आप यह करेंगे तभी जनता का ९ लाख लगा हुआ रुपया जनहित में सही रूप में काम में आ सकेगा।

भ्रष्टाचार के मामले जो वर्षों से सरकार में पड़े हुए हैं उन पर शीघ्र निर्णय करने की कृपा करें। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कर्मचारी शिकायत करें उनकी नौकरी की सुरक्षा का भार सरकार को लेना चाहिये ताकि लोग निडर होकर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध कर सकें।

यह सही है कि जितना रुपया चाहिये उतना इस विभाग को नहीं मिलता, किन्तु यह भी सही है कि जितना रुपया मिलता है उसका सदुपयोग नहीं होता। यहां सदन में माननीय मंत्री जी की स्थिति एक प्रकार से एक अनार और सौ बीमार वाली है, सभी की आवश्यकताओं पर उन्हें ध्यान देना है। मुझे खुशी है कि भ्रष्टाचार आदि के मामलों में माननीय मंत्री जी स्वयं बड़ी दिलचस्पी लेना चाहते हैं। उन्होंने आज अपने मातहत सभी इंजीनियरों को यहां बुला कर एक अच्छी परम्परा को कायम किया है। इससे बड़ा लाभ होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वस्थ आलोचना से हम सजग रहते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आज यहां बैठ कर सभी माननीय सदस्यों के सुझावों तथा आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना है। वैसे तो और जितने भी अनुदान आते हैं और कटौती के प्रस्ताव आते हैं उनके सम्बन्ध में अगर संबंधित मंत्री जी से पूछा जाय कि माननीय सदस्यों ने क्या सुझाव दिये तो ५ प्रतिशत भी वे नहीं बता सकते।

जिन माननीय सदस्यों ने आज के विवाद में हिस्सा लिया उन सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। जो दिक्कतें इस विभाग में हैं उनको मैं महसूस करता हूं। किन्तु मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आपके विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनकी दशा बड़ी दयनीय है उनकी ओर आप विशेष ध्यान दें। मेरे पास और भी बहुत से आंकड़े हैं जिन्हें मैं समय कम होने के कारण नहीं दे पाया। मुझे आशा है जो भी सुझाव मैंने दिये हैं उन पर आप विचार करेंगे। मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें बहुत से आंकड़े भी दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि आप आज की कार्यवाही को मंगाकर गम्भीरतापूर्वक पढ़ेंगे और जिन पर आप कार्यवाही कर सकते हैं, चाहे वे बड़े हों या छोटे, उन पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। मौलाना साहेब ने मेरे प्रति यह कहा कि मैंने अच्छाइयां नहीं रखी बुराइयां ही ले लीं। मैं माननीय मंत्री जी को उनसे ज्यादा नजदीक से जानता हूं क्योंकि उनके साथ जेल में रहा हूं। हो सकता है कि उम्र के लिहाज से वह वृद्ध हों लेकिन काम के हिसाब से मैं उन्हें जवान मानता हूं। इसलिये वह मेरे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री जगनप्रसाद रावत—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं कि आज ४–५ घंटे जो विचार विनिमय हुआ वह बहुत ही रचनात्मक रहा। मुझे किसी भी सदस्य के भाषण में न तो कड़वाहट और न व्यंग नजर आया। बल्कि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि माननीय सदस्यों ने विभाग के महत्व को समझ कर परिश्रम किया है और चाहे वे स्थानीय सुझाव हों या आम हों, रचनात्मक सुझाव दिये हैं। जो माननीय सदस्य अपने विचारव्यक्त नहीं कर पाये उनके भी सुझाव अगर मुझे मिलेंगे, चाहे मौखिक या लिखित रूप में, तो उन पर भी मैं उतनी ही गम्भीरता से विचार करूंगा जितनी कि यहां व्यक्त किये गये विचारों पर।

माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने कहा था कि सुझाव मांगे गये थे लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने, जिस परिपत्र द्वारा सुझाव मांगे गये थे, उसे पढ़ा नहीं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैंने यह कहा था कि जो सुझाव मांगे गये थे उन पर अमल होना जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि वे रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जावें।

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो भी सुझाव मांगे गये हैं वे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मांगे गये हैं। उन सुझावों को जो आये हैं, जिला परिषदों में भी भेजा गया है और महकमें से भी कहा गया है कि वे उन पर अपनी टिप्पणी दें। जब चतुर्थ योजना में यह तय हो जायगा कि कितना धन हमको मिलना है और हम अपना काम का आकार कैसा बनावें, तब हम जिला परिषदों के सुझावों पर और माननीय सदस्यों को बुलाकर भी परामर्श करेंगे कि उस सीमित आकार में हम कैसे उन सुझावों को कार्यान्वित करें। जिला परिषद् भी चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था हैं। उन सबको भी हमने लिखा है कि आप अपने सुझाव हमारी लिखी शर्तों के मुताबिक दें। हमने लिखा है कि सड़कों का महत्व किसी आधार पर होना चाहिये। अगर हमारे आधारों को एक तरफ रखकर वे सुझाव देंगे तो उन्हें शायद हम कार्यान्वित नहीं कर पावेंगे। उन आधारों पर ही सुझाव मान्य होंगे।

वही सुझाव मान्य होंगे चाहे जिला परिषद् का बहुमत कहे चाहे कोई एक माननीय सदस्य कहे क्योंकि आधार मूल चीज है और उसके बाद में सुझाव दूसरी चीज है। सुझाव तो किसी आधार पर ही माने जायेंगे जिससे कि सूबे की तरक्की हो सके।

श्री उग्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर उन आधारों को शरायत में तब्दीली हम चाहते हों तो माननीय मंत्री जी उसके लिये क्या कहते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

वह परिपत्र में भी है और आधारों में अगर कोई कमी है और उसके लिये कोई सुझाव देंगे तो उस पर भी विचार हम करेंगे। वह आधार भी आप लोगों में से बहुत से लोगों से विचार करके और विभाग से विचार करके ही रखे गये हैं। कोई अपने आप नहीं रखे गये हैं। तो यह तो मैंने आपसे जिला परिषद् के सिलसिले में कहा कि जिला परिषद् का जहां तक सवाल है वह चूंकि एक महत्वपूर्ण संस्था है और उसकी राय हमारे लिये मूल्य रखती है लेकिन अन्तिम फैसला उन आधारों पर होगा और उस पर आपसे भी जहां तक सम्भव होगा विचार-विनिमय करने की कोशिश हम करेंगे।

एक बात कही गई वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की बाबत। मैंने पहले भी कहा था और अब भी मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो कुछ उन्हें सुभीते दिये जाते हैं उनसे मुझे सन्तोष नहीं है और मैं उसमें कुछ करना चाहता हूं, मेरा इरादा है कि उनके लिये कुछ न कुछ हो जाय और इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा।

रूरल मैन पावर स्कीम के सिलसिले में यह कहा गया कि जितना रुपया दिया गया वह खर्च नहीं हुआ। तो जो ३३३ लाख रुपये की बात है वह ६३२ मील सड़क के लिये एक एस्टीमेटेड कास्ट है। उसके सम्बन्ध में यह होता है कि सुझाव आते हैं और उसमें कुछ उनका यह भी है कि किस तरह के ब्लाक्स हों, कैसे टीम लीडर्स काम करें, इस तरह की बहुत-सी बातें उसमें हैं और उसके हिसाब से जब वहां से मंजूर होकर आता है तब उसके बाद हम एस्टीमेट्स बनाते हैं और तब जाकर काम शुरू करते हैं। उसमें पिछले साल कुछ कठिनाई हुई, उससे इस साल में कम कठिनाई हुई और अब हम यह उम्मीद करते हैं कि आगे के साल में कठिनाई और भी कम होगी। एक तो जमीन मिलने में जो कठिनाई होती थी उसमें कई सड़कों के लिये जमीन मिल गई है और इस साल ज्यादा तेजी से काम हो सकेगा और हम सारा रुपया खर्च करने की आशा करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं। आजमगढ़ की बात मैं कहना चाहता हूं कि जनशक्ति योजना के अन्दर सड़कों के बनाने का आदेश दिया गया है लेकिन रुपया मेरे ख्याल से अब तक नहीं गया है जिससे कि ठेकेदारों और मजदूरों को काम में लगाया जा सके। दूसरी बात यह कि सड़कें तो बनायी जा रही हैं लेकिन पुल बनाने के लिए सीमेंट नहीं है। मुझे जानकारी है कि ढाई ढाई तीन, तीन बोरे सीमेंट की जरूरत एक, एक पुल के लिये है लेकिन आपके यहां सीमेंट बिलकुल नहीं है, तो इस योजना से क्या लाभ होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मेरा ख्याल है कि यह सूचना जो माननीय सदस्यों के पास है वह बिलकुल सही नहीं है क्योंकि जहां तक रुपये का सवाल है रुपये की हमारे पास कमी नहीं है इस रूरल मैन पावर स्कीम में। वह रुपया हमको वापस ही करना पड़ा है किसी हद तक (व्यवधान) किसी एक खास सड़क की बाबत आपने बताया हो, जिसकी कोई इत्तिला मेरे पास इस वक्त न हो तो वह तो अलग बात है लेकिन जहां तक सीमेंट का ताल्लुक है यह तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह दिक्कत हम महसूस करते हैं लेकिन हम हर तरफ से सीमेंट खींचकर यहां तक कि बिल्डिंग से भी लाकर बराबर इस कोशिश में हैं कि पुलों में उसको लगायें जहां कि उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसीलिये हमने सी०सी० ट्रैक्स की योजना को भी बदला है और सी० सी० ट्रैक्स के स्थान पर पेंटेड सड़क बनायेंगे। इस तरह से सी० सी० ट्रैक्स की तरफ से भी हमारे पास सीमेंट कुछ बचेगा। तो वह कमी सीमेंट की जरूर है लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश हम करेंगे।

कन्ट्रैक्टर्स सिस्टम का सवाल आया। यह रिवाज इतने वर्षों से चला आ रहा है कि एक दम तो इसको खत्म करना सम्भव नहीं है और दूसरे, काम भी इतने बड़े-बड़े हैं कि उन सब कामों को अपने आप कर लेना, अभी कुछ वर्षों तक तो सम्भव नहीं होगा। दूसरी बात यह कही गई कि कन्ट्रैक्टर्स इस्टीमेटेड कास्ट्स से कम में कैसे काम करते हैं। ऐसा है कि यह लाजमी नहीं है कि जो कंट्रैक्टर हमको इस्टीमेट्ड कास्ट् से कम दाम का टेंडर दे, उसे मंजूर ही कर लें। इस्टीमेटड कास्ट की एक सीमा के अन्दर, थोड़ा बहुत कम, या थोड़ा बहुत ज्यादा, जो टेंडर होता है, उसको मंजूर करते हैं लेकिन अगर कोई टेंडर ऐसा है, कि दस लाख की किसी काम की इस्टीमेटेड कास्ट् है, और टेंडर चार लाख का ही है, तब हम देखते हैं कि इस कंट्रैक्टर की कोई हैसियत है कि नहीं। ऐसे टेंडर्स को हम नामंजूर कर सकते हैं, और करते हैं।

सेविंग्स और सरेन्डर्स की बात कही गई। सेविंग्स के बारे में कुछ भ्रम है कि जो रुपया यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको सेविंग्स समझा जाता है। जबकि बात यह है कि जो रुपया यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको सरेंडर कहते हैं, न कि सेविंग। सेविंग तो वही होती है, कि अगर किसी काम में ज्यादा खर्च करना था, और कम खर्च में वह काम हो गया, तब उसको सेविंग्स कहते हैं। लेबर कोआपरेटिव सोसायटीज की बात कही गई, हम भी उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूंगा, यदि वह अपने जिले में कहीं पर लेबर कोआपरेटिव सोसायटी बनायें। मैं उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश करूंगा और जो दिक्कतें होंगी, उनको व्यक्तिगत रूप से दूर करने की कोशिश करूंगा ताकि उनको काम मिले।

नेशनल हाईवेज और लोकल विलेज रोड्स के सिलसिले में माननीय बलवान सिंह जी ने कुछ कहा था, मैं आपको बताऊं कि यह दोनों प्रकार की सड़कें अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। यह कहना कि राज्यमार्ग को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाय और गांव की सड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाय, तो आप स्वयं सोच लें कि इसका क्या परिणाम होगा। यदि राज्यमार्ग नहीं होंगे, तो गांव की सड़कें, वहां से आ कर के कहां मिलेंगी ? इसलिये राज्यमार्ग छोटी छोटी सड़कों को बल देता है और उसी से उनका काम चलता है। इसलिये पहले राज्य मार्गों को देखना होता है। जो ज्यादा बड़े यातायात के साधन होते हैं, वह ज्यादा काम में आते हैं, और उनसे कितना फायदा पहुंचता है, इसी हिसाब से उनको देखा जाता है। इसलिये दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पर है। और जैसे जैसे हमारे पास साधन होंगे, हम उनको पूरा करेंगे, कैनाल रोड्स और सड़कों के बारे में कहा गया। श्रमदान की सड़कें, जो नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत होती हैं, उन सड़कों को हम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको हम करायें, लेकिन श्रमदान में दूसरी तरह की सड़कें हैं एक तो विकास विभाग द्वारा श्रमदान कराया गया, उसका जो स्पैसीफिकेशन था, वह तो एक आधार था, लेकिन कुछ श्रमदान लोगों ने अपने आप कर लिया है उसमें हमको कठिनाई पड़ती है क्योंकि कुछ शर्तें पूरी नहीं होतीं। तो यह कठिनाई है और इसको देखेंगे कि वह दूर हो सकती हैं या नहीं। नहर की सड़कों का सवाल है, देखने में तो अच्छा लगता है कि नहर की सड़कें होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी समय का ध्यान रखें।

श्री जगनप्रसाद रावत--

मैं ५ मिनट में खत्म कर दूंगा। ५ मिनट समय और बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिए तो सदन में पुनः प्रस्ताव लाने की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन---

हम लोगों ने तो पहले ही प्रस्ताव किया था, एक घंटे का ।

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैं दो मिनट में खत्म करता हूं । कैनाल रोड्स के व्यावहारिक रूप में बड़ा विवाद है, और जमीन एक्वायर करने में बड़े बलवे होते हैं, कोई आदमी नहर के किनारे की जमीन देने को तैयार नहीं है । माननीय लखपतराम जी ने बहुत सी बातें कहीं थीं, इतना जरूर है कि उन्होंने देखा होगा और मैं चाहूंगा कि जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उनके बारे में मुझे डिटेल में बता दें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी आकर कान में कुछ कहता है तो वह बात बड़ी मीठी लगती है लेकिन जब तफसील में जाते हैं, तो उसकी दूसरी शकल आती है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

एक सवाल का जवाब मैं मंत्री जी से चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

समय नहीं है ।

श्री उग्रसेन---

(कुछ शोर होने पर) श्रीमन्, ये लोग क्यों परेशान हैं हल्ला करते हैं जरा इन लोगों को भी निकालिये ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५ सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत १४,४२,२०,५०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३६ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत ७८,५३,६०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य-अधिष्ठान के अन्तर्गत २,०२,२७,७०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । १५ मिनट हो गये हैं, और सोलहवें मिनट पर आप इस अनुदान को रख रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं, जब तक यह अनुदान पास नहीं होगा तब तक सदन का समय बढ़ा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २१,८०,६७, ३०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२२ मार्च, १९६५ ।

संसदीय प्रलेख

नत्थी 'क'

[[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७८ पर]

स्थानीय निकाय के अध्यापकों की सूची जिन्होंने स्थानीय निकाय की मतदाता सूची की जांच १९६३–६४ में की

स्थानीय निकाय का नाम	वार्ड	नाम कर्मचारी जिसने जांच की
१—टाउन एरिया कमेटी, राया		१—श्री कुंवर पाल शर्मा
		२—श्री महेश उपाध्याय
		३—श्री ओम प्रकाश
		४—श्री गिरजा प्रसाद शर्मा
२—टाउन एरिया, सोंख	१	१—श्री छिद्दी लाल
		२—श्री बृजमोहन लाल
	२	३—श्री जयराम
		४—श्री गोकल प्रसाद
	३	५—श्री लक्ष्मी दत्त
		६—श्री पुस्कर दत्त
३—टाउन एरिया, गोवर्धन		१—श्री दौलत राम
		२—श्री राम स्वरूप
		३—श्री कृष्ण सरन
		४—श्री मूल चन्द
		५—श्री बृजकिशोर
		६—श्री वासुदेव
		७—श्री शिवलाल
		८—श्री बनवारी लाल
४—म्यूनिसिपल बोर्ड, कोसी	नाड़वास, गुरूषगंज	१—श्री छिद्दी सिंह
	कर्रीमुल्लावास	२—श्री मदन लाल
	साठावाडियावास	३—श्री अली हसन
	खचेरानास, सरायनिखास	
	खरोट्द्वार	४—श्री सज्जन कुमार
	सरायशाही	५—श्री रूपकिशोर
	वाजारकलां	६—श्री जीवन लाल
	ब्राह्मणपुरी	
	बिहारी पुरा, शेखान	७—श्री जमुना प्रसाद
	तागड़ा	८—श्री दया किशन
	गांगवान	९—श्री रामजी लाल
	तलावशाही, मन्डीखाम	१०—श्री शिशिरकुमार
	खेड़ा	११—श्री सूर्य प्रकाश
	हरदेवगंज	१२—श्री राम प्रकाश
	मनी रामवास	१३—श्री सुखदेव
	रेंलवे स्टेशन	१४—श्री हुकुम सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्थानीय निकाय का नाम	वार्ड	नाम कर्मचारी जिसने जांच की
५—टाउन एरिया, फरह वार्ड नं० १ से	४	१—श्री पूरन मल स० अ०
		२—श्री अमर सिंह स० अ०
		३—श्री रामेश्वर दयाल, स० अ०
		४—श्री कृष्णमुरारी, स० अ०
६—टाउन एरिया, महावन	१	१—श्री शंकर लाल, प्र० अ० प्रा० जगदीशपुर ।
	२	२—श्री लाला राम प्र० अ० प्रा० स्लामपुर
	३	३—श्री भजन लाल प्र० अ० प्रा० मनोहरपुर
	४	४—श्री जगदीशप्रसाद प्र० अ० प्रा०खप्परपुर
७—टाउन एरिया, गोकुल	१	१—श्री महावीर प्रसाद, अ० मू० हा० स्कूल ।
	२	२—श्री गोकुल चन्द ,, ,, ,,
	३	३—श्री रामनाथ ,, ,, ,,
	४	४—श्री बाबूलाल ,, ,, ,,
८—टाउन एरिया, छाता	१	१—श्री राजमल, स० अ०
		२—श्री रमेशचन्द अध्यापक
	२	३—श्री भीक चन्द, स० अ०
		४—श्री वासुदेव अध्यापक
	३	५—श्री अमरनाथ स० अ०
		६—श्री नारायन प्रसाद, अध्यापक
	४	७—श्री स्वामी दयाल बक्सी टैक्स छाता ।
९—टाउन एरिया, राधाकुन्ड	१	१—श्री रूप किशोर वर्मा जे० एच० एस० राधा कुन्ड ।
	२	२—श्री बालकिशन, प्र० अ० प्रा० स्कूल, राधा कुन्ड ।
	३ तथा ४	३—श्री बद्री प्रसाद, अ० प्रा० स्कूल राधा कुन्ड ।
१०—टाउन एरिया, बल्देव	१	१—श्री जुगुल किशोर, अ० प्रा० स्कूल, बल्देव ।
	२	२—श्री देवकी नन्दन , अ० प्रा० स्कूल, बल्देव ।
	३	३—श्री ओम प्रकाश, अ० प्रा० स्कूल, बल्देव ।
११—टाउन एरिया, सहपऊ	१से४	१—श्री नौरंगी लाल, अ० प्रा० स्कूल, सहपऊ ।
		२—श्री राम प्रकाश ,, ,,
		३—श्री राम चरन ,, ,,

स्थानीय निकाय का नाम	वार्ड	नाम कर्मचारी जिसने जांच की
१२—टाउन एरिया, सादाबाद	१ से ४	१—श्री सालिगराम २—श्री सोनपाल ३—श्री रामचरन ४—श्री सतीश कुमार
१३—म्युनिसिपल बोर्ड, वृन्दावन	१	१—श्री राधा वल्लभ २—श्री चन्द्रभान शर्मा ३—श्री आदि राम
	२	१—श्री रूप नारायण २—श्री बांके लाल ३—श्री हरनारायन ४—श्री गोपाल प्रसाद ५—श्री ज्वाला प्रसाद
	३	१—श्री रघुनाथ प्रसाद २—श्री लक्ष्मीधर ३—श्री रामगोपाल
	४	१—श्री रोशन लाल २—श्री रमेशचन्द्र ३—श्री जनेन्द्र कुमार
	५	१—श्री यमुना प्रसाद २—श्री नित्यानन्द ३—श्री हरी प्रकाश
	६	१—श्री शंकर लाल २—श्री राधा वल्लब गोस्वामी ३—श्री रेवती लाल
	७	१—श्री घनश्याम वेदपाठी २—श्री नन्नेमल गौतम ३—श्री नितीशचरण दास
	८	४—श्री राधारमण गौतम ५—श्री राम चरण लाल विनीत ६—श्री दीपचन्द

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर)

तालिका

माह		आंकड़े मे० टनों में					
		राज्य सरकार द्वारा मांगी गई गेंहूं की मात्रा	केन्द्रीय सरकार द्वारा एलाट की गई मात्रा	एलाटमेंट के विरुद्ध प्राप्त मात्रा	पंचमहानगरों मेरठ तथा बरेली में प्राप्त मात्रा	आटा मिलों से प्राप्त मात्रा	
१		२	३	४	५	६	
दिसम्बर १९६३ से जुलाई १९६४ तक	..	७,५९,९४०	३,७४,८९०	३,२३,३५२	१,४०,६०५	२,८४,४२१	
अगस्त १९६४ से नवम्बर १९६४ तक	..	..	४,३५,०००	१,८७,७१५	९९,९१९	१,०७,४७२	
योग	..	७,५९,९४०	८,०९,८९०	५,११,०६७	२,४०,५२४	३,९१,८९३	

दिसम्बर के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण सम्मिलित नहीं हैं।

दिसम्बर १९६३ से जुलाई १९६४ तक राज्य सरकार की मांग के विरुद्ध जो गेंहूं की मात्रा प्राप्त हुई वह कालम (४) में दिखाई गई है। शेष प्राप्ति जो कि एलाटमेंट के विरुद्ध नहीं है कालम (५) तथा (६) में दिखाई गई है। अगस्त १९६४ से नवम्बर १९६४ तक जो मात्रा कालम (४), (५) और (६) में दिखाई गई है वह एलाटमेंट के विरुद्ध है इस अवधि में भारत सरकार स्वतः राज्य सरकार को गेंहूं का कोटा एलाट करती रही है तथा राज्य सरकार द्वारा मांगे हुये गेंहूं की मात्रा भारत सरकार से नहीं सूचित की जाती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८४ पर)

जिले का नाम	हलर तथा शेलर की संख्या	जिले का नाम	हलर तथा शेलर की संख्या
१—देहरादून	३१	२९—देवरिया	३१
२—सहारनपुर	१९२	३०—गोरखपुर	५३
३—मेरठ	१२	३१—आजमगढ़	—
४—बुलन्दशहर	१८	३२—जौनपुर	—
५—मुजफ्फरनगर	१०१	३३—मुरादाबाद	३१
६—मैनपुरी	३९	३४—बिजनौर	१९
७—अलीगढ़	१९	३५—शाहजहांपुर	२५
८—आगरा	२	३६—पीलीभीत	४९
९—एटा	१६	३७—गढ़वाल	८
१०—मथुरा	—	३८—बरेली	९१
११—उत्तर काशी	—	३९—रामपुर	२२
१२—टेहरी गढ़वाल	—	४०—बदायूं	९
१३—कानपुर	१०६	४१—नैनीताल	१२५
१४—बांदा	७५	४२—लखनऊ	४७
१५—इटावा	६८	४३—बाराबंकी	२१
१६—फतेहपुर	५१	४४—सीतापुर	२५
१७—इलाहाबाद	१२	४५—उन्नाव	५१
१८—झांसी	१	४६—खीरी	३९
१९—फर्रुखाबाद	५	४७—रायबरेली	३०
२०—जालौन	—	४८—सुल्तानपुर	२१
२१—हमीरपुर	—	४९—फैजाबाद	१२
२२—बहराइच	५३	५०—हरदोई	२७
२३—गोंडा	४५	५१—प्रतापगढ़	—
२४—बस्ती	११	५२—अल्मोड़ा	—
२५—बलिया	८	५३—पिथौरागढ़	—
२६—गाजीपुर	१५	५४—चमोली	—
२७—वाराणसी	२१		
२८—मिर्जापुर	३३		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८५ पर)

वर्तमान चावल की फसल से लेवी द्वारा जिलावार ३१-१२-६४ तक खरीद की गई चावल की मात्रा ।

जिले का नाम	चावल की मात्रा (क्विन्टल में)
१—बस्ती	४,८७३
२—गोरखपुर	६६६
३—गोंडा	१,२८७
४—बहराइच	४४
५—मिर्जापुर	७७३
६—वाराणसी	४५६
७—कानपुर	१७,२९१
८—फतेहपुर	३७,७८५
९—इलाहाबाद	६७६
१०—इटावा	९४,३९६
११—फर्रुखाबाद	३२,९४४
१२—बांदा	५७,६९८
१३—नैनीताल	५५,४३९
१४—पीलीभीत	१९,८३६
१५—शाहजहांपुर	१०९४६
१६—बरेली	५,१६४
१७—रामपुर	२,१२८
१८—गढ़वाल	५, १६४
१९—बिजनौर	३३६
२०—मुरादाबाद	२०
२१—लखनऊ	९२९
२२—लखीमपुर खीरी	१,८७८
२३—हरदोई	२२८
२४—रायबरेली	५७९
२५—देहरादून	३,७५०
२६—सहारनपुर	९५,४५०
२७—मुजफ्फरनगर	७,६८०
२८—बुलन्दशहर	३७०
२९—मैनपुरी	३१,१४०
३०—एटा	३,३२०
३१—अलीगढ़	१४०
कुल योग ..	४,९०,७८६

सत्यमेव जयते

२—विभिन्न श्रेणियों के उपरोक्त चावल के खरीदारी के भाव इस प्रकार थे :

श्रेणी चावल	मूल्य प्रति क्विन्टल			
	१-१०-६४ से १२-१०-६४ तक		१३-१०-६४ से ३१-१२-६४ तक	
	अरवा रु०	सेला रु०	अरवा रु०	सेला रु०
चावल श्रेणी १ स्पेशल	७१.००	..	८३.१०	
चावल श्रेणी १ स्पेशल	६५.६४	६४.३०	७५.४०	
चावल श्रेणी २ स्पेशल	६०.९५	..	..	
श्रेणी चावल २-ए स्पेशल	५५.६०	५४.२६	..	
श्रेणी चावल २ स्पेशल	५२.९२	५१.५८	६७.५४	
श्रेणी चावल ३	५०.२४	४८.९०	५८.२५	
श्रेणी चावल ३-ए	४८.९०	४७.५६	..	
श्रेणी चावल ४	४५.५५	४४.२१	५०.२४	
श्रेणी चावल ५	३४.८३	३३.४९	४४.२०	

३—सरकारी भंडारों में ३१ दिसम्बर, १९६४ को प्रान्त के अन्दर २,९३,४६८ क्विन्टल चावल था ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८५ पर)

जिला मुरादाबाद में १–४–६४ के बाद की गई जांच के फलस्वरूप जिन दूकानों को रद्द किया गया तथा उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये उनका विवरण।

दूकानें जो रद्द की गईं

नाम दूकानदार	स्थान
१—श्री प्रेम सिंह	मुरादाबाद
२—श्री शाहिद हुसैन	"
३—श्री आरिफ अली	"
४—श्री वकी अहमद	"
५—श्री सत्य प्रकाश शर्मा	"
६—श्री राम कीर्ति सरन	"
७—श्रीमती कस्तूरी देवी	"
८—श्री गोपीश्याम	अमरोहा
९—श्री गोपीश्याम	भोगांव, अमरोहा
१०—सर्वश्री मजाहिर हुसैन, मु० तहसीन	अमरोहा
११—सर्वश्री मु० यासीन गुलाम हुसैन	"
१२—सर्वश्री कासीमअली मु० उमर	ठाकुरद्वारा
१३—श्री जूर इलाही	सम्भल
१४—श्री मु० यासीन	"
१५—श्री व्यापार कमेटी सब एरिया	"

दूकानें जिन के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये

नाम दूकानदार	स्थान
१—कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, वार्ड नं० १४, दूकान नं० २	मुरादाबाद
२—सर्वश्री कुलदीप नारायण बिहारी लाल	मुरादाबाद
३—सर्वश्री कुलदीप नारायण बिहारी लाल	मुरादाबाद

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८७ पर)

सूची १

क्रमांक	जिले का नाम	खेती के अयोग्य बंजर भूमि व क्षेत्र जिसमें भूमि एवं जल संरक्षण कार्य की आवश्यकता है
१	२	३
१	देहरादून	१०५०२२
२	सहारनपुर	२६५२१२
३	मुजफ्फरनगर	१७८९७५
४	मेरठ	२९६६४३-
५	बुलन्दशहर	२६५६४६
६	अलीगढ़	२५२०९९
७	मथुरा	३१७०५१
८	आगरा	५८७५२३
९	मैनपुरी	२९४७७१
१०	एटा	१५८६०२
११	बरेली	१२९३५९
१२	बिजनौर	१७८०९८
१३	बदायूं	१३४५१५
१४	मुरादाबाद	१८७०४०
१५	शाहजहांपुर	१४४९७०
१६	पीलीभीत	१०७०६९
१७	रामपुर	६४७९६
१८	फर्रुखाबाद	३६८७२७
१९	इटावा	५४७१२६
२०	कानपुर	६०८९४४
२१	फतेहपुर	३७८८०१
२२	इलाहाबाद	४५६५४६
२३	झांसी	८२५१७४
२४	जालौन	६५२३१
२५	हमीरपुर	९८२०२४

क्रमांक	जिले का नाम	खेती के अयोग्य बंजर भूमि व क्षेत्र जिसमें भूमि एवं जल संरक्षण कार्य की आवश्यकता है
१	२	३
२६	बांदा	९३०२५९
२७	वाराणसी	३३७९९४
२८	मिर्जापुर	११०३४४४
२९	जौनपुर	२४०३७०
३०	गाजीपुर	१४८९७२
३१	बलिया	८७६८६
३२	गोरखपुर	५९५०३
३३	देवरिया	७१५६०
३४	आजमगढ़	१६१२४७
३५	बस्ती	९७५६७
३६	नैनीताल (मैदानी भाग)	७०७५
३७	लखनऊ	१५८३४३
३८	उन्नाव	२४५२६२
३९	रायबरेली	२३३१६७
४०	सीतापुर	२१३७५२
४१	हरदोई	१६३१२२
४२	खीरी	१६२५४१
४३	फैजाबाद	७७१६०
४४	गोंडा	३७२५०
४५	बहराइच	६९४७३
४६	सुल्तानपुर	६७३९३१
४७	प्रतापगढ़	५५६६५७
४८	बाराबंकी	१०१६५८
	कुल योग मैदानी भाग :	१४४३२९४७

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८८ पर)

सूची २

जिलों का नाम जिसमें भूमि संरक्षण योजना चल रही है।

१--आगरा
२--मथुरा
३--झांसी
४--जालौन
५--मिर्जापुर
६--सुल्तानपुर
७--टेहरी गढ़वाल
८--प्रतापगढ़
९--फतेहपुर
१०--हमीरपुर
११--फर्रुखाबाद
१२--सीतापुर
१३--बांदा
१४--मेरठ
१५--कानपुर
१६--इलाहाबाद
१७--वाराणसी
१८--उत्तर काशी
१९--बुलन्दशहर
२०--इटावा
२१--सहारनपुर
२२--उन्नाव
२३--मुजफ्फर नगर
२४--देहरादून
२५--रायबरेली
२६--गाजीपुर
२७--जौनपुर

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पिछे पृष्ठ ५९१ पर)

श्री विजय सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या २८ से संलग्न सूची ।

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम व पता	धनराशि जो ऋण के रूप में दिये जाने के लिये स्वीकार की गई ।
१	२	३
१	श्री चन्द्रप्रकाश, पु० श्री स्वरूप सिंह ग्राम तथा पोस्ट सलावा (मेरठ)	५००
२	श्री जै देव पुत्र भगत सिंह, ग्राम तथा पोस्ट सलावा (मेरठ) ..	५००
३	श्री मुमताज हुसैन अब्बासी, प्रेसीडेन्ट अंडा, क्रय विक्रय सहकारी समिति, अमेठी ।	५००
४	श्री नन्द किशोर, ग्राम कसरोर पुरवा, उन्नाव ..	५००
५	श्री आगा हसन, ग्राम व पोस्ट सफीपुर, उन्नाव ..	५००
६	श्री ओमकार सिंह, ग्राम जलालपुर बुलन्दशहर ..	५००
७	श्री वीरपाल सिंह, ग्राम जलालपुर, बुलन्दशहर ..	५००
८	श्री देवेन्द्र सिंह, ग्राम जलालपुर, बुलन्दशहर ..	५००
९	श्री सरदार स्वर्ण सिंह, बरनापुर महेवा, लखीमपुर खीरी ..	५००
१०	श्री सैयद सुगीर हुसैन जैदी, ग्राम व पोस्ट ककरोली, मुजफ्फरपुर ..	५००
११	श्री बच्चन सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह, ग्राम बिस्तोर, डा० परैवा, पीलीभीत	५००
१२	श्री सैमउवल साऊल, पुत्र साउल, ग्राम सिमरौली, पो० बाबूगढ़, मेरठ ..	३७५
१३	श्री राधो राम गुप्ता, ग्राम सैदपुर चुनार, मिर्जापुर ..	५००
१४	श्री विद्याशंकर खरे, द्वारा राधाकृष्ण खरे, गोपाल भवन, हुसैनगंज, लखनऊ	५००
१५	श्री रमजान राय, ग्राम जमुवा पोस्त, सलैबपुर, देवरिया ..	४८०
१६	श्री साजिद इस्लाम पुत्र श्री इस्लाम उल्ला खान, ग्राम तथा डा० शाहजहांपुर किथोर, मेरठ ।	५००
१७	श्री रौनक शाह, पुत्र श्री अतती शाह ग्राम गुलाब टांडा, डा० माधोटांडा, पीलीभीत ।	५००
१८	श्री मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद इस्माइल, मो० अवधीटोला खीरी, टाउन जिला खीरी ।	५००
१९	श्री सैयद मकसूद अली, जिला उन्नाव ..	५००
२०	श्री मती इन्दू त्यागी, ग्राम रघुनाथ पुर, जिला सहारनपुर ..	५००
२१	श्री अब्दुल रशीद खां, ग्राम हरपाली, जिला सहारनपुर ..	५००
	योग ..	१०,३५५

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९७ पर)

तालिका 'क'

फसल		पैदावार टनों में		
		१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४
गेंहूं	..	४०,८८,९९०	३१,५९,८५०	२६,७२,२४१
चावल	..	३२,९१,९३६	३०,८४,८७७	३२,२६,०७६
चना	..	१४,९४,११८	१५,२२,६११	१४,०१,२९०
अरहर	..	३,८४,३४०	६,४०,३६०	३,३०,७५२
अन्य दालें	..	११,२४,१२०	१०,४२,६४७	६,९४,८८४

टिप्पणी—(१) चावल की पैदावार के आंकड़े साफ किये हुये चावल के रूप में हैं।

(२) अन्य दालों में उर्द, मूंग, मोठ, मटर और मसूर के आंकड़े सम्मिलित हैं।

संसद ग्रंथालय पुस्तकालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९७ पर)

तालिका 'ख'

फसल		क्षेत्रफल एकड़ों में		
		१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४
गेंहूं	..	१,०१,३०,८०१	९९,८१,३८४	९६,७८,४५८
धान	..	१,०३,१२,८७०	१,०५,७०,८९७	१,०७,४७,१३८
चना	..	६३,६५,८५९	६०,९८,९९२	६४,२४,७५३
अरहर	..	१५,२२,८६३	१५,८३,७२३	१५,६५,७८९
अन्य दालें	..	३५,१४,५ ०५	३६,५०,७७६	३६,७१,२४०

टिप्पणी :—अन्य दालों में उर्द, मूंग, मोठ, मटर, और मसूर के आंकड़े सम्मिलित हैं ।

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर)

उन जिलों की तालिका जिनमें तथा जिनके निर्दिष्ट भागों में लेवी स्कीम चालू है ।

(क) १—देहरादून
२—सहारनपुर
३—मुजफ्फरनगर
४—कानपुर
५—फर्रुखाबाद
६—मैनपुरी
७—इटावा
८—एटा
९—आगरा
१०—अलीगढ़
११—इलाहाबाद
१२—फतेहपुर
१३—पीलीभीत
१४—रामपुर
१५—बरेली
१६—बदायूं
१७—मुरादाबाद
१८—लखीमपुर खीरी
१९—शाहजहांपुर
२०—हरदोई
२१—लखनऊ
२२—उन्नाव
२३—रायबरेली
२४—सीतापुर
२५—बाराबंकी
२६—बिजनौर
२७—मिर्जापुर
२८—वाराणसी
२९—बांदा

(ख) १—बुलन्दशहर जिले की खुर्जा तहसील
२—जालौन जिले की जालौन तहसील
३—नैनीताल जिले का तराई भावर क्षेत्र
४—गढ़वाल जिले का राजकीय खान भावर आस्थान क्षेत्र ।

अविभक्त पद्धति संसद

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर)

तालिका

जिलेवार भेजे गये तथा वितरण के पश्चात् बचे गये गेहूं के बीज की मात्रा का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	भेजे गये गेहूं की मात्रा	बटने से बच गये गेहूं की मात्रा
१	२	३	४
		(मैट्रिक टनों में)	(मैट्रिक टनों में)
१	मेरठ	१००५.२१९०	६४.१८६५
२	देहरादून	१६७.८२५०	८५.३४८८
३	सहारनपुर	४१८.२५६५	..
४	मुजफ्फरनगर	७२५.५४४४	..
५	बुलन्दशहर	१८३५.८६३०	६६७.०८९३
	योग ..	४१५२.७०७९	८१६.६२४६
६	आगरा	७७२.३६५८	..
७	मथुरा	७०२.५६९५	..
९	एटा	५१९.००९४	..
९	मैनपुरी	६७६.५३२३	३१.४९१०
१०	अलीगढ़	११००.०९२९	२२.९१५५
	योग ..	३७७०.५६९९	५४.४०६५
११	बरेली	११२२.६६२४	५३२.१७३०
१२	बिजनौर	४१७.५८२०	१११.९९९०
१३	बदायूं	८०८.३४००	२६८.४१९४
१४	मुरादाबाद	५०२.१६६२	..
१५	रामपुर	६८८.८७५७	२७७.००००
१६	पीलीभीत	२०९.५१०२	५२.३६१८
१७	शाहजहांपुर	१८३३.७२२३	१२८२.००००
	योग ..	५५८२.८५८८	२५२३.९५३२

क्रम-संख्या	जिले का नाम	भेजे गये गेहूं की मात्रा	बटने से बच गये गेहूं की मात्रा
१	२	३	४
		(मैट्रिक टनों में)	(मैट्रिक टनों में)
१८	वाराणसी	३३३.९७६६	६५.९७२१
१९	मिर्जापुर	२४८.७७४५	..
२०	जौनपुर	११९.७७१२	४३.३४७४
३१	गाजीपुर	६२.६५६३	९.९०९३
२२	बलिया	१०५०.८३१५	२९४.२५०६
	योग ..	१८१६.०१०१	४१३.४७९४
२३	गोरखपुर	७८६.९९८०	९५.२९०३
२४	देवरिया	७२४.६८८८	..
२५	आजमगढ़	५६९.३०४०	२३६.९७६२
२६	बस्ती	८५७.१०२६	१३१.७१२४
	योग ..	२९३८.०९३४	४६३.९७८९
२७	लखनऊ	४३०.०६७८	१२१.२३८३
२८	उन्नाव	८७८.८०९०	१३३.१६४८
२९	सीतापुर	९५८.४३८६	७६.४२७२
३०	हरदोई	६८७.१०००	१९.३०००
३१	रायबरेली	६१३.०५३२	२८.४५९७
३२	लखीमपुर	१२८८.९४५१	७४९.११६७
	योग ..	४६५६.४१३७	११२७.७०६७
३३	फैजाबाद	५५२.९६१५	३३१.६१३५
३४	बाराबंकी	९८३.७९८६	६७५.७७३६
३५	गोंडा	४४०.६९४०	..
३६	सुल्तानपुर	२३०.००००	..
३७	बहराइच	६०९.९६३८	३६.५५१०
३८	प्रतापगढ़	९३२.०२०७	६४०.७५५७
	योग ..	३७४९.४४३०	१६८४.६९३८

क्रम-संख्या	जिले का नाम	भेजे गये गेहूं की मात्रा	बटने से बच गये गेहूं की मात्रा
१	२	३	४
३९	नैनीताल	२४०.००००	..
४०	अल्मोड़ा और पिथौरागढ़	३५.००००	..
४१	पौड़ी गढ़वाल और चमोली.. ..	१२३.७१९५	६४.१०१५
४२	टेहरी तथा उत्तर काशी	११.००००	..
	योग ..	४०९.७१९५	६४.१०१५
४३	इलाहाबाद..	८८३.७९३०	२०६.००००
४४	कानपुर	११६१.९७७०	..
४५	फतेहपुर	७३३.२३९०	३६५.०३८०
४६	इटावा	४१०.३९८४	३३.१६९९
४७	फर्रूखाबाद	८२९.९५७०	..
	योग ..	४०१९.३६४४	६०४.२०७९
४८	झांसी	५६३.५४७८	..
४९	जालौन	१७८.९५९४	..
५०	हमीरपुर	२७१.८३३६	..
५१	बांदा	६७७.९१०६	५३.७१९५
	योग ..	१६९२.२५१४	५३.७१९५
	कुल योग ..	३२७८७.४२७७	७८०६.८७२०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०२ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

निवास विभाग

लखनऊ, २१ जून, १९६३ ई०

सं० २९२९–एच/३७—६२ (जी० जेड० बी०)–६२—जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ (ऐक्ट संख्या १०, १८९७) की धारा २१ के साथ पठित लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४ की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विज्ञप्ति संख्या ४४८२–एच/३७—६२ (जी० जेड० बी०) —६२, दिनांक १३ अगस्त, १९६२ को, जहां तक भूमिका केवल वह भाग है, जो अनुसूची "ख" के सातवें कोष्ठक में उल्लिखित है, निरस्त करते हैं।

अनुसूची "क"

जिला	परगना	मौजा	गाटा (प्लाट) की खसरा संख्या
१	२	३	४
मेरठ	लोनी	जटवाड़ा कलां	५८९, ५९०–मि० और ६०३–मि० ।
"	"	नासिरपुर	१२५ से १२९, १३२ से १४१, १५० से १५२, १५५, १५६, १५८, १५९, १६१ से १६३, १७४ से १८४, १९१–मि०, १९२–मि०, २०१ से २०४ ३५५–मि०, ३८७ से ४०८, ४१३, ४१५ से ४१७, ४२७ से ४२९, ४३०, ४५१–मि०, ४५२–मि०, ४५४–मि०, ५१८–मि०, ५५४–मि०, ५६१–मि०, ५६२–मि०, ५६५–मि०, ५९४–मि०, ५९५–मि०, ५९६, ५९७–मि०, ५९९, ६००, ६४०–मि०६५४–मि० और ६५६–मि० ।
"	"	मौजा	२४२, २८३ से २८६, २८७–मि०, २८८–मि०, २९१, २९२, २९५–मि०, २९६–मि०, २९८, २९९–मि०, ३००–मि०, ३०८, ४७६ से ४७९, ४८१ से ४८९, ४९१ से ४९३, ५०२, ५०३, ५०४ मि०, ५०५–मि०, ५१५, ५२२–मि०, ५३६, ९१०–मि० और ९१८–मि० ।
"	"	कैला	९८४, ९८५–मि०, ९८६–मि० , ९८७–मि०, ९८८–मि०, ९९१–मि० १०१७–मि०, १०१८–मि०. १०१९–मि० १०२०, १०२५, १०२६, मि०, १०३६–मि०, १०३७–मि०, १०३८–मि०, १०३९–मि०, १०४०–मि०, १०४१–मि०, १०५५–मि०, १०६१–मि०, १०६३–मि०, १०६३–मि०, १०८४–मि०, १०८५–मि०, १०८६–मि० और १०३७/११६९ –मि० ।

अनुसूची 'ख'

जिला	परगना	मौजा	गाटा (प्लाट) की खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल			धारा ४ के अन्तर्गत क्षेत्रफल				क्षेत्रफल जिसके बारे में विज्ञप्ति रद्द की जा रही है			
१	२	३	४	५			६				७			
				बी०	बि०	बि०	बी०	बि०	बि०	क.	बी०	बि०	बि०	क०
मेरठ ..	लोनी ..	जटवाड़ाकलां ..	६७९–मि० ..	३	६	०	३	३	१०	११	०	१९	१७	०
							योग			..	०	१९	१७	०
,,	,,	नासिरपुर ..	१३० ..	०	१३	०	०	१३	०	०	०	६	०	०
			१६० ..	०	११	०	०	११	०	०	०	५	०	०
			४२६ ..	१	६	०	१	६	०	०	०	४	०	०
			५६६–मि० ..	१	८	०	१	३	७	०	०	६	०	०
			५६९–मि० ..	१	१५	०	१	१	७	०	०	९	१०	०
			५९०–मि० ..	१	१५	०	०	१०	८	०	०	७	६	०
			६४१–मि० ..	१	२	०	१	०	०	०	०	६	०	०
			६५१–मि० ..	१	०	०	०	१३	१०	०	०	९	०	०
			६५२–मि० ..	१	२	०	०	१०	७	०	०	३	१०	०
			६५३–मि० ..	०	१५	०	०	१०	७	०	०	३	०	०
							योग			..	२	१९	६	०
,,	,,	घुकना ..	६८३–मि० ..	१	६	०	०	१८	६	०	०	८	२	०
			७०५–मि० ..	१	८	०	१	५	१२	०	०	६	१	०
							योग			..	०	१४	३	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मेरठ	लोनी	मौजां	..	२४३	..	०	५	०	०	५	०	०	०	४	७	०
				४९०	..	४	१४	०	४	१४	०	०	३	१९	०	०
				५३२–मि०	..	५२	१	०	४२	१५	१६	०	२१	१५	१६	०
				५३४	..	०	६	०	०	६	०	०	०	४	०	०
				५३५–मि०	..	१	१२	०	१	११	१८	११	०	१६	१८	११
				५३८	..	०	७	०	०	७	०	०	०	३	६	०
				५४२	..	०	१०	०	०	१०	०	०	०	४	०	०
				५४३	..	१	१	०	१	१	०	०	०	३	१०	०
				५४८		०	१०	०	०	१०	०	०	०	५	६	०
				७२५–मि०	..	०	१२	०	०	८	०	०	०	०	६	०
				९०७–मि०	..	०	१८	०	०	४	०	०	०	२	०	०
				९७०	..	०	१५	०	०	१५	०	०	०	१	६	०
										योग		..	२७	१९	१५	११
”	”	कैला	..	९४०–मि०	..	२	१९	०	२	५	११	०	०	२	१७	०
				९४६	..	१	६	०	१	६	०	०	०	०	०	१०
				९७८–मि०	..	२	१४	०	२	०	१४	०	१	२	९	०
				९८०–मि०	..	४	१५	०	१	१५	८	०	१	१३	८	०
				१०१४–मि०	..	१	३	०	०	०	१४	०	०	०	८	०
				१०१५–मि०	..	०	१५	०	०	१२	१९	०	०	०	१९	०
						बी०	बी०	बी०		बी०	बी०	बी०	ब०	बी०	बी०	बी०	क०
” ..	” ..	”	..	१०१६–मि०	..	०	१६	०	०	५	११	०	०	४	१६	०
				१०२१–मि०	..	१	१	०	१	१	०	०	०	१३	१६	०
				१०२३–मि०	..	२	०	०	१	१९	०	०	१	३	०	०
				१०३४	..	०	१८	०	०	१८	०	०	०	६	४	०
				१०३५–मि०	..	०	१८	०	०	१४	१४	०	०	४	११	०
				१०४५	..	१	०	०	१	०	०	०	०	२	३	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	परगना	मौजा	गाटा (प्लाट) की खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	धारा ४ के अन्तर्गत विज्ञप्ति क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जिसके बारे में विज्ञप्ति रद्द की जा रही है
१	२	३	४	५	६	७
					१०४६–मि०	.. २ ० ० ० १४ १६ ० ० ३ १६ ०
					१०४७–मि०	.. १ ० ० ० १९ १७ ० ० ११ ८ ०
					१०४८–मि०	.. ० १७ ० ० ६ १८ ० ० ४ ८ ०
					१०५०–मि०	.. १ ० ० ० ५ १७ ० ० ४ १७ ०
					१०६५–मि०	.. १ १४ ० ० १२ ० ० ० ७ ० ०
					योग	.. ७ ६ ० १०
					कुल योग	.. ३९ १९ २ १

टिप्पणी—ऐसे भूखंडों के मामलों में, जो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा के अन्तर्गत विज्ञापित किये गये थे, उनके वे भू–भाग, जिनकी अब भी आवश्यकता है और जो अर्चन से मुक्त किये जा रहे हैं, वे जिलाधीश, मेरठ तथा स्पेशल लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, गाजियाबाद दोनों के कार्यालयों में उपलब्ध मानचित्रों की सहायता से देखे और जांचे जा सकते हैं।

आज्ञा से,
एस० मसूदुल हसन,
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१६ एल० ए०—१९६५—८६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा